Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ४९वां दिवस [संख्या १७

बुधवार,
दिनांक ६ मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, उद्योग, विधि, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन एवं शिक्षा-विभाग]

प्रतापगढ़-राजपुरिया सड़क की मरम्मत

४६७. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से राजपुरिया सड़क में बड़े-बड़े खड्डे पड़ कर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो इसको ठीक कराने का विचार है या नहीं ? अगर है, तो कब तक ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सड़क के बहुत खराब होने से एक्सीडेन्ट भी हो चुके हैं ?

(३) क्या यह सच है कि इस सड़क पर पूरा डामर कई वर्षों से नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) सड़क की दशा साधारण है। उपलब्ध धनराशि में मील ३, ४ तथा १० में कार्यवाही हो रही है।

(२) एक्सीडेन्ट होने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(३) यह सड़क डामर की है और उपलब्ध धनराशि के अनुसार ३ मीलों में कार्य प्रगति पर है।

श्री हरलाल मीणा : यह सड़क प्रतापगढ़ से राजपुरिया तक कितनी लंबी है और इस पूरी सड़क पर डामर कब बिछाया गया था ?

श्री माधोसिंह : यह सड़क १२ मील लम्बी है।

श्री हरलाल मीणा : इस पूरी सड़क पर डामर कब बिछाया गया था ?

श्री माधोसिंह : बहुत समय पहले।

श्री हरलाल मीणा : अब इसकी कंडीशन कैसी है ?

Page No.2

श्री माधोसिंह : मैंने जैसा कि उत्तर दिया इसकी कंडीशन साधारण है।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। इस कारण इन पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए टूट जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : साधारण खड्डे आते हैं।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : खड्डों को बुराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री माधोसिंह : हर साल २५-३० हजार रुपये लगाये जाते हैं। जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होती है, वैसे-वैसे लगाये जाते हैं।

श्री हरलाल मीणा : क्या अब भी कार्य चल रहा है ?

श्री माधोसिंह : जी हां, चालू है।

श्री हरलाल मीणा : क्या डामर पूरा बिछाया जा रहा है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं। जहां-जहां खराब है वहां पर ठीक की जा रही है।

ग्राम रासीसर की जलप्रदाय योजना

४६८. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु०)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी बनाई गई है ? यदि हां, तो वह टंकी कुल कितनी लागत की है ?

(२) क्या यह सही है कि टंकी के निचले भाग से कुछ व्यक्तियों को सीधा कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(३) क्या यह सही है कि गांव के मोहल्लों में कोई पाइप स्टेन्ड नहीं लगाया गया है ? यदि लगाया है तो किस-किस मोहल्ले में कौन-कौन से स्टेन्ड ?

(४) क्या यह सही है कि इस स्कीम के बन जाने के बाद भी हरिजनों को शुद्ध जल व स्टेन्डों की सुविधा नहीं दी गई ? यदि हाँ, तो इसकी क्या वजह है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, टंकी की लागत ५२,८००) रु० हैं।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं, हरिजन मोहल्ले में एक स्टेण्ड पोस्ट लगाया है।

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है। हरिजन मोहल्ले में एक सार्वजनिक नल लगाया गया है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : वापिस पढ़ दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : (१) जी हां, टंकी की लागत ५२,८००) रु० है।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.3

(श्रीमती सुमित्रा)

(३) जी नहीं, हरिजन मोहल्ले में एक स्टैण्ड पोस्ट लगाया है।

(४) जी नहीं, यह सही नहीं है। हरिजन मोहल्ले में एक सार्वजनिक नल लगाया गया है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरे प्रश्न के भाग (२) का उत्तर जी नहीं में दिया गया है। लेकिन टंकी से पाइप का सीधा कनेक्शन करीब १० घरों को सीधी लाइन दे दी है और सारा गांव तिरसों मर रहा है। १० व्यक्ति नाजायज तौर पर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या १० व्यक्तियों को सीधे कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं कहता हूं सीधे कनेक्शन दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप देख लेना।

श्रीमती सुमित्रा : ठीक है जानकारी करा लूंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४६६।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (४) का जवाब नहीं दिया है। हरिजन मोहल्ले में कोई स्टेन्ड नहीं खोला गया है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, जांच करवालें। नहीं खोला है। बिल्कुल गलत जवाब दे रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये बता दूं कि वहां पर केवल एक सार्वजनिक नल लगाया गया है और वह हरिजन मोहल्ले मे है। इसके अलावा हमने बाकी गांव में एक भी पी. एस. पी. नहीं लगाया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं स्वयं हरिजनों के मोहल्ले में जाकर आया हूं वहां नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

बांसवाड़ा में डिप्टी इन्सपेक्टर का कार्यालय तथा शिक्षकों को असुविधा

४६९. **श्री रतनलाल रोत (चौरासी) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में शिक्षा विभाग का डिप्टी इन्सपेक्टर का प्रधान कार्यालय बांसवाड़ा होने से और बारिश में माही नदी में बाढ़ के कारण रास्ता अवरुद्ध होने से शिक्षकों के कार्यों में बाधा पहुँचती है ? यदि हां, तो क्या इस असुविधा को दूर करने के लिये सरकार ने कोई उपाय सोचा है ?

(२) क्या इस असुविधा के सम्बन्ध में डूंगरपुर के नागरिकों ने कोई प्रार्थना-पत्र मन्त्री महोदय के पास भेजा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) डूंगरपुर जिले में वरिष्ठ उप-विद्यालय निदेशक का कार्यालय ५-१०-६७ से खोला जा चुका है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतनलाल रोत : क्या यह सही है कि डूंगरपुर में जो शिक्षण संस्थायें हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहां के प्रशासनिक अधिकार इन्सपेक्टर को दिये जाने चाहियें, क्या इसका प्रावधान करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : सीनियर डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जो वहां पर हैं, उसके वही अधिकार हैं जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के हैं।

प्रश्न संख्या ४७०

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया !

कोटा में सरकारी पब्लिक प्रोसीक्यूटर

४७१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) कोटा में सरकारी पब्लिक प्रोसीक्यूटर कौन हैं, और वे वहां कितने समय से हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने सन् १९६७ में कांग्रेस के टिकिट से कोटा नगर से विधान सभा का चुनाव लड़ते समय इस पद से त्याग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को दिया था और क्या वह मन्जूर हो गया था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त उम्मीदवार के चुनाव में हारने के बाद उसे पब्लिक प्रोसीक्यूटर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि कोटा में नियुक्त वर्तमान पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कांग्रेस से दीगोद क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ा था ?

उप-मन्त्री विधि, (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) कोटा में सरकारी पब्लिक प्रोसीक्यूटर श्री रामेश्वरदयाल सक्सेना हैं जो इस पद पर दिनांक ७-९-१९६७ अपराह्न से कार्य कर रहे हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि आम चुनाव के समय में और उसके पूर्व श्री नाथूलालजी जैन पब्लिक प्रोसीक्यूटर थे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि उन्होंने कोटा क्षेत्र से, कोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के टिकिट से ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कोटा के अन्दर जितने वकील हैं उनमें से उनकी योग्यता के अनुसार कोई भी वकील पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनने के योग्य नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : Matter of opinion.

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि नाथूलालजी जैन ने त्याग-पत्र कब दिया पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद से और कब वह मंजूर हुआ ?

Page No.5

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित है, लेकिन अलग से प्रश्न है। इसके लिए नाथूलाल के सम्बन्ध में प्रश्न आ जाता कि कब त्याग-पत्र दिया, या कब किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यही मैंने प्रश्न किया है। इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न है, अलग से है प्रश्न। यह कह दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय जनसंघ के नेता कहते हैं कि इस सदन में व्यक्तिगत सवाल नहीं आने चाहियें। यह कैसे आया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह व्यक्तिगत नहीं है, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

क्या यह सही है कि यह जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर रहे, यह जिले के अध्यक्ष पद पर रहे कांग्रेस के ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसमें मनाई है क्या ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रोसीक्यूटर का सिलेक्शन होता है, उसके लिए बताया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज बैठ कर पैनल बनायें और सरकार उसको स्वीकार करती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जो आजकल पब्लिक प्रोसीक्यूटर हैं श्री रामेश्वरदयाल, वह वहां के कॉलेज में लेक्चरार रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, नाथूलाल जैन के पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद से त्यागपत्र देने और श्री रामेश्वरदयाल जी के पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद पर वापिस अपाइन्ट करने के बीच में, जो बीच का समय गया है, सरकार ने किसको अपाइन्ट किया था ?

श्री बरकतुल्लाखां : श्री हरिशंकर जोहरी थे, वह इस पद पर थे, टेम्परेरी काम कर रहे थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने समय तक रहे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १-१-६७ से ७-९-६७ तक।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, लगता ऐसा है, सरकार की जो नीति है, या जिस नीति के ऊपर चल रही है सरकार—उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं कहना है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्यों नहीं कहना है। उसी पर तो कहना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह जो कुछ है, उसके बारे में जनता जाने या यह सरकार जाने लेकिन यह कहना है कि कोई जगह खाली होती है, खाली कराली जाती है, चुनाव के दृष्टिकोण से खाली करा लेते हैं तो वह खाली न रहे। मैं निवेदन करना

Page No.6

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चाहता हूं कि चाहे लॉ कॉलेज हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो—यह दोनों पोस्टें हैं यह छः छः महीने तक खाली पड़ी रहें, इधर तो लड़कों ने सफर किया और उधर केसेज सफर हुए। मैं कहना चाहता हूं कि यह जगहें खाली नहीं रहें और समय पर भर दी जायं ताकि न तो लड़के सफर करें और केसेज सफर करें।

श्री बरकतुल्लाखां : आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

कनवास-धूलेट सड़क

४७२. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कनवास-धूलेट रोड प्रथम पंचवर्षीय योजना में मन्जूर हुई थी और इस पर करीब तीन लाख रुपया भी खर्च किया जा चुका है ?

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मन्जूर होने के बावजूद, व इस इलाके के बहुत से गांवों में अकाल की भयंकर स्थिति के होते हुए भी पिछले सालों में इस पर काम नहीं चलाए जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क कोटा स्टेट के समय की फेयर वेदर रोड लिस्ट में सम्मिलित थी व इसकी नियमित रूप से मेन्टीनेन्स की जाती थी ? यदि हां, तो इस सड़क का मेन्टीनेन्स अब किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है और यदि नहीं किया जा रहा है तो कब से नहीं और क्यों नहीं ?

(४) कोटा स्टेट के समय की ऐसी कितनी फेयर वेदर रोड्स या काजवेज हैं जिन पर पक्की सड़क बनाने की योजना थी, परन्तु वे राजस्थान की सड़क योजना में सम्मिलित होने या नहीं होने के बाद फेयर वेदर रोड्स की तरह भी मेन्टेन नहीं हो रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) फेयर वेदर रोड्स का पंचायतों द्वारा मेन्टेन किया जाना सरकार कहां तक व्यवहारिक मानती है और अब तक के अनुभव के आधार पर यह स्कीम कहां तक कामयाब हुई है ? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों का मेन्टीनेन्स का सर्वे किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) कनवास-धूलेट रोड का ग्रेवल निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था और पक्की सड़क बनाने की मंजूरी तीसरी योजना में की गई थी। १,२६,२७०) रु० खर्च हुआ है।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो काम मंजूर किया था वह पूरा हो चुका है। अकाल राहत कार्य में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

(३) कनवास-धूलेट रोड की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

(४) सड़कें जिन पर कोटा स्टेट के समय के काजवेज और पुलिया थे तथा अन्य रोड जिनकी इस विभाग द्वारा देख रेख नहीं होती उसकी सूची (अ) प्रस्तुत है।

Page No.7

(श्री माधोसिंह)

(५) पंचायत समितियां स्वतन्त्र इकाई हैं और सड़कों का सर्वे कराना विभागीय नियमों मे नही है। (विराम) पंचायत समिति की सड़कों का सर्वे कराना विभागीय नियमों में नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : आपने फरमाया है कि कनवास-धूलेट रोड फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में ग्रेवल रोड बनाने के लिये मंजूर हुई है और काम पूरा हो चुका है। आपको मालूम है कि उस पर मिट्टी की एक किन्नी भी नहीं डाली है। आप कहते हैं वह किस इन्फार्मेशन पर कहते हैं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में यह रोड़ ग्रेवल रोड के रूप में मंजूर हुई है और वह पूरी हो चुकी है ?

श्री माधोसिंह : अर्थ वर्क और पुलिया का काम था वह पूरा हो चुका है।

श्री जुझारसिंह : पुलिया का काम अलग होता है, ग्रेवल वर्क अलग चीज है। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रेवल वर्क का एक मील में, एक फर्लांग में भी काम हुआ है ?

श्री माधोसिंह : अर्थ वर्क करते है वह पूरा हो गया है। ग्रेवल ऊपर नहीं पड़ा है। ग्रेवल पार्ट डालने के पहले अर्थ वर्क किया जाता है वह पूरा हो गया है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क है, यह कोटा स्टेट के समय में फेयर वेदर के रूप में मेन्टेन की जाती थी, इसकी जो लिस्ट है उसमें बताया है कि बीस वर्ष पहले यह फेअर वेदर के रूप में मेन्टेन की जाती थी। आज तक उसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई है। यह ठीक है कि पुलिया का काम हुआ है. लेकिन ग्रेवल का एक मील का, एक फर्लांग का काम भी नहीं हुआ है। यह मैं मन्त्री महोदय की सूचना के लिये जानकारी देता हूं। आप इसकी फिर जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष : उस पर अर्थ वर्क हुआ है।

श्री जुझारसिंह : कुछ नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतना हुआ है कि पहले जो फेयर वेदर सड़क थी, उस पर मिट्टी डाल दी गई है।

श्री जुझारसिंह : उतना भी नहीं हुआ है ! उतना भी नहीं हुआ है।

दूसरा आपने यह फर्माया कि थर्ड फाइव ईअर प्लान में यह मैटल रोड के रूप में मंजूर हुई थी। पूरा थर्ड फाईव ईअर प्लान पूरा हो गया, आप बतायें कि कितनी लम्बाई तक मैटल रोड का काम किया गया है ?

श्री माधोसिंह : मैटल रोड हो जाने से ही काम नहीं किया गया।

श्री जुझारसिंह : ग्रेवल का काम नहीं किया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं किया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं किया—यह मैं मन्त्री महोदय की सूचना के लिए अर्ज करता हूं। दूसरा यह है कि आफ रोड़, ब्रिजेज और कलवर्ट हैं उनके बारे में मैंने माननीय मन्त्री से सूचना मांगी थी उसमें ६१ कलवर्ट ऐसे बताये हैं जो रोड़ से अलग हैं, और कोटा स्टेट के टाइम में सड़क बनाने के पूर्व उनको बनाया गया था, मैं पूछना चाहता हूं कि उन कलवर्ट का आपने इन बीस सालों में मेन्टेनेन्स किया या नहीं ?

Page No.8

श्री माधोसिंह : यह हमारे रोड़ प्लान में नहीं था और जिम्मेदारी नहीं थी इस विभाग की।

श्री जुझारसिंह : उनके पी. डब्ल्यू. डी. की बनाई हुई रोड्स थीं, कलवर्ट थे, अगर स्टेट चालू रहता तो उन कलवर्ट्स पर सड़क बनाई जाती लेकिन आपके पी. डब्ल्यू. डी. से मंजूरशुदा रोड्स में इनको लिया नहीं। वह भी स्टेट की प्रॉपर्टी है तो उसके मेन्टीनेन्स के लिये आपने क्या विचार किया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) : यह कलवर्ट्स पर रोड्स आती है उनको बनाने की हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुतसी ऐसी प्रोपर्टी पी. डब्ल्यू. डी. के पास आ गई है जो रखी नहीं जा सकती। जो आपने बताया उसके ऊपर काम हो सके, तो ज्यादा पैसे का प्रावधान इस डिपार्टमेन्ट को हो तो काम ज्यादा हो सकता है और कलवर्ट्स को ज्यादा सही रखा जा सकता है। अभी उन्हीं कलवर्ट्स को सही रखा जा सकेगा जो हमारे सड़कों पर आते हैं, अगर ऐसे कोई कलवर्ट्स हैं, जो सड़कों पर नहीं आते हैं तो उनके लिये अलग से ध्यान दिलायें तो हो सकता है कि उनके ऊपर पूरा ध्यान दें।

श्री जुझारसिंह : ध्यान तो जरूर दिलाऊंगा। लेकिन यह लिस्ट है, यह आपकी दी हुई है, इसमें कोटा स्टेट की फेअर वेदर रोड्स हैं उनकी संख्या २४ बताई है। यह रोड्स हैं कि कोटा स्टेट के टाइम में फेअर वेदर के रूप में मेन्टेन की जाती थीं। उसमें पचास कलवर्ट रोड्स पर हैं जिनका चार्ज लिया है लेकिन उनका मेन्टीनेन्स नहीं हो रहा है।

श्री अमीनुद्दीन : वह मेन्टीनेन्स ग्रान्ट के आधार पर ही कर पायेंगे।

श्री जुझारसिंह : जो फेयर वेदर रोड्स कोटा स्टेट के टाइम की थीं उनका चार्ज पी. डब्ल्यू. डी. ने लिया है या नहीं ?

श्री माधोसिंह : रोड्स यह पंचायत समिति एरिया में आती है, वहां हम पंचायत को एक माइल के लिये सौ रुपये मेन्टीनेन्स के लिए देते हैं, इसलिये मेन्टीनेन्स वही करते हैं, हम नहीं करते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप कहते हैं हां, और आप कहते हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग क्षेत्र हैं।

श्री भैरोंसिंह : अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं या प्रशासन के अधिकार में अलग-अलग क्षेत्र हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासन के अधिकार के क्षेत्र अलग-अलग हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसा क्षेत्र है कि एक मन्त्री कहे कि अब मेन्टेनेन्स में ले लिये जायेंगे और दूसरा कहे कि नहीं लिये जायेंगे।

श्री अमीनुद्दीन : यह बात नहीं है। मन्त्री ने कहा कि रोड्स के ऊपर, जो पी० डब्ल्यू० डी० की रोड है वह अगर कलवर्ट के ऊपर है तो उसको मेन्टेनेन्स में लिया जायगा और कलवर्ट्स को नहीं लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : नवाब साहब, पहले आपने अगर मगर नहीं लगाया था।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न है कि जो कोटा स्टेट के टाइम में फेअर वेदर की रोड्स थीं, जिनकी लिस्ट दी है, उन फेअर वेदर

(श्री जुझारसिंह)

रोड्स का चार्ज पी० डब्ल्यू० डी० ने स्टेट के हैड ग्रॉवर होते समय लिया था या नहीं लिया था ?

श्री माधोसिंह : नहीं लिया था।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त पंचायत नहीं बनी थी तो किसने चार्ज लिया ? पंचायतें तो दस वर्ष बाद बनी थीं।

श्री माधोसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० ने, इस विभाग ने नहीं लिया।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि जितनी भूतपूर्व स्टेट की प्रापर्टी थी उस सारे का चार्ज इस सरकार ने ऑटोमेटिक ले लिया था ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री माधोसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : मेरा यह प्रश्न है कि आपने जवाब में फर्माया कि इसकी मेन्टीनेन्स पंचायत कर रही है। तो पी० डब्ल्यू० डी० ने इसे पंचायत बनने के बाद दिया होगा। इसका मतलब पहले तो सरकार ने लिया था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बड़ा सीधा है, मैं पूछ लेता हूं। यह फेयर वैदर रोड्स हैं कोटा रियासत के जमाने की, यह किसको दी गईं ? क्या पी० डब्ल्यू० डी० के पास नहीं आईं ? कहां चली गईं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (डारां) : हवा में उड़ गईं।

श्री माधोसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० में आतीं तो उसकी सूची में होतीं। पता नहीं किसको दी गईं।

श्री अमीनुद्दीन : हियर, हियर ! शाबाश !

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय उनको शाबाशी दे रहे हैं। स्टेट की प्रापर्टी का पता नहीं है, यह जवाब दिया और मन्त्री महोदय उनको शाबाशी दे रहे हैं। वह इस प्रश्न का महत्व नहीं समझते !

श्री रामकिशन : महत्व क्या समझेंगे ?

श्री जुझारसिंह : जिन रोड्स को फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में और थर्ड प्लान फाइव ईयर प्लान में मेटल और ग्रेवल रोड के रूप में मन्जूर किया है, उनके लिए आप कब तक मन्जूरी दे देंगे ?

श्री माधोसिंह : लिखा है सूची में।

श्री अध्यक्ष : यह रोड्स, यह उसमें नहीं आईं ?

श्री जुझारसिंह : फर्स्ट फाइव ईयर में मन्जूर किया, थर्ड फाइव ईयर में मन्जूर किया। अब कार्य कब चलायेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन : अगर हमारे पास प्रोवीजन होगा तो जरूर चलायेंगे।

श्री जुझारसिंह : आपने थर्ड फाइव ईयर प्लान में प्रोवीजन किया और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में प्रोवीजन किया था। प्रोवीजन करके भी इसको लिया गया नहीं तो अब भी रखेंगे या नहीं रखेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन : उस जमाने में प्रोवीजन काफी था।

Page No.10

श्री जुझारसिंह : क्यों हुआ ऐसा, अब तो आप हैं, आप देखिये।

उद्योग-मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसका जवाब माकूल मिला साहब !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोटा विभाग के तहत किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में किसी भी सड़क पर कुछ भी कार्य नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है !

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह एक्सक्यूज लिया गया है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोटा विभाग में पंचायत क्षेत्र में किसी भी सड़क को कोई काम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हाथ में लिया है ?

श्री माधोसिंह : हमने ऐसी जगह पैसा खर्च किया है, जहां बन्ध वगैरह को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है, आम तौर पर नहीं करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा राजनैतिक आधार पर सरकार निर्धारित करती है, यह नीति सरकार ने अख्त्यार करली है, प्राइवेट फार्म पर, एक करोड़पति का फार्म है, उसके लिये सड़क बनाई है......

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सही नहीं है। आज भी काम चल रहा है, उसी विभाग में चल रहा है जहां के कि माननीय एम. एल. ए साहब हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि ग्रामवासियों से पैसा सड़क के लिये इकट्ठा किया जा रहा है और उतना ही पैसा सरकार लगाने का कह रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : जो फेअर वेदर रोड्स को लिस्ट दी है, उनके मेन्टीनेन्स के लिये क्या सरकार पंचायतों को मेन्टीनेन्स का पैसा दे रही है ?

श्री माधोसिंह : इसके लिये जानकारी करके अर्ज कर सकता हूं।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न में शामिल है कि इनको मेण्टीनेन्स के लिये कितना पैसा दिया जाता है ?

श्री माधोसिंह : इसको जानकारी हासिल कर लेंगे और नियमानुसार उचित होगा वह कर लेंगे।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : पंचायत समितियों द्वारा सैंकड़ों सड़कें बनाई गई हैं पर उनके मेन्टीनेन्स के लिये नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और वे सड़कें बिलकुल खराब हो रही हैं, पंचायत समितियां उन सड़कों को नहीं चला पा रही हैं। क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग उनको अपने में मिलाने का विचार कर रहा है ?

श्री माधोसिंह : वापिस बोल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समितियों द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, वे खराब हो रही हैं, पंचायत समितियां उन्हें चला नहीं पा रही हैं, क्या उन सड़कों को अपने में मिलाने की योजना है ?

Page No.11

एक माननीय सदस्य : अपने में मिलाने की?

श्री माधोसिंह : ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई बहुत जरूरी सड़क हो और आप नोटिस में लायेंगे तो विचार किया जा सकता है।

श्री श्रवणलाल : पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा काफी तादाद में सड़कें बनाई हुई हैं, उनकी हालात यह हो गई है कि वे सड़कें बरबाद हो रही हैं, तो क्या उचित नहीं समझते कि उनको पी. डब्ल्यू. डी. के अण्डर में लिया जाय?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गोरधन सोनी !

नागौर जिले की जलप्रदाय योजनाएं

४७३. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :** क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर जिले की कौन-कौन सी नगरपालिकाओं में पेय जलप्रदाय योजनाओं का कार्य सन् १९६६ के मध्य से धन के अभाव में अधूरा छोड़ दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी नगरपालिका के लिये पेय जल योजना के अंतर्गत तीन कुओं (ट्यूब वैल्स) का निर्माण हो चुका है और उनमें पर्याप्त पेय जल है?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिये सरकार द्वारा पिछले १८ महीनों से जीवन बीमा निगम से ऋण लेने की कार्यवाही चल रही है?

(४) दिनांक १२ नवम्बर, ६७ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस सम्वाद का सरकार को ध्यान है जिसमें जीवन बीमा निगम से उक्त ऋण नहीं मिलने की संभावना बताई गई है?

(५) जीवन बीमा निगम से उक्त ऋण प्राप्त होने की अब क्या प्रगति है? यदि उपरोक्त ऋण उपलब्ध नहीं हों, उस अवस्था में इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

(६) लम्बे समय तक अधूरी पड़ी योजनाओं पर होने वाले व्यय एवं ब्याज की हानि की जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिकाओं पर पड़ेगी, या इसके लिये राज्य सरकार उत्तरदायी होगी?

राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) कोई नहीं।

(२) जी हां, यह सही है। नल कूप अन्वेषण निर्माण द्वारा तीन कुओं का निर्माण किया जा चुका है और उनमें पर्याप्त पेय जल है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) आवश्यक कार्यवाही फिर से जारी है, ऐसी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिये अधिक धन की आवश्यकता एक साथ होने के कारण बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है वैसे बजट ग्रान्ट के अनुसार योजनाओं पर धन का आवन्टन किया जा रहा है।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि हाथ में ली हुई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

Page No.12

श्री गोरधन सोनी : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस वक्त क्या कार्य हो रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस समय वहां कुचामन रोड नगरपालिका में काम चल रहा है।

श्री गोरधन सोनी : वैसे तो कह दिया कि कोई नहीं चल रहा है और अब कह दिया कि कुचामन रोड में कार्य चल रहा है। अगर वहां कार्य चल रहा है तो क्या कार्य चल रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : आपने प्रश्न यह पूछा था कि धन के अभाव में कौनसी योजना छोड़ दी गई, मैंने अपने उत्तर में कहा कि छोड़ी एक भी नहीं है। अभी हमारा कार्य प्रारम्भ है, अधूरा नहीं छोड़ा है, अब तक कार्य जारी है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही नगरपालिका ऐसी है जिसमें हमारा कार्य जारी है।

श्री गोरधन सोनी : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कार्य हो रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : सारी डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकती पर यह कह सकती हूं कि वहां कार्य चालू है।

श्री गोरधन सोनी : इससे साफ प्रतीत होता है कि वहां कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। दो वर्ष से योजना छोड़ी हुई पड़ी है। एक योजना शुरू कर दी जाती है, पैसे का अपव्यय हो रहा है, लोगों को लाभ नहीं होता है, बीच में ही छोड़ दिया जाता है। जो भी योजना हाथ में ली जाय ठीक ढंग से उसे किया जाना चाहिये। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां क्या कार्य हो रहा है और यह योजना कब पूरी हो जायगी ?

श्रीमती सुमित्रा : यह योजना इसी वर्ष पूरी हो जायगी, ५ लाख खर्च हो चुका है, ७ लाख की योजना थी, दो लाख खर्च करना बाकी है। तीन-चार महीने के भीतर योजना खत्म हो जायगी।

श्री गोरधन सोनी : क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जलप्रदाय योजना के लिये कितना पैसा एल. आई. सी. से मिल जायगा ?

श्रीमती सुमित्रा : इसके लिये प्रयत्न जारी है, निश्चित तौर से तो कुछ नहीं कह सकती कि कितना प्राप्त हो जायगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : निश्चित तौर से क्यों नहीं कह सकती मन्त्री महोदया ?

श्रीमती सुमित्रा : (शोरगुल व अश्र-य)

श्री गोरधन सोनी : जो वादा किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं पर वहां कार्य क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : वह मालूम नहीं है।
श्री हरजीराम बुरड़क !

बोर्डर पब्लिसिटी के लिये सामान की खरीद

४७४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६५-६६ में बोर्डर पब्लिसिटी के लिये कितना रुपया भारत सरकार या

(श्री हरजीराम बुरड़क)

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और उक्त मद से कितनी-कितनी कीमत का क्या-क्या सामान कब-कब किस-किस फर्म से खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सामान जिन फर्मों से खरीदा गया है उनमें से कुछ फर्म ऐसी भी हैं जो विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट की गई थीं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी फर्में हैं और उनसे कितना-कितना कब-कब सामान खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त सामान खरीदने के लिये यदि कोई टेन्डर आमंत्रित किये गये हों तो टेन्डर मांगने के नोटिस की प्रति मय शर्तों व आये हुए टेन्डरों तथा मंजूर किये जाने के आदेशों की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या राज्य सरकार को उक्त सामान की खरीद के बारे में कोई अनियमित कार्यवाही होने की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क (श्री जयकिशन) : (१) भारत सरकार द्वारा सन् १९६५-६६ में बोर्डर पब्लिसिटी के लिये कोई धनराशि विशेष तौर पर स्वीकार नहीं की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा ही इसके लिये १,४४,००० रुपये की धनराशि स्वीकार की गयी थी। इस राशि में से केवल ७१,९७०.५० रुपये का सामान खरीदा गया। जिन-जिन फर्मों से जो-जो सामान खरीदा गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट क)

(२) जी नहीं।

(३) जन सम्पर्क निदेशालय की खरीद विषयक पत्रावली खो गई है। अतः टेन्डर मांगने के नोटिस की प्रति इत्यादि प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। क्रय आदेशों की प्रतियां जो उपलब्ध हैं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट ख)

(४) जी हां, इन अनियमितताओं के बारे में जांच अभी जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : पत्रावली किस के पास से खोई ?

श्री जयकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच जारी है इसलिये आगे इसके बारे में यह कहूंगा कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि मेसर्स टॉक स्टुडियोज से भी सामान खरीदा गया था ?

श्री जयकिशन : यह सूची सदन की मेज पर रखी गई है, उसमें लिखा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे पास सूची नहीं है, इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

Page No.14

श्री जयकिशन : हां खरीदा गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना खरीदा गया है ?

जन सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जैसा कि माननीय राज्य मंत्री ने अर्ज किया कि इसमें काफी एडवान्स स्टेज पर इन्क्वायरी हो रही है, उस पर सप्लीमेंटरीज़ का असर पड़ सकता है इसलिए माननीय सदस्य इस आधार को स्वीकृत कर लें और इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल: तो मैं समझता हूं कि इसका जो उत्तर दिया गया है, उसे भी स्थगित समझा जाय।

श्री हरिदेव जोशी : जो इन्फोर्मेशन अवेलेबल थी, वह दे दी है। जो एन्क्वायरी चल रही है, उसमें दो प्रश्न इन्वोल्व्ड हैं। एक तो यह है कि आया खरीद में इरेगुलेरिटीज हुई हैं, अगर हुई हैं तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है, जिनके ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं।

दूसरा सवाल यह है कि फाइल खोई गई तो किसकी जिम्मेदारी से खोई गई, किसने चोरी की है, अथवा क्या है ? मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उस फाइल के खोते ही हमने सी. आई. डी को इन्फोर्मेशन दे दी, केस भी पुलिस में रजिस्टर करा दिया था पर केस की डिटेल्स ऐसी है कि उनका इस स्टेज पर रखना मुनासिब नहीं है, उससे जांच पर एड्वर्स इफेक्ट पड़ सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेटर सबजुडिस नहीं है, तफतीश चल रही है, उस तफतीश में हमें शक है, सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है कि कोई ब्लेक लिस्ट नहीं है, मैं निवेदन करूं कि १९६४ में टाक ब्रादर्स को ब्लेक लिस्ट करार दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : अन्डर इन्वेस्टिगेशन है, या कुछ भी है पर यह प्रश्न विवादग्रस्त है, एन्क्वायरी पर एड्वर्स इफेक्ट पड़ सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिम्मेदारी फिक्स करने वाली जो फाइल गुम हुई है उस सम्बन्ध में जो जांच की जा रही थी वह फाइल भी गायब है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं। इसलिये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार किसी चीज को छिपाना चाहती है बल्कि इसलिए कि इन्क्वायरी पर अभी कुछ हम कहें उसका एडवर्स असर न पड़े यही कीननैस सरकार की है कि इन्क्वायरी हो जाय। ४-५ दिन में वह कम्पलीट हो जायगी। तो जब तक उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट न आ जाय इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो फाइल गुम हुई थी और उसके लिए जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाय, इस सम्बन्ध में जो जांच की जा रही थी वह जांच की जाने वाली फाइल भी गायब है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं केवल एक फाइल गायब है पर्चेजेज से संबंधित, इन्क्वायरी से सम्बन्धित गायब नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिनकी कस्टडी के अन्दर यह फाइल थी वह अकाउन्ट्स ऑफिसर व अकाउन्टेन्ट अभी तक सरकार द्वारा मुअत्तिल नहीं किए गए हैं ?

Page No.15

श्री हरिदेव जोशी : किसी को मुग्रत्तिल नहीं किया गया है, यही तो दिक्कत है, हम जानना चाहते हैं कि किसके पास से खोई है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने खोयी, एक आदमी का बयान एक है दूसरे का दूसरा है। इसलिए...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस विभाग से फाइल नहीं गुम होने की बात कही गई है कि जांच की फाइल गुम नहीं हुई है क्या यह सही है कि विभाग ने सरकार को लिखित रूप से सूचना दी है कि ओरिजिनल फाइल गुम होने के सम्बन्ध में जो विभागीय जांच की गई, वह जांच की फाइल भी गायब हो गई ?

श्री हरिदेव जोशी : जो सूचना मेरे पास है, उसको कल ही मैंने ऑफिसर्स से डिस्कस किया है और मैं सूचना के आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे याने सरकार को केवल एक फाइल के खोने की सूचना दी गई है मगर (It is immaterial) सारा केस इन्वेस्टीगेशन में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ताकि मैं....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित कर देता हूं चूंकि इसकी इन्क्वायरी जल्दी खत्म होने वाली है इसलिए इस प्रश्न को शीघ्र ही फिर रखा जा सकेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि अकाउंटस ऑफिसर जो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री फूलचन्द बाफणा !

पाली जिले के शिक्षा निरीक्षकों का स्थानान्तरण

४७५. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पाली जिले के जिला निरीक्षणालय की स्थापना हुए तेरह वर्ष हुए हैं और तेरह वर्ष में पंद्रह जिला निरीक्षक आये गए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी के लिए स्थानान्तरण के ऐसे नियम हैं कि साधारणतया कोई स्थानान्तरण कम से कम तीन वर्ष पहले नहीं किया जाय ? यदि हां तो पाली जिले में शिक्षा विभाग के तेरह वर्ष में पन्द्रह निरीक्षकों का आवागमन किन-किन कारणों से इतना-इतना जल्दी और कैसे हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उपर्युक्त जितने भी स्थानान्तरण हुए हैं उनमें से किसी का कोई अपराध नहीं था ? यदि कोई अपराध नहीं था, तो किन कारणों से स्थानान्तरण हुए ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) जी हां। १२ निरीक्षकों का स्थानान्तरण हुआ है।

(२) जी हां, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। आम तौर पर स्थानान्तरण जल्दी नहीं किये जाते।

(३) जी हां, इसका उत्तर प्रश्न के भाग २ में दिया जा चुका है।

Page No.16

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यह प्रशासनिक व्यवस्था गलत है।

श्री फूलचन्द बाफणा : किसी का अपराध था ?

श्री शिवचरण माथुर : स्थानान्तरण अपराध के कारण ही नहीं, दूसरे कारणों से भी होता है।

श्री फूलचन्द बाफणा : किसी की शिकायत थी ?

श्री शिवचरण माथुर : कोई शिकायत नहीं थी।

श्री फूलचन्द बाफणा : किसकी सिफारिश से ट्रान्सफर हुआ था ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी-सु.) : क्या यह सही है कि आपको सूट नहीं हुए इसलिए......

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

गंगानगर जिले में पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण

४७६. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर जिले में १ जनवरी, १९६७ से १५ जनवरी, १९६८ तक किस-किस पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण कहां से कहां हुआ है ? सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण थोड़ी-थोड़ी अवधि के पश्चात् हुए हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(३) नियमानुसार साधारणतया स्थानान्तरण कितनी अवधि के बाद होने चाहिए ?

गृह-मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) गंगानगर जिले में १ जनवरी १९६७ से १५ जनवरी, १९६८ तक कुल २८९ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं, जिनमें ३९ उपनिरीक्षक, १९ सहायक उपनिरीक्षक, १५० मुख्य आरक्षक व ८१ आरक्षीगण शामिल हैं। नाम व पदवार और कहां से कहां स्थानान्तरण हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) आंशिक रूप से यह सही है। ९२ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण थोड़ी अवधि में हुए हैं। थोड़ी अवधि में स्थानान्तरण करने का कारण मुख्यतया प्रशासनिक कारण, उपनिरीक्षकों के प्रोमोशन केडर में चले जाना व एक उपनिरीक्षक का निलम्बन हो जाना तथा शिक्षित आरक्षकों के टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाना है।

(३) नियमानुसार साधारणतया स्थानान्तरण करने की अवधि अधिकारियों के लिए २ वर्ष है व अधीनस्थ सेवाओं के लिए ५ वर्ष।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के पुलिस अधिकारियों का और छोटे कर्मचारियों का जो तबादला किया गया इतनी बड़ी तादाद में इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण है ?

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि एक साल के अन्दर इतनी बड़ी तादाद में तबादला करने से बड़ा खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो सूची सदन की मेज पर रखी है, माननीय सदस्य उसको देखेंगे, उसमें हरेक तबादले का कारण भी दिया हुआ है और खर्चा तबादले से होता है, वह तो होता ही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो गंगानगर जिले का निवासी होगा उसको वहां पोस्टिंग नहीं की जायगी उसके होम डिस्ट्रिक्ट में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किन अधिकारियों के लिए ?

श्री भैरोंसिंह : सब-इन्सपेक्टर्स, इन्सपेक्टर्स, डीवाई० एस० पी० और एस० पी०।

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर यह व्यवस्था गंगानगर जिले के लिए ही नहीं है, यह हर जिले के लिए है कि जहां तक मुमकिन हो सके कोशिश की जाय कि उसका तबादला होम डिस्ट्रिक्ट में न हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सूची के अन्दर जो सब-इन्सपेक्टर्स हैं, उनमें अधिकांश गंगानगर जिले के निवासी हैं और उनका स्थानान्तरण केवल इस आधार पर किया गया है कि गंगानगर जिले के बाहर चले गए हैं और फिर अपने एप्रोच के माध्यम से दुबारा गंगानगर जिले में तबादला करवाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है, मुझ से यह सवाल नहीं पूछा गया, मुझे पता नहीं सब-इन्सपेक्टर्स कहां के रहने वाले हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि सूची जो सदन की मेज पर रखी गई है, उसके अन्दर कोई अवधि नहीं अंकित की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण थोड़ी-थोड़ी अवधि के पश्चात् हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? मैंने कहा आंशिक रूप से यह सही है। ६२ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण थोड़ी अवधि में हुए हैं। मतलब Less than two years.

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इतनी बड़ी तादाद में तबादले होने से पुलिस विभाग में असन्तोष फैला हुआ है और जिले में इसी कारण अराजकता फैल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न कोई असन्तोष है, न कोई अराजकता है।

श्री भैरोंसिंह : जनता में है।

श्री मदनसिंह : कारण क्या थे तबादले के ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इतनी बड़ी संख्या में जो तबादले हुए उसके कारण मन्त्री महोदय ने नहीं बताए।

श्री दामोदरलाल व्यास : बता दिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के जितने तबादले होते हैं पुलिस के, रिश्वतें लेकर किए जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! ४७७।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है उसका जवाब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बिल्कुल सही है, हम साबित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

जयपुर शहर में सैनिकों को मकानों के लिए प्लॉट

४७७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर शहर में मकान बनाने के लिए सैनिकों को प्लॉट देने की योजना सरकार घोषित कर चुकी है ?

(२) कितने प्लॉट किस स्कीम में उनके लिये सुरक्षित रखे हैं ?

(३) कितने प्लॉट एलॉट हो चुके हैं ?

(४) कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ?

(५) कितनी स्कीमें राज्य के विचाराधीन पड़ी हैं और कब से ? उन्हें कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। राज्य सरकार ने जयपुर नगर में सैनिकों को १००० भू-खंड आवंटन करने का निर्णय किया है।

(२) प्रत्येक स्कीम में १५ प्रतिशत भू-खंड सैनिकों के लिए सुरक्षित रक्खे जायेंगे।

(३) २६३।

(४) १५०९।

(५) सैनिकों को भू-खंड वितरण की अलग से कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सैनिकों के लिए अम्बावाड़ी में जो प्लॉट्स रिजर्व करने थे, उस स्कीम का क्या हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा मैंने उत्तर में बताया है, हर स्कीम में उनके लिए १५ प्रतिशत प्लॉट्स सुरक्षित हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : स्कीमें किस-किस प्रकार की हैं, सैनिकों के लिए किस प्रकार के प्लॉट्स और किन कीमतों पर दिये जायेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इनके नियम बनाये गए हैं और उसके अनुसार ४००) के ऊपर आमदनी वाले के लिए।

Whose income does not exceed 400/—everywhere in the State, the preference will be given to the Armed Personnel domiciled in the particular district.

श्री भैरोंसिंह : सैनिकों में कितने ही एक्स-सोल्जर्स हैं, कितने ही एक्टिव सर्विस में मारे गए हैं, अपंग हो गए हैं या एक्टिव सर्विस में हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसका यह है कि प्रायोरिटी इनको दी जायेगी।

श्री मदनसिंह दांता : मैं बता दूं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रायोरिटी उनको दी जायेगी जो डिसेबल्ड हैं, दूसरा उनको जो रण क्षेत्र में मारे गये लोगों की विडोज हैं, तीसरा जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको अपनी कोई प्रोपर्टी नहीं है, और चौथा अदर आर्म्ड पर्सोनेल।

श्री भैरोंसिंह : जो प्लॉट आपने जयपुर में अलॉट किये हैं उसमें क्या यह माना जाये कि प्रथम श्रेणी के लोगों को ही प्राथमिकता दी गई है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री मदनसिंह दांता : आपने फर्माया 'जी हां', वह गलत है, मैं बताऊंगा। आप यह बता सकती हैं किसी एक्स-सर्विसमेन को भी मिल सकती है या नहीं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फोर्थ नम्बर में आते हैं, अंदर पर्सोनेल में।

श्री मदनसिंह दांता : आपको मालूम है कि एक्स-सर्विसमैन के लिये और सर्विस वालों के लिये ऐसे फॉर्म बनाये हैं कि वह पूरे नहीं भरे तो किसी को नहीं मिले और जो सैनिक राजस्थान से भरती हुए थे उनके लिए प्रायोरिटी में ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नियम गजट में नोटिफाई कर दिये गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी सूचना के लिये बताऊं कि आज से दस वर्ष पहले पंजाब के थे और दस वर्ष में राजस्थान में स्थापित हो गये उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी तरफ ध्यान दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : १५ प्रतिशत जो सुरक्षित रखे हैं उसको मद्दे-नजर रखते हुए कितने सैनिकों को प्लॉट्स दे दिये गये हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि २९३ को दिया जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो प्लॉट्स के अलॉट होने के लिये नियम बनने थे वे नियम अभी तक नहीं बने हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया कि २९-१०-६६ को बने हैं।

श्री मदनसिंह दांता : नियम तो बन गये हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। उन लोगों को प्लॉट्स मिले हैं जिनके अपने हाउसेज हैं, दो-दो हाउसेज हैं। नियम तो बन गये हैं लेकिन नियमों के मुताबिक चलते नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी सूचना दी जाये कि जिनके पास मकान पहले ही हैं उनको भी प्लॉट एलॉट किये गये हैं तो उनके प्लॉटों को कैंसिल करने की आप प्रतिज्ञा करती हैं क्या?

Page No.20

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो आप दे दें, उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इन २९३ प्लॉट्स में से सामान्य सिपाहियों को एक भी प्लॉट एलॉट नहीं किया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट, श्री बाढ़दार !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसकी जानकारी करें। सिपाहियों को नहीं दिया गया है।

श्री विजयसिंह रावत : यह जो २९३ प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं वे आर्मी के हाई रैंक्स के ऑफिसर्स को किये गये हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बतलाने की कृपा करें कि २९३ में से किस-किस रैंक के आदमियों को प्लॉट मिले हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री बाढ़दार !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर्मी के बड़े-बड़े ऑफिसरों को प्लॉट अलॉट किये गये हैं जब कि मकसद यह था कि सामान्य सिपाहियों को मिले।

श्री विजयसिंह रावत : कर्नल्स और ऊपर की रैंक वालों को ही प्लॉट एलॉट किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार ! (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह के खड़े होने पर) येस, माननीय नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धांततः क्या सरकार इन प्लॉट्स में से आधे प्लॉट्स सिपाहियों के लिये सुरक्षित रखने की नीति निर्धारित करेगी ?

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नीति के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं और जो एप्लीकेशन्स आती हैं नियमों के आधार पर डिसाइड की जाती हैं। यह कहना कि बड़े लोगों को ही दिये गये हैं, बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सरकारी नीति के सम्बन्ध में आरोप लगाया है कि सभी बड़ी रैंक्स के ऑफिसर्स को प्लॉट्स दिये गये हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : ऐसी बात नहीं है, हवलदारों को मिले हैं, सूबेदारों को मिले है, नायब सूबेदारों को मिले हैं।

श्री विजयसिंह रावत : जितने भी २९३ प्लॉट्स अलॉट किये गये वे हाई रैंक्स के ऑफिसर्स को किये गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: इसके सम्बन्ध में सूची तैयार है, उससे जानकारी कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रैंक वाइज ब्रेक-अप दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अगर सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई हो तो रख दी जाये।

श्री विजयसिंह रावत : क्या राजस्थान के मंत्री भी सैनिकों में आते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

नेक्स्ट।

न्यायालयों में काम में आने वाले फॉर्म्स आदि का मुद्रण एवं बिक्री की व्यवस्था

४७८. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) न्यायालयों में काम में आने वाले सम्मन व नोटिस के सेलेबल फॉर्म्स के मुद्रण की राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है और उनके विक्रय हेतु क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि इस प्रकार के सेलेबल फॉर्म्स बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं हैं ?

(३) जयपुर नगर में इस प्रकार के फॉर्म्स के बेचे जाने की क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) न्यायालयों में कार्य में आने वाले सम्मन व नोटिस के सेलेबल फॉर्म्स अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा मुद्रित किये जाते हैं तथा विभिन्न स्थानों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा प्रेस से प्राप्त किये जाते हैं। लाइसेन्स स्टाम्प वेन्डर्स चाहे गये सेलेबल फॉर्म्स की कीमत ट्रेजरी चालान के द्वारा ट्रेजरी ऑफिस में जमा करवाते हैं तथा उन चालानों की एक प्रतिलिपि नाजिर के समक्ष प्रस्तुत कर फॉर्म्स प्राप्त करते हैं तथा वे उन फॉर्म्स को बेचने का कार्य करते हैं।

(२) पिछले दिनों कुछ समय के लिये इन फॉर्मों के स्टॉक में कमी आ गई थी मगर अब फॉर्म्स पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो चुके हैं।

(३) जयपुर नगर में इस प्रकार के फॉर्म्स के बेचे जाने की वही व्यवस्था है जो राजस्थान के अन्य स्थानों पर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या सरकार इस बात पर विचार करने को तैयार है कि जो सरकार की तरफ से फार्म्स अवेलेबल होते हैं उनसे ये फॉर्म्स कम से कम पांच गुने ज्यादा महंगे है और पहले जो फॉर्म्स मिलते थे वह सस्ते थे ?

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं इसको एग्जामिन करवाकर जल्दी से जल्दी इन्तजाम करा दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार को मालूम है कि खसरा गिरदावरी के इन्तखाब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिये जाते हैं उसके फॉर्म्स भी उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को एक-एक फॉर्म के लिये बहुत खर्च करना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फॉर्म्स से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : विधि विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

झुंझुनू जिले के गांवों का विद्युतिकरण

४७९. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झुंझुनू जिले में १६६७-६८ में कौन-कौन से गांवों का विद्युतिकरण करने की योजना है ?

(२) पंचायत समिति, उदयपुरवाटी क्षेत्र में इनमें से कौन-कौन से गांव आते हैं ? यदि कोई गांव नहीं आता है तो इस क्षेत्र का एक भी गांव विद्युतिकरण की योजना में शामिल नहीं करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उदयपुरवाटी क्षेत्र में पानी की सतह ऊंची होने तथा जमीन अच्छी होने के कारण बिजली की अधिक उपयोगिता है ? यदि हां, तो बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उदयपुरवाटी क्षेत्र के मौड की रघुनाथपुरा पोसावट, बामलास आदि कई गांव १६६७-६८ की योजना में शामिल कर लिये गये थे और बाद में किन्हीं कारणों से उन गांवों को योजना से निकाल दिया गया है ?

राज्य मन्त्री, विद्युत (श्री जयकिशन शर्मा) : (१) बिजली की भारी कमी होने के कारण किसी भी नये गांव के विद्युतिकरण की योजना नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) बिजली की भारी कमी होने के कारण।

(४) बिजली की कमी व आर्थिक साधनों के अभाव में योजना कार्यान्वित न हो सकी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके भाषण तो कम नहीं हो रहे हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : बिजली की कमी होने के कई कारण होते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : जिन गांवों से होकर बिजली जाती है उनको इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : पिछले दिनों किसी भी नई लोकेलिटी को बिजली देने का प्रोग्राम नहीं था। इस वर्ष जहां-जहां ११ के. वी. लाइन जाती है वहां आने वाले गांवों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री रामकिशन (बैर) : ११ के. वी. लाइन डालने के आधार क्या थे ? किस को प्राथमिकता दी गई, कृषि को, उद्योग को या और कोई आधार था ?

श्री हरिदेव जोशी : कृषि की उपयोगिता के लिये और उद्योगों की उपयोगिता के लिये, दोनों को बैलेंस करके दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी विशेष वजह से ११ के. वी. लाइन डाल दी मन्त्री महोदय के हुक्म से और बाद में उसको जस्टीफाई करते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां-जहां बन गया है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

Page No.23

श्री शिवनार्थसिंह : उदयपुरवाटी में पक्षपात की वजह से कनेक्शन नहीं दिये गये, एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया, जहां आवश्यकता है वहां तो इलेक्ट्रिफाई नहीं करते और पक्षपात करके कनेक्शन लगाये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी अगर आप जानकारी देंगे तो एक्शन लिया जायेगा और जहां तक नये कनेक्शन का सवाल है मैंने निवेदन किया कि अगले वर्ष के अन्दर प्रोवीजन कर रहे हैं और जितने गांवों को हो सकेगा उनको देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री शिवनार्थसिंह : ऐसे गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया गया है जहां पर जरूरत नहीं थी, और जहां जरूरत थी वहां नहीं किया गया है ? बड़े-बड़े अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को ही कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप बेहतर तो यह होता कि मुझसे स्पेसेफिक क्वेश्चन पूछते और मैं उनका जवाब देता। मैं अब इसकी जांच कर के बताऊंगा और अगर कोई बात होगी तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिनके उपज काफी होती है, उनके पास भी अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी जनरल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता।

श्री मदनसिंह दांता : इसके बारे में आपके पास कोई लिस्ट दी गई हो तो क्या आप उसमें से प्राथमिकता देने को तैयार हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कल दोपहर को तो आपने लिस्ट दी है और आज जवाब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे तो ताईद कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जहां कृषि में बराबर वृद्धि हो रही है वहां तो गांवों में बिजली नहीं दी गई है और जहां खारा पानी है वहां बिजली लेजाई जा रही है। कई जगह पर पंचायतों में प्रस्ताव पास किये गये हैं, विभागों ने सर्वे नहीं किया है, लाइन ठीक बताई गई है वहां तो बिजली नहीं दी गई है। इस सदन में यह प्रश्न बार-बार पूछा गया है। यह जो सूची मिली है उससे भी स्पष्ट है।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान के प्रत्येक गांव को इलेक्ट्रिफाई करना है अन्तिम रूप से तो। खारा पानी है वहां चली गई और जहां कृषि में उत्पादन-वृद्धि हो रही, वहां नहीं गई है। यह तो सब जगह जाने वाली है।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन वहां उत्पादन वृद्धि कैसे हो गई ?

श्री हरिदेव जोशी : वहां कोई अन्य कारण हो सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : चुनावों के कारण ही वहां लाइन गई है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस गांव में कृषि उत्पादन हो रहा है, वहां, अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। जहां बीज उत्पन्न होते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने, जिला परिषद् ने, पंचायत समिति ने, कलेक्टर ने, सबने रिकमण्ड कर दिया है लेकिन चूंकि वहां के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्स. ई. एन. नाराज हैं इसलिये बिजली नहीं जायगी। वहां डेवलपमेन्ट अधिकारी ने भी रिकमन्ड कर दिया। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं। अलवर में ग्राम नारड़ी है वहां इसलिये बिजली नहीं गई कि एक्स. ई. एन. नहीं चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि प्राथमिकता उन गांवों को दी जायगी जहां से इलेविन के० वी० लाइन जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शीशराम !

प्रश्न संख्या ४८०.

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री शीशरामजी के प्रश्न का जवाब दिलवा दिया जाय, बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ की परीक्षाओं को मान्यता

श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) [**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ की परीक्षाओं को विभागीय परीक्षाओं एवं बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन, अजमेर की परीक्षाओं के समकक्ष अग्रेतर अध्ययन एवं राजकीय सेवाओं हेतु मान्यता प्राप्त नहीं है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : यह सही है कि इस सम्बन्ध में परीक्षाओं की समकक्षता के लिये कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह : यह कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री शिवचरण माथुर : यूनिवर्सिटी और बोर्ड को लिखा गया है। एक का उत्तर आया है और उन्होंने यह कहा है कि दसवीं क्लास है वहां के जो एग्जामिनेशन हैं वह पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं हैं इसलिये मान्यता नहीं दी जा सकती है। अजमेर बोर्ड का उत्तर आना बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : विश्वविद्यालय ने जो राय दी है, सरकार ने क्या विचार किया है, उस पर ?

श्री शिवचरण माथुर : दोनों की राय आने पर सोचा जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि छात्रों में बड़ा असन्तोष है, चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के बारे में ? बाहर के छात्र आकर इसमें भरती होते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, तीनों यूनिवर्सिटी और अजमेर बोर्ड का उत्तर आने पर विचार किया जायगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड और यूनिवर्सिटी ही फाइनल ऑथोरिटी है। इन सब संस्थाओं का उत्तर आने पर ही विचार किया जा सकता है। आज कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इस सम्बन्ध में आपकी निजी राय क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : निजी राय का प्रश्न ही नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एक साल के अन्दर निर्णय हो जायगा ? क्या सरकार कोई आश्वासन दे सकती है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया कि चारों संस्थाओं का उत्तर आने के बाद ही कहा जा सकता है। जहां एडवान्स पढ़ाई का सवाल है वहां उनके भविष्य के बिगड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : साल भर में इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लें तो क्या आप सरकार कहलाने योग्य है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई !

सांचोर की जलप्रदाय योजना

४८१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर जलप्रदाय योजना अभी तक अपूर्ण है ? क्या यह भी सत्य है कि मीठे पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) सांचोर में जलप्रदाय योजना पूरी करवाई जाकर जनता को मीठा पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि पावर की सप्लाई नहीं होने से जनता को मीठा पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है ? अगर हां तो इस समस्या का हल कब तक निकल सकेगा ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, क्योंकि नये नल कूप पर अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। अतः जल वितरण चालू नहीं किया गया।

(२) नये नल कूप पर बिजली के कनेक्शन के प्राप्त होते ही मीठा पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(३) जी हां, बिजली विभाग से लिखा-पढ़ी जारी है। बिजली विभाग द्वारा लाइन डालने का एस्टीमेट किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बिजली विभाग की कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्रीमती सुमित्रा : हमने नवम्बर में उनको लिखा है और बार-बार रिमाइन्डर दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी कार्यवाही हो चुकी है, किन्तु बिजली विभाग बिजली देने में असमर्थ है तो क्या राज्य सरकार यह उचित समझेगी कि पम्पिंग सेट लगाकर आपके लेवल पर शुरू करायेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्ष जी, पम्पिंग सेट्स में ज्यादा खर्च लगता है, करीब ७०-८० हजार रुपये खर्च होते हैं जबकि बिजली विभाग अपनी लाइन लगवाये तो उसमें करीब २५-३० हजार रुपया खर्च आता है। ऐसी हालत में पम्पिंग सेट्स लगाकर जलप्रदाय योजना को शुरू करना ठीक नहीं है और फिर वह तो खर्च गांव वालों को ही

Page No.26

(श्रीमती सुमित्रा)

वहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझती हूं ज्यादा अच्छा यही होगा बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन किया जाकर कार्य चालू करवायें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिजली विभाग वालों ने कितने रुपये मांगे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : बिजली विभाग वाले रुपया हमसे नहीं मांगते हैं। फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट को लिखते हैं। वहीं से बिजली वालों को....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस मामले में जानकारी सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फतेहसिंह !

थाना जवाजा में दर्ज गेहूं का मामला

४८२. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह बात सही है कि ग्राम जवाजा, थाना जवाजा (जिला अजमेर) के श्री घीसूलाल महाजन के मकान में ५३ बोरी गेहूं पकड़ा गया और उसके विरुद्ध एक एफ० आई० आर० संख्या १५, दिनांक १-६-१९६७ दर्ज हुई ?

(२) क्या यह बात सही है कि ए० डी० एम० ने सरकारी पक्ष को सुने बिना जब्त-शुदा गेहूं को मुल्जिम को वापसी के आदेश दे दिये और मुल्जिम से गेहूं की कीमत भी जमानत के रूप में जमा कराने को नहीं कहा गया ?

(३) क्या यह बात सही है कि इस केस की सारी फाइल को थाने से राजस्थान सचिवालय में मंगाई गई और सत्ताधारी दल के नेताओं तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) यह इस अन्तर के साथ सत्य है कि बोरियां गेहूं ५० थीं न कि ५३। श्री शम्भूसिंह इनफार्समेन्ट इन्सपेक्टर ने ५० बोरी गेहूं श्री घीसूलाल महाजन के मकान से बरामद कर सूचना थाना जवाजा पर दी। थाना जवाजा पर इस सूचना का अपराध सं० १५ दिनांक १९-६-६७ धारा ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हुआ।

(२) यह सही नहीं है कि गेहूं की बोरियां सुपुर्द करने का आदेश अतिरिक्त जिलाधीश ने दिया था न कि उप-जिलाधीश ने। अतिरिक्त जिलाधीश ने सरकारी पक्ष को तीन मौके सुनने को दिये परन्तु सरकारी पक्ष का अभियोजक उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसकी अनुपस्थिति में ९२५०) रु० के जमानतनामे पर गेहूं सुपुर्द कर दिया गया।

(३) यह तथ्य नहीं है कि इस अभियोग की फाइल राजस्थान सचिवालय में मंगाई गई हो और न मुकदमें को दबाया जा रहा है। तथ्य यह है कि अभियोग का अनुसन्धान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जो वहां पेन्डिग है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह!

Page No.27

(१२ मध्याह्न)

महिला शिक्षा सदन, हटूण्डी

४८३. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि महिला शिक्षा सदन, गांधी आश्रम हटूण्डी, अजमेर के समस्त अध्यापकगणों को यह कह कर कि इस विद्यालय को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, सर्विस से मार्च, १६६७ से निकाल दिया है ?

(२) क्या उक्त विषय में संयुक्त मंत्री, महिला शिक्षा सदन हटूण्डी अजमेर ने विद्यालय के समस्त अध्यापकों को सर्विस से मुक्त करने का कोई पत्र दिनांक १४-४-६७ को लिखा था ? अगर हां, तो पत्र में सर्विस मुक्ति के कारण क्यों नहीं बताये गये ?

(३) क्या सरकार उक्त विद्यालय से समस्त अध्यापकों को सेवा-मुक्त करने के कारण विस्तार में सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने कोई शिकायत इस अन्यायपूर्ण रवैये की अतिरिक्त संचालक प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को की थी ? अगर हां तो कब और उस पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के समस्त अध्यापकों से अभी तक गैर-कानूनी तौर पर १० प्रतिशत, १२॥ प्रतिशत एवं १७॥ प्रतिशत रकम कटौती करके शिक्षा सदन का मैनेजमेन्ट लेता था ? अगर हां तो किन कारणों से एवं किस आधार पर ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के मैनेजमेन्ट को जब अध्यापकों ने उक्त गैर-कानूनी कटौती देने से इन्कार कर दिया तो उन्हें सेवा से मुक्ति-पत्र जारी करके निकाल दिया ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त सदन के मैनेजमेन्ट ने अध्यापकों से रकम काटकर उन्हें मकान किराये को नाजायज, जब कि वे क्वार्टर्स में नहीं रहते, रसीदें लेने पर मजबूर किया ?

(८) क्या यह सही है कि उक्त सदन के मैनेजमेन्ट ने अध्यापकों को पिछले १२ वर्ष से सेवा में लगा रखा है ? अगर हां, तो एकाएक सेवा मुक्त करने के क्या कारण हैं ?

(९) क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैनेजमेन्ट से गैर कानूनी तौर से अध्यापकों के वेतन से काटी गई धनराशि वापिस दिलाने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

(१०) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को चलाने के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सहायता मिली थी ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कितनी-कितनी एवं किसके द्वारा यह धन इस विद्यालय को दिया गया ?

(११) क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैनेजमेन्ट से गैर-कानूनी तौर एवं अकारण हटाये गये समस्त अध्यापकों को कम्पन्सेशन देकर वापिस सर्विस में नियुक्त करने का विचार रखती है ?

Page No.28

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) यह सत्य है कि अध्यापिकाओं को नौकरी से अलग करने के नोटिस दिये गये थे परन्तु ये नोटिस महिला सदन के पत्र दिनांक १३-५-६७ के द्वारा वापिस ले लिये गये हैं।

(२) नोटिस में कारण नहीं दिये गये थे।

(३) नोटिस वापिस ले लिये गये हैं अतः प्रश्न नहीं उठता।

(४) विभाग की कार्यवाही पर सब नोटिस वापिस ले लिये गये हैं।

(५) माह मार्च के वेतन का भुगतान सभी अध्यापकों को कर दिया गया है केवल दो हायर सैकण्डरी तथा दो एस० टी० सी० स्कूल की अध्यापिकाओं का वेतन जो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया, कन्या विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में जमा करा दिया है, जिसमें कोई कटौती नहीं दिखाई है।

(६) केवल एक अध्यापिका के सिवाय किसी और अध्यापिका को निकालने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वह अध्यापिका अप्रशिक्षित होने के कारण निकाली गई है।

(७) जी हां। लेकिन वह उनके इकरारनामे की शर्त के अनुसार है।

(८) जब नोटिस वापिस ले लिये गये हैं तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(९) चुकारा किया जा चुका है।

(१०) सन् ६६-६७ से महिला शिक्षा सदन, हटूण्डी के अधीन चलने वाली संस्थाओं को धनराशि दी गई है, वह निम्नांकित है। भारत सरकार से मिली राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

१. महिला शिक्षा सदन हा० से० स्कूल ४७८२२)
२. ,, बी० एस० टी० सी० २७२२०)
३. ,, मिडिल स्कूल १६२११)
४. ,, सरदार बाल मन्दिर २९९१)

(११) हटाये जाने वाली अध्यापिकाओं के नोटिस वापिस ले लिये हैं अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का भाग १० है उसमें पूछा था कि उक्त विद्यालय को चलाने के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सहायता मिली थी, किस-किस तारीख और कितनी धनराशि और किसके द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो धन मिला है वह सूची मेरे पास है। राज्य सरकार द्वारा कितना दिया गया है वह सूची नहीं मिली।

श्री शिवचरण माथुर : वह मैंने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया है।

श्री विजयसिंह रावत : ६४-६५ में १ लाख रुपया डेवलपमेन्ट के लिये मिला वह किस-किस मद में क्या डेवलपमेन्ट कर यूटिलाइज किया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : ६५-६६ की जानकारी मेरे पास नहीं है, आपने ६६-६७ की चाही है वह मैंने दे दी है।

श्री विजयसिंह रावत : जो धन भारत सरकार से मिला डेवलपमेन्ट के लिये वह धन इस संस्था ने किस प्रकार के डेवलपमेन्ट में खर्च किया ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी मेरे पास नहीं है, जानकारी करके आपको दे दूंगा ।

श्री विजयसिंह रावत : इस संस्था को लोन फोर होस्टल, लोन फोर इक्विपमेन्ट १.१५ हजार की धनराशि बिल्डिंग के कन्स्ट्रक्शन के लिये, इक्विपमेन्ट के लिये खर्च की गई या नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बता सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी प्रश्न द्वारा चाही है वह मैंने दे दी है, यह प्रश्न अलग से है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री विजयसिंह रावत : ३,७८,३१० रुपया भारत सरकार से मिला, पचास हजार के करीब स्टेट गवर्नमेन्ट से मिला । यह धनराशि किस प्रकार खर्च की गई, क्या इसका अब तक ऑडिट हुआ है या ऑडिट करने की मन्शा है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसका ऑडिट करा लिया जायगा ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या गवर्नमेन्ट आदेश देगी इसका जल्दी ऑडिट करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आदेश का प्रश्न नहीं, यह तो होता है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यापिकाओं की जो शिकायत थी जिनके कारण उनको सेवा-मुक्त किया गया वह यह थी कि उनका अधिक वेतन दिखाकर उनको कम वेतन दिया जाता था, क्या विभाग द्वारा इसकी जांच की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है । मैंने निवेदन किया वेतन में कोई कटौती नहीं की गई । जो वेतन दिया गया वही लिखा गया ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि १०, १२॥ और १७॥ प्रतिशत वेतन में कटौती करके दिया जा रहा है—इस तरह की शिकायत ११ अध्यापकों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स को की थी जिसकी एक प्रति शिक्षा मन्त्रीजी को भी दी गई ?

श्री शिवचरण माथुर : डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स ने जांच करके ही यह कहा है कि पूरा वेतन दिया गया । उसी के साथ-साथ मैंने यह भी बताया कि दो टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली वह इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स में जमा करा दी हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : उन टीचर्स को ११ तारीख को नोटिस दिया गया उसमें दस एस० टी० सी० के टीचर्स भी थे जिन्होंने अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक पेम्फ्लेट छपवाकर सभी सदस्यों में बांटा है, शिक्षा मन्त्री को भी दिया है । क्या आपके पास ऐसी शिकायत आयी है ?

दूसरा उन शिक्षकों ने यह भी शिकायत की थी क्या कि उनके वेतन से कटौती करने के बाद भुगतान किया जाता है ? इसका उन अध्यापकों ने विरोध किया उसी के कारण उनको सेवा-मुक्ति का नोटिस दिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने उत्तर दिया शिकायत आई थी । विभाग ने कार्यवाही की । उस कार्यवाही के कारण नोटिसेज वापिस ले लिये गये ।

Page No.30

श्री भैरोंसिंह : जांच के दौरान क्या शिक्षकों की शिकायत झूठी पायी गई ?

श्री शिवचरण माथुर : जिस साल के लिये प्रश्न पूछा गया उस साल में कटौती नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत की जांच की गई उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री शिवचरण माथुर : कटौती नहीं की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या यह सही है कि प्राइवेट संस्थाओं में अमूमन मास्टरों को तनख्वाह जो दी जाती है वह पूरी नहीं दी जाती है ? क्या ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों को सरकार सीधे अपने यहां से तनख्वाह चुका दे ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास जिस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना आयी वह मैंने बता दी इसको जनरल बनाकर सबके लिये कहना कि पूरा वेतन नहीं दिया जाता है इस प्रकार के वेग प्रश्न से कोई लाभ नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन टीचर्स ने शिकायत की थी जांच में यह पाया गया क्या कि उनको जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें से बिल्डिंग फण्ड के नाम पर पैसा काटकर बाकी का पैसा दिया जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर : इस जांच के फैक्ट्स उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल ही यह था उनकी तनख्वाह में से कटौती इस तरह से की जाती है, पूरी तनख्वाह पर तो दस्तखत करा लेते हैं और कुछ रकम बिल्डिंग फण्ड के नाम से बताकर और अन्य फण्ड के नाम पर काट कर जमा कर लेते हैं, टीचर्स के नाम से यह बातें आपके नोटिस में आयी हैं क्या ?

श्री विजयसिंह रावत : ३६ हजार ६८१ रुपये ३ पैसे की जो सूची दी है क्या इसके लिये आप जांच करने को तैयार हैं, उस पैसे से संस्था से जिसका कोई ताल्लुक नहीं उससे प्रोपर्टी खरीदी है, जमीन खरीदी है ? १ लाख रुपया सेन्टर से जो मिला संस्था के डेवलपमेन्ट के लिये वह नहीं कर १५००-१५०० रुपये की भैंसें खरीदी हैं डेयरी के लिये--इस सम्बन्ध में आप माइनूटली जांच करवायेंगे ताकि सही पिक्चर सदन के सामने आ सके ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : साथ ही मुझे भी एक प्रश्न पूछना है।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो यूटीलाइजेशन के बारे में भारत सरकार ने जो कार्यवाही की है उसकी जानकारी कर लूंगा और आपको दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर ?

श्री अध्यक्ष : तनख्वाह पूरी देकर पूरी पर हस्ताक्षर कराकर अधूरी दे देते हैं वह प्रश्न है आपका केवल।

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न के भाग ५ में लिखा है कि समस्त अध्यापकों से अभी तक गैर-कानूनी तौर पर दस प्रतिशत, चाहे बिल्डिंग फण्ड में हो, इसी से आपका मतलब हो सकता है, १२॥ प्रतिशत एवं

Page No.31

(श्री शिवचरण माथुर)

१७॥ प्रतिशत रकम कटौती करके शिक्षा सदन का मैनेजमेन्ट लेता था। अगर लेता था तो किन कारणों से एवं किस आधार पर ?

इसके उत्तर में मेरा स्पष्ट निवेदन यह है कि माह मार्च के वेतन का भुगतान सभी अध्यापकों को कर दिया गया है। केवल दो हायर सेकण्डरी तथा दो एस. टी. सी. स्कूल की अध्यापिकाओं का वेतन जो उन्होने लेने से इन्कार कर दिया कन्या विद्यालय निरीक्षका के कार्यालय में जमा करा दिया है। मैंने जो निवेदन किया इसमें तो कोई कटौती नहीं दिखाई गई है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मुझे एक प्रश्न पूछना है, अध्यापकों ने वेतन लेने से इन्कार किस आधार पर किया ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : जानकारी आपको करनी चाहिये थी। क्या आप आश्वासन देंगे कि इस तरह की कटौती की प्रवृति की आप पूरी जांच करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रणाली को मैं बुरा मानता हूं कि कोई संस्था किसी को दे कुछ और लिखावे कुछ, और ऐसे मामले अगर साबित होते हैं तो हम बहुत सख्त कार्य-वाही करते हैं। यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्रीजी राजस्थान में एक भी प्राइवेट संस्था ऐसी बता सकते हैं जिसको आप ग्रान्ट-इन-एड देते हों और जो इस दूषित प्रणाली को न अपनाती हो ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : बहुत जरूरी प्रश्न है इसमें।

क्या मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि अगर जैसा आप कहते हैं कि कटौती नहीं की गई तो बिल्डिंग फण्ड के नाम पर छपी रसीदों का अकाउन्ट देखने के बाद आप यह कह रहे हैं या केवल अध्यापकों या किनके कहने से कह रहे हैं कि इस तरह की कटौती नहीं की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : यह मैंने तो नहीं देखा है पर विभाग के अधिकारियों ने जो सूचना व जानकारी दी है वह मैंने आपको दी है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्डिंग फण्ड की रसीदों को देखा है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : आप किसी के लिये स्पेसिफिक कह रहे हों तो जानकारी और करवा लूंगा।

स्थगित प्रश्न

(२३-२-६८)

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान

२५३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६६६-६७ में गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कितनी धनराशि ग्रान्ट-

Page No.32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन-एड के रूप में दी गई ? जिलानुसार दी गई कुल धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) गत ५ वर्षों में प्रत्येक जिले को कुल कितनी धनराशि ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दी गई ?

(३) जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर शहरों में गत ५ वर्षों में कॉलेजों को दी गई ग्रान्ट-इन-एड का विवरण देने की कृपा करें।

(४) खण्ड ३ में दी गई ग्रान्ट-इन-एड के दुरुपयोग की शिकायत किस-किस की बाबत प्राप्त हुई और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है जिसकी जांच स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट द्वारा की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के द्वारा दुरुपयोग की शिकायत राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई और उसको जांच कौन कर कर रहा है और कब से कर रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : तारीख तो निश्चित मालूम नहीं है। पर इतना ज्ञात है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट इसकी जांच कर रहा है। यह मामला राज्य सरकार के सामने भी आया था कि उन्होंने अधिक रकम ड्रॉ की है और उसकी वसूली की कार्यवाही सरकार के सामने जरूर है और दूसरी जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वह स्पेशल पुलिस कर रहा है। उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार के द्वारा दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में भी शिकायत हुई है ? ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र किया गया था।

श्री शिवचरण माथुर : उसी की वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत प्राप्त होने पर, ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और शिक्षा विभाग से लिखित रूप में शिकायत करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को अनुदान क्यों दिया जाता रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सत्य है। अनुदान केवल एड्हॉक बेसिस पर दिया गया है वेतन देने के लिये अध्यापकों का।

श्री भैरोंसिंह : जिस एड्हॉक बेसिस पर दिया गया है, नियमानुसार गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अभाव में आप नहीं दे सकते, पर उसे देने के लिये इस नियम को वेव ऑफ किया है ?

Page No.33

श्री शिवचरण माथुर : एड्हॉक देने के साथ ही जो एक्सैस ड्रॉ कर लिया है वह रुपया भी वसूल कर लिया जावे इसलिये भी दिया गया है और इसलिये दिया गया है कि अध्यापकों को वेतन देना आवश्यक था।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है। सवाल ग्रान्ट-इन-एड के नियम का है। नेक्स्ट ईयर के लिये ग्रान्ट-इन-एड देने से पहले पूर्व वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सरकार को मिल जानी चाहिये यह अऐसेन्शियल शर्त है इन रूल्स के अन्तर्गत। इसको इस महिला विद्यालय के मामले में वेव ऑफ क्यों किया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : वेव ऑफ इसी हद तक किया गया है जहां तक टीचर्स को सेलरी देने का सवाल है। उनको वेतन दिया जाना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। यदि विद्यालय के मैनेजमेन्ट ने गलती की है तो अध्यापक उसके लिये पैनेलाइज न हों तो इस कारण एड्हॉक एड कॉलेज को देना था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के जो नियम बने हैं ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही एड दी जा सकती है इस आधार पर बने हैं ? इन रूल्स के अन्तर्गत सरकार ने अपने पास भी रूल्स के अनुसार कोई डिस्क्रेशनरी पॉवर नहीं रखी है कि वह इन रूल्स को, इस शर्त को वेव कर सके ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार तो वेव कर ही सकती है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में अमेन्डमेन्ट करके ही कर सकती है। पहले नहीं। रूल्स में आपने अमेन्डमेन्ट किया नहीं और उसके अन्तर्गत डिस्क्रेशनरी पॉवर नहीं लिये तो फिर कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि टीचर्स को तनख्वाह चुकाने के लिये ही ग्रान्ट-इन-एड के अन्तर्गत एड्हॉक बेसिस पर रकम दी गई फिर रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग दोनों तरह की रकम कैसे दी गई ?

श्री शिवचरण माथुर : यह तो इस साल की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस साल की नहीं। ६६-६७ की है। सवाल इस बात का है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद आपने फरमाया कि एड्हॉक बेसिस पर टीचर्स को तनख्वाह चुकाने के लिये ही दी। फिर ६६-६७ में रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग दोनों प्रकार की ग्रान्ट कैसे दी ?

श्री शिवचरण माथुर : ६६-६७ का तो आता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आता क्या नहीं है ? आपने लिस्ट दी है। लिस्ट पढ़कर आइये फिर।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यापकों के वेतन चुकाने की समस्या थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अध्यापकों के वेतन की बात नहीं पूछ रहा हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही श्री भैरोंसिंहजी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि एड्हॉक बेसिस पर अध्यापकों के वेतन चुकाने के लिये रकम दी थी और यह सरकार का फर्ज था देना इसलिये दी। यह आपने अभी दो मिनिट पहले कहा था। अब जब आपने माना कि टीचर्स की तनख्वाह चुकाने के लिये ही एड दी तो फिर नॉन-रेकरिंग क्यों दी संस्था को मदद ?

(अनुत्तरित)

Page No.34

श्री विजयसिंह रावत : पढ़वा लें किसी से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मान लें ऐसा किया तो सरकार की गलती हो गई ।

श्री विजयसिंह (मकराना): दूसरा मन्त्री नियुक्त कर दिया जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलती मानने में आप संकोच क्यों करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ७१०८) रुपया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो हां। यह क्यों दिया फिर नॉन-रेकरिंग ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल और है, अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने ६६-६७ में अनावर्तक अनुदान राशि जो जिलेवार दी है ११ जिलों को दी है सेकण्डरी स्कूलों को तो क्या यह मान कर चला जावे कि बाकी जिलों में कोई भी अनावर्तक अनुदान ६६-६७ में नहीं दिया और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : नहीं दिया तो यह हो सकता है कि वहां संस्था ही न हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरी बात, यह आपने जो सूची प्रस्तुत की है इसमें क्या सरकार इसको उचित समझती है कि एक कॉलेज को ६६-६७ में ३ लाख १७ हजार दे दिये लगभग एक ही कॉलेज को ?

श्री शिवचरण माथुर : Which College ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर का दयानन्द कॉलेज । इसको आपने ३ लाख १७ हजार के करीब का रेकरिंग अनुदान दिया है । इतने सारे जिलों की सारी संस्थाओं को इग्नोर करके एक को ही इतना दे देना तो क्या नीति निर्धारित नहीं की है सरकार ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की सब जिलों की संस्थाओं को ?

श्री शिवचरण माथुर : जितना बड़ा काम होता है उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अनुदान देते हैं। दयानन्द कॉलेज पुराना है, प्रवृत्तियां बहुत हैं, इसके खर्चे को देखते हुए ही दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो ग्रान्ट-इन-एड कमेटी तय करती है ।

श्री शिवचरण माथुर : यह ग्रान्ट-इन-एड कमेटी ने तय किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. ए. सी. की रिपोर्ट, जो लोकसभा में प्रस्तुत होती है, उसमें महिला विद्यालय की जो शिकायत साबित हुई उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को भी लिखा गया था जांच करने के लिये तो क्या सरकार ने जांच प्रारम्भ की है और की है तो किस अधिकारी के द्वारा वह कराई जा रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जांच स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट द्वारा हो रही है और इस बारे में उत्तर देने की स्थिति में आज नहीं हूं।

Page No.35

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो कर रही है सेन्टर के तहत। इसमें लिखा है--पी. ए. सी. की रिपोर्ट में कि राज्य सरकार को जांच के लिये लिखा गया है तो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या कोई जांच कार्यवाही प्रारम्भ की है ?

श्री शिवचरण माथुर : स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट ही कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एस. पी. ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और महिला विद्यालय के सेक्रेटरी को प्रोसीक्यूट करने के लिये उसने राज्य सरकार को लिखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : प्राइवेट संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, अध्यापकों के वेतन वितरण के लिये या संचालकों को उस अनुदान को इधर-उधर कर के अपने निजी काम में लेने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! यह सब नियम में साफ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा और सदन से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपसे जो सूची मैंने मांगी सारे राजस्थान में एक संस्था जिसने अनुदान का दुरुपयोग किया है वह है राजस्थान की महिला विद्यालय। उसके सम्बन्ध में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की और उसके लिए राज्य सरकार को जांच करनी चाहिये थी वह आपने जांच नहीं की। मुझे दुःख इसी बात का है कि राज्य सरकार क्यों इतना फेवर दिखा रही है। इसलिये मैं कहूंगा कि फेवर इसलिये है कि उसके सेक्रेटरी श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत हैं और इसके पेटर्न राज्य के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं और ऐसी संस्था में घोटाले हों, राजस्थान में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं उसका पैटर्न नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब दुरुपयोग हुआ उस समय तो थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस समय भी नहीं था। मैं पैटर्न रहा ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसके क्या थे ? आप इस संस्था से एसोसियेटेड थे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक चार्ज लगाया है कि राजस्थान महिला विद्यालय का राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय से सम्बन्ध रहा है। आप उसके पैटर्न नहीं थे तो वर्किंग कमेटी में होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे, मैनेजमेन्ट में होंगे और आपने स्वीकार किया है कि आप इसके पैटर्न थे।

श्री रामकिशन : और कुछ नहीं थे तो चन्दा लाने वालों में थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप खड़े होकर कह दें कि आप नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप खड़े होकर कह दें कि आप नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हो गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर सब-डिवीजनों की डिस्पेन्सरीज एवं पब्लिक हैल्थ सेन्टर

४७०. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) सवाई माधोपुर सब-डिविजन में कितने डिस्पेन्सरीज़ एवं पब्लिक हैल्थ सेन्टर विद्यमान हैं और कहां-कहां ?

(२) सवाई माधोपुर सब-डिविजन की जनसंख्या क्या है और इस सब-डिविजन में किस-किस डिस्पेन्सरी अथवा पब्लिक हैल्थ सेन्टर पर डॉक्टर है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस सब-डिविजन में डॉक्टरों की वर्तमान संख्या से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर्स और नियुक्त करने का क्या विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सवाई माधोपुर सब-डिविजन में निम्नलिखित ४ डिस्पेन्सरीज एवं ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीचे लिखे स्थानों पर हैं:--

डिस्पेन्सरीज :—

१. मान टाउन डिस्पेन्सरी, सवाई माधोपुर।

२. पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी, सवाई माधोपुर।

३. राजकीय डिस्पेन्सरी, चौथ का बरवाड़ा।

४. राजकीय डिस्पेन्सरी, बालेर।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र :—

१. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोंली।

२. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खन्डार।

३. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतगढ़।

(२) सवाई माधोपुर की सब-डिविजनो की जनसंख्या सन् १६६१ की जनगणना के अनुसार २६६४५२ है, केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोंली में डॉक्टर है।

(३) जी नहीं, डॉक्टर उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आर. ए. एस. जिला परिवार नियोजन प्रशासन अधिकारी

९७३. श्री हीरालाल खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में कितने आर. ए. एस. अधिकारियों को जिला परिवार नियोजन प्रशासन अधिकारी लगाया हुआ है ?

(२) इनको जिले में क्या-क्या अधिकार हैं ?

(३) क्या ये अधिकारी इस कार्य में लाभदायक सिद्ध हुए हैं ?

उत्तर

(१) राज्य में प्रत्येक जिले में स्थित जिला परिवार नियोजन संगठन में आरम्भ से २६ आर. ए. एस. अधिकारी लगाये गये

Page No.37

(श्री चिकित्सा मंत्री)

थे किन्तु वर्तमान में नागौर एवं पाली में स्थान रिक्त होने के कारण केवल २४ अधिकारी ही कार्य कर रहे हैं।

(२) इनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक ड्यूटी चार्ट बनाया है। वह संलग्न है।

(३) सामान्यतः इन अधिकारियों की सेवाएं लाभदायक रही हैं परन्तु इन्हें अभी तक पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार न दिये जा सकने के कारण इनकी सेवाओं का अधिकतम उपयोग नहीं हो सका है। इन्हें अधिकार दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर गंगापुर सिटी में दवाई आदि पर व्यय

१७४. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगापुर सिटी की आबादी क्या है और वहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर १९६५-६६ और १९६६-६७ में कितना रुपया खर्च किया गया ?

दवाइयों पर कितना खर्च हुआ और स्टाफ पर कितना ?

उत्तर

गंगापुर सिटी की आबादी रेलवे कोलोनी को छोड़कर १८०६८ है। इसके अलावा रेलवे कोलोनी की आबादी ४४९३ है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर पर सन् १९६५-६६ में ३४,८३२.९८ व सन् १९६६-६७ में ३२,९२२.३३ न० पै० का व्यय हुआ।

स्टाफ व दवाइयों के व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

	सन् १९६५-६६	सन् १९६६-६७
स्टाफ	२७५८१.७४	२७८५१.५०
दवाइयां	७२५०.९४	४७७०.८३
	३४,८३२.९८	३२,९२२.३३

राजस्थान नहर विभाग की मशीनों के पुर्जों की चोरी के मामले

१७५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जुलाई, अगस्त ६६ में राजस्थान नहर विभाग की मशीनों के पूर्जों की चोरी करते हुए कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन मामलों में अदालत में चालान पेश किये गये ?

(२) इन मुकद्दमों में विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान नहर विभाग की जीप व ट्रैक्टर के पार्ट्स की चोरी श्री मोहनसिंह पुत्र श्री भूरसिंह कर्मचारी वर्कशॉप, राजस्थान नहर विभाग के द्वारा करने पर एक मुकद्दमा नं० १३९ ता० २४-७-६६ धारा ४११, ३७९ आई. पी. सी. थाना

(श्री गृह मंत्री)

सूरतगढ में दर्ज किया गया था। जिस पर बाद तफतीश अदालत में चालान पेश हो चुका है जो जेर अदालत है।

(२) राजस्थान नहर विभाग का एक कर्मचारी मोडूसिंह वर्कशॉप में चोरी करते हुए अपराधी पाया गया है।

ग्राम लहसर-चरन पहाड़ी मोड़ के बीच में खुर्रे पर पुलिया का निर्माण

१७६. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी रोड़ पर ग्राम लहसर और चरन पहाड़ी मोड़ के बीच एक खुर्रा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बोलखेड़ा बांध का पानी उक्त खुर्रे से गुजर कर अंग्रावली बांध में जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त खुर्रे पर पानी के तेज बहाव के कारण यातायात हफ्तों तक रुक जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त खुर्रे पर एक पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) अधिक पानी आने पर यातायात कुछ समय के लिये अवरुद्ध हो जाता है। यह कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नही है।

जिला श्रीगंगानगर की सड़कों की मरम्मत

१७७. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर की सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

सड़कों की मरम्मत के प्रावधान के अनुसार कार्य कराया जाता है किन्तु अर्थाभाव के कारण सभी सड़कों की संतोषजनक मरम्मत संभव नहीं है।

स्कूलों में कृषि एवं पशुपालन के ऐच्छिक विषय तथा उन पर व्यय

१७८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूलो मे से किस-किस स्कूल में कृषि एवं पशुपालन विषय के ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं एवं उन स्कूलों में प्रत्येक में वर्ष ६६-६७ मे कितने-कितने छात्र इन विषयों का अध्ययन करते थे ? प्रत्येक पाठशाला में इन ऐच्छिक विषयों के रखने से कितना-कितना रुपया किस-किस मद में व्यय हुआ ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

हायर सेकण्डरी स्कूल, ग्राम खादेड़ा में विज्ञान विषय की पढ़ाई

१७९. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति केकड़ी (अजमेर) के ग्राम खादेड़ा में हायर सेकण्डरी स्कूल खुले हुए कितने साल हो गए हैं ?

(२) क्या वहां पर आर्ट्स के अलावा अन्य विषयों में भी शिक्षा दी जाती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार वहां पर साइन्स का विषय पढ़ाने का विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) आसपास के स्थानीय छात्रों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या अति जल्दी वहां पर साइन्स का विषय खोलने का विचार करेगी ?

उत्तर

(१) ७-१-६१ को मिडिल स्कूल से हायर सेकण्डरी में उन्नत हुआ था।

(२) जी नहीं । क्योंकि भवन की कमी है ।

(३) जी नहीं । क्योंकि भवन की कमी तथा छात्रों की संख्या भी कम है ।

(४) आसपास में केकड़ी, सावर तथा सरवाड़ जो क्रमशः १६, ८ व १४ मील हैं, साइन्स विषय है । जहां पर साइन्स के विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

भीनमाल एवं जालोर के कॉलेज

१८०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीनमाल एवं जालोर में कॉलेज कब खोले गए ?

(२) इन कॉलेजों के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

(३) इन कॉलेजों के भवन सरकार द्वारा कब तक बना दिए जावेंगे ?

(४) क्या भीनमाल कॉलेज को कृषि कॉलेज बनाने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जुलाई १९६६ से।

(२) भीनमाल कॉलेज हेतु सन् ६६-६७ में ३५,००० रुपये अनावर्तक व्यय एवं जालोर कॉलेज में ६६-६७ में ४०,००० रुपये अनावर्तक व्यय किया गया।

(३) भीनमाल कॉलेज भवन का निर्माण श्री घमण्डीराम केवली जी गोवानी द्वारा किया जा रहा है । जालोर कॉलेज हेतु १,५०,००० रुपयों की धनराशि जनता द्वारा ट्रेजरी में जमा करादी है । निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(४) सरकार का भीनमाल कॉलेज को कृषि कोलेज बनाने का इस वक्त कोई विचार नहीं है ।

गढ़ भोमजी के सेकन्डरी स्कूल में विज्ञान व वाणिज्य विषय की पढ़ाई

१८१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गढ भोमजी, तहसील श्री माधोपुर में सेकण्डरी स्कूल में साइन्स व कॉमर्स की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए सरकार ने कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक भी साइन्स व कॉमर्स क्यों नहीं खोला गया और अब कब तक खोलने का विचार है ?

उत्तर

जी नहीं। आर्थिक स्थिति एवं सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति का गठन तथा उसका प्रतिवेदन

१८२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने हेतु शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और उसने अब तक क्या काम किया है ?

(२) समिति द्वारा मुख्य-मुख्य क्या सिफारिशें की गई हैं और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ? समिति के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए केवल शिक्षा निदेशकों को ही कहा गया है जो इस योजना को तैयार करने में संलग्न हैं। इनके द्वारा रूपरेखा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन सरकार राज्य स्तर पर करेगी।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले में बिजली की व्यवस्था

१८३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में अब तक कुल कितने सिंचाई के कुओं पर बिजली दी गई है ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) चूरू जिले में ऐसे कितने सिंचाई के कुए हैं जिनके लिए बिजली लेने हेतु विद्युत विभाग के पास प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है तथा कब-कब से और किस-किस के विचाराधीन है ?।

(३) चूरू जिले में ऐसी कितनी व कौन-कौन सी विद्युत लाइनें हैं जिनमें अभी तक लाइट या पावर कनेक्शन्स नहीं दिये गये है ? और क्यों ?

(४) इस जिले में सन् ६५ से ६७ के वर्षों में कौन-कौन सी विद्युत लाइनें पूरी की गई थीं ? क्या उन सब से जहां-जहां वे ले जाई गई हैं, गांवों, कुओं व घरो के लिये बिजली दे दी गई है ? यदि नहीं, तो कहां-

(श्री दौलतराम सारण)

कहां नहीं ? और क्यों नहीं ? किस-किस लाइन पर कितनी-कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन है और कब से व क्यों ?

(५) क्या उन सब लाइनों पर जिन-जिन गांवों में ले गई हैं, ट्रान्सफॉर्मर लगा दिए गये है ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या विद्युत् कनेक्शन्स न देने का कारण बिजली की कमी या उसमें काम आने वाले सामान की कमी या कन्जूमर्स की मांग का अभाव है ?

(६) क्या इन लाइनों की मन्जूरी से पहले भली भांति सर्वे की गई थी और क्या सर्वे में ये लाभदायक थीं ?

(७) डूंगरगढ़ तहसील में किन-किन लाइनों की अब तक सर्वे की जा चुकी है तथा कब-कब ? उस सर्वे का क्या परिणाम रहा ?

(८) चूरू जिले में उक्त सर्वे हुई लाइनों के बाद सर्वे करके या बिना सर्वे किए ही कौन-कौन सी विद्युत् लाइन खींची गई हैं तथा क्यों ? कृपया कारण स्पष्ट करें।

(९) अब कब तक इन सर्वेशुदा लाइनों पर बिजली दे दी जायगी ? क्या अब बिजली देने के नए कार्यक्रम में इन लाइनों को प्राथमिकता दी जायगी ?

(१०) क्या उक्त लाइनों से सम्बन्धित पंचायतों व पंचायत समिति ने मिनिमम गारन्टी लिखित में दे रखी है फिर भी बिजली नहीं दी जा रही है ? किन-किन ने कितनी कितनी गारन्टी दे रखी है ?

(११) क्या सिचाई हेतु कुए में बिजली मांगने वाले किसान से तीन हजार रु० पहले भरवाया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम या आदेश द्वारा। उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ? बिजली लेने के लिए क्या नियम या शर्तें हैं ? कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) चूरू जिले में अब तक कुल ६३ कुओं को सिचाई के लिये बिजली दी गई है। सूची 'अ' संलग्न है।

(२) चूरू जिले के गांवों में कुल ५९ प्रार्थना-पत्र कुओं के लिये विचाराधीन हैं पूरे ब्योरे के लिये सूची 'ब' संलग्न है।

(३) चूरू जिले में ऐसे २९ विद्युतिकरण किये हुए ग्राम हैं, जहां पर अभी तक लाइट व पॉवर के कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं। सूची 'स' संलग्न है। कारण भी इसी में दिये गये हैं।

(४) चूरू जिले में सन् १९६५ से १९६७ तक ५५ गांवों में बिजली की लाइनें पूरी की गई हैं। सूची 'द' संलग्न है। इनमें से २९ ग्रामों में अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जिनके नाम व कारण सूची 'स' में दिये गये हैं।

(५) इन गांवों में ट्रान्सफॉर्मर लगाने की तिथि सूची 'द' में दी गई है। जिन गांवों में बिजली नहीं दी गई है उनके मुख्य कारण कन्जूमर्स की मांग का अभाव या पैसे जमा नहीं कराना अथवा विभागीय कार्यवाही पूरी न करना है। जिसका विवरण संलग्न सूची 'स' में दिया गया है।

Page No.42

(श्री विद्युत् मंत्री)

(६) जी हां।

(७) डूंगरगढ़ तहसील में अब तक ३४ ग्रामों का सर्वे किया जा चुका है। जिसका विवरण संलग्न सूची 'ल' में दिया गया है।

(८) जिला चूरू में सभी गांवों का विद्युतिकरण सर्वे करने के पश्चात् ही किया गया है।

(९) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

(१०) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है।

(११) सिंचाई हेतु बिजली लेने के लिये प्रत्येक किसान को ३०००) रु० देने की आवश्यकता नहीं है वह किसान जो कि साधारण प्रॉयोरिटी के अलावा पहले बिजली लेना चाहता है। उसे ३०००) रु० अग्रिम राशि हेतु जमा करवाने पर अलग से प्रायोरिटी के मातहत, कनेक्शन दिया जाता है। वह अग्रिम राशि उस कनेक्शन के बिजली के बिलों के भुगतान में एडजस्ट कर ली जाती है। इस सम्बन्ध में जो आज्ञा प्रचालित की गई है। उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। कनेक्शन देने के लिए जो नियम हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले की चर्म उद्योग सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान

१८४. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर जिले में चर्म उद्योग की कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(२) उक्त समितियों को कितना-कितना ऋण व अनुदान किन-किन वर्षों में दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या उक्त सभी सहकारी समितियां आज भी चालू हैं ? यदि चालू नहीं हैं, तो क्यों ?

(४) क्या इन ऋण प्राप्त करने वाली समितियों से दिये गये ऋण की वसूली हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) कुल बकाया राशि कितनी और किन-किन समितियों की तरफ कितनी-कितनी रकम बाकी है ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में चर्म उद्योग की ४४ सहकारी समितियां हैं।

(२) जिन समितियों को ऋण दिया गया उसकी सूची संलग्न है।

अनुदान किसी को नहीं दिया गया।

(३) जी हां।

(४) ६ समितियों से पूरी वसूली हो चुकी है। बाकी समितियों से भी वसूली हुई है। जो बकाया बाकी है उसकी सूचना भाग २ के उत्तर मे दी गई तालिका में दी गई है।

(श्री उद्योग मंत्री)

(५) कुल बकाया राशि १०९६.२३ रु० है। यह सूचना संलग्न सूची के कॉलम ५ पर उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

ग्राम रिडी में बिजली की व्यवस्था

१८५. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील श्री डूंगरगढ़ के सबसे बड़े ग्राम रिडी में बिजली लगाने की कई बार मन्जूरी दी जा चुकी है? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है कि इस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई?

(२) इस ग्राम में कब तक बिजली लगाई जावेगी?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रिडी ने कई बार बिजली पहुँचाने के सम्बन्ध में मांग की? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(४) इस ग्राम को जो बिजली की लाइन दी जायेगी वह किस जगह से व किस तरफ से दी जायेगी?

उत्तर

(१) जी नहीं। यह ग्राम किसी भी स्वीकृत योजना में शामिल नहीं किया गया था।

(२) अभी निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) जी हां। परियोजना बनाई जा रही है।

(४) परियोजना बनने पर ही कहा जा सकता है।

बिजली की दरों में फर्क

१८६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में प्रत्येक जिले में बिजली की क्या दर है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों में बिजली की दरों में फर्क होने के कारण सरकार को प्रति वर्ष कई जिलों से बिजली सप्लाई करने में नुकसान हो रहा है और कई जिलों से मुनाफा हो रहा है?

यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितना-कितना नुकसान व किस-किस से फायदा हो रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या सरकार बिजली की दरों में जो फर्क चल रहा है उसको समान करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(१) बिजली की दरें राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल टेरिफ के अनुसार है जिसकी प्रति सदन की मेज पर दी गई है। वैसे राजस्थान राज्य में बिजली की दो प्रकार की दरें चालू हैं एक तो ऑइल्स और स्टीम टेरिफ जो कि उन स्थानों पर लागू है जहां पर मुख्यतः बिजली ऑइल या स्टीम स्टेशन

Page No.44

(श्री विद्युत् मंत्री)

से मिलती है (२) डीजल टेरिफ जो केवल डीजल स्टेशन से बिजली मिलने वाले क्षेत्रों पर लागू है।

(२) जिलेवार टेरिफ नहीं है अस्तु जिलेवार हानि लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

जसरासर ग्राम से साण्डवा के बीच बिजली की लाइन

२८७. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु०) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जसरासर ग्राम से साण्डवा के बीच बिजली की लाइन नहीं है ?

(२) क्या जसरासर से कातर, कातर से तेहन देसर, बम्बू से साण्डवा तक एवं आस पास के ग्राम बेरासर, सोनियासर, ईयारा, अमरसर (सुजानगढ़ तहसील) के गांवों का सर्वे करवा दिया गया है ? अगर हां, तो इन गांवों में कब तक बिजली लगादी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। जसरासर से लालगढ़ व साण्डवा से बम्बू तक की लाइनों का सर्वे हो गया है। ग्राम सोनियासर, ईयारा का सर्वे अभी तक नहीं हुआ। पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने पर किया जायेगा।

राजस्थान हाई कोर्ट में हिन्दी में कार्य

२८८. श्री रामकिशन (बैर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान हाई कोर्ट में हिन्दी कब से लागू करने का विचार है ?

(२) क्या इस संबंध में सरकार ने हाई कोर्ट से कोई सम्पर्क स्थापित किया है ? अगर हां तो कृपया उसका विवरण बतायें ?

(३) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार स्वयं हाई कोर्ट में हिन्दी लागू करना नहीं चाहती है ?

उत्तर

(१) इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय को राज्यपाल (राजप्रमुख) द्वारा उसकी कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति विज्ञप्ति संख्या एफ. बी. ११ न्याय दिनांक १४-२-५० द्वारा दी जा चुकी है। इसके अनुसार अपीलें, याचिकायें आदि हिन्दी में प्रस्तुत हो सकती हैं और सम्मन नोटिस आदि हिन्दी में जारी किये जाते हैं। २९-१-६८ से प्रशासनिक कार्य हिन्दी में प्रारम्भ कर दिया गया है। जहां तक निर्णय आज्ञायें व आज्ञप्तियों का प्रश्न है इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद ३४८ के अधीन संसद द्वारा विधि पारित होने पर हिन्दी का प्रयोग हो सकेगा।

(२) हाई-कोर्ट के परामर्श के पश्चात् ही राज्यपाल (राजप्रमुख) ने उच्च न्यायालय को उसकी कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग के लिये अनुमत किया था।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.45

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के विकास की योजना

१८९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं और उनमें अनुमानतः कितने प्राणी रहते है ?

(२) इन बस्तियों में से किन-किन बस्तियों के विकास की योजना अब तक बन चुकी है ?

(३) इन बस्तियों के विकास के संबंध में कुल कितने ज्ञापन जयपुर नगर जनसंघ के माध्यम से जिलाधीश, जयपुर को पेश किये गए और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(४) बिजली और पानी की सुविधा बस्तियों में उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कितनी धनराशि १-४-६७ से ३१-१२-६७ तक दी ?

(५) १९६७-६८ के वित्तीय वर्ष में कच्ची और गंदी बस्तियों के विकास पर खर्च करने हेतु कितनी धनराशि रखी गई थी ?

(६) क्या केन्द्रीय सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में इस दृष्टि से कोई अनुदान या ऋण प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो वह किन-किन नगरों में खर्च किया गया ?

(७) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के लिये १९६५-६६ व १९६६-६७ में २ करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से मन्जूरी हुई थी ? यदि हां, तो उस रुपये का क्या हुआ और उसमें से कितना रुपया कहां-कहां पर किस-किस प्रकार से खर्च किया गया ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जयपुर शहर में करीब ९१ कच्ची बस्तियां हैं इनमें अनुमानत : १,०५,००० प्राणी रहते हैं।

(२) इन बस्तियों में से १४ बस्तियों के विकास की योजना जिनकी सूची संलग्न है, बन चुकी है। शेष में से ११ कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाकर योजना बनाई जा रही है तत्पश्चात् शेष पर कार्यवाही भी की जायेगी।

(३) जिलाधीश, जयपुर को भिन्न २ व्यक्तियों द्वारा एक ही मजमून के कुल २५ ज्ञापन पेश किए गये। अध्यक्ष, न्यास ने नगर सुधार न्यास की एक विशेष बैठक दिनांक २३-१-६८ को बुलाई जिसके निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है।

(४) चालू वर्ष में ३१-१२-६७ तक ट्रस्ट से बिजली की सुविधा हेतु ५२,०००) रुपये की धनराशि राज्य विद्युत् मण्डल को भेजी है तथा साथ ही यह भी करार किया है कि विद्युत् मण्डल कच्ची पार्क विस्तार योजना तथा नाहरी का नाका पूर्व योजना में बिजली की सुविधा प्रदान करेगा। पानी की सुविधा हेतु ट्रस्ट ने जलदाय विभाग का ३,६३,०००) रु. की धनराशि का भुगतान किया है।

(५) १,२३,५००)

(६) जी नहीं।

(७) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

Page No.46

नोखा नगरपालिका क्षेत्र के हरिजनों को भूमि के पट्टे

१९०. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नोखा म्युनिसिपल क्षेत्र में हरिजन काफी समय से आबाद हुए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं दिये गये है, और स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के द्वारा उन्हें बेदखल किये जाने की कार्यवाही की गई थी ?

(२) क्या सरकार कम कीमत पर आबाद हरिजनों को पट्टा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) पालिका क्षेत्र में हरिजन काफी समय से आबाद हैं जिनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। बेदखली की कार्यवाही एविक्शन फ्राम प्रेमिसेज एक्ट, १९५४ के तहत सम्पदा अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा की गई है।

(२) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में दिनांक २७-४-५९, २१-२-६२, २९-१२-६४ को नियम प्रसारित कर दिये हैं। नियमों के अनुसार सम्बन्धित नगरपालिका के द्वारा कार्यवाही की जाती है।

झालावाड़ जिले की नगरपालिकाओं को सहायता

१९१. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु.): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले की किस-किस नगरपालिका को वर्ष १९६६ व १९६७ में कितनी-कितनी सहायता सरकार द्वारा दी गई है ?

(२) किस-किस नगरपालिका द्वारा उक्त सहायता का उपयोग किस-किस कार्य के लिये किया गया है ?

(३) उक्त अवधि में उक्त नगरपालिकाओं की अन्य आय कितनी-कितनी रही है ?

उत्तर

(१) झालावाड़ जिले की नगरपालिकाओं को वर्ष ६५-६६ व ६६-६७ में सरकार द्वारा सहायता निम्न प्रकार दी गई है :—

(१) झालावाड़	७३२१-००	प्रति वर्ष
(२) सूनेल	३२९३-००	,,
(३) भवानीमंडी	३९२३-००	६५-६६ में केवल
(४) झालरापाटन	४५६४-००	,,

वर्ष ६६-६७ में नगरपालिका, भवानीमंडी व झालरापाटन द्वारा गृह-कर की वसूली न करने से सरकार द्वारा सहायता नहीं दी गई थी।

(२) सहायता की राशि का उपयोग पालिका स्वेच्छानुसार कार्यों पर कर सकती है।

(३) नाम नगरपालिका

नाम नगरपालिका	आय ६५-६६ वास्तविक	आय ६६-६७ अनुमानिक
(१) झालावाड़	९८,६३३/-	१,३०,६४७/-

Page No.47

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(२) सूजैल ३१,९७४/- ३८,९२८/-

(३) भालरा- १,०५,९२८/- १,२५,९५१/- पाटन

(४) भवानी- २,१४,९२६/- ३,१६,२२०/- मण्डी

अलवर नगरपरिषद् को रिक्शों से आय

१६२. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर नगर में गत दो वर्षों में कितने नये रिक्शे लाये गये हैं ?

(२) इन रिक्शों के आने से सरकार को टैक्स द्वारा कितनी आमदनी हुई है ?

(३) नगरपरिषद् अलवर को इन रिक्शों से चुंगी की कितनी आय हुई ?

उत्तर

(१) नगर परिषद् अलवर में रिक्शा उप-नियमों के न होने से रिक्शों का पंजीयन नहीं होता है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(२८-२-६८)

छापर नगरपालिका के हरिजनों की बकाया तनख्वाह

१०४. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) छापर नगरपालिका के हरिजनों की तनख्वाह किस-किस की कितनी-कितनी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) छापर नगरपालिका के कर्मचारियों व सेक्रेटरी की तनख्वाह किस-किस माह की कितनी-कितनी किस-किस की बाकी है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

(१२.२० म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय, श्री जसराज के सम्बन्ध में सदन की मेज पर कुछ कागज रखेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक २९ फरवरी, १९६८ को स्थगित प्रश्न संख्या ३६३ का उत्तर देते हुए सदन में आश्वासन दिया था कि मैं श्री जसराज, सदस्य विधान सभा एवं भूतपूर्व निरीक्षक, आबकारी एवं कर विभाग के राजकीय बरखास्तगी के सम्बन्ध में सरकारी आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखूं। अतः मैं उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार) : इसकी तारीख क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर है, देख लें।

श्री भैरोंसिंह : सदन की मेज पर हम जायेंगे, आपको तकलीफ होगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे तकलीफ नहीं होती है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ी उद्विग्नता है।

(शासकीय वक्तव्य)

शक्कर वितरण सम्बन्धी खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : और दूसरे उद्विग्नता के प्रश्न हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कल शक्कर के वितरण के सम्बन्ध में सदन बड़ा उद्विग्न हुआ था। अतः सदन की यह इच्छा हो तो जैसा माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने कल कहा था कि इस प्रश्न को शीघ्रातिशीघ्र रखेंगे केबीनेट के सामने कुछ निर्णय हो सकेगा उसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट है सदन की इच्छा है तो उसको पहले ले लें।

(स्वीकृत)

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रश्नोत्तर काल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन कार्डों पर वितरित की जाने वाली शक्कर में जो भेद है या जो अनुपात है उसके सम्बन्ध में मैंने सदन में आश्वासन दिया था कि इस विषय को मैं मन्त्रिमण्डल में पुनः विचार के लिये प्रस्तुत करूंगा और उसी के अनुसार इस मामले पर आज मन्त्रिमण्डल ने विचार किया, और विचार करने के बाद में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड पर वितरित की जाने वाली चीनी की मात्रा समान और एकसी रहेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह बढ़िया हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : यह लागू कब से होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितनी होगी ? शहरों की जितनी देहात में मिलेगी या देहात की जितनी शहरों को मिलेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आज के निर्णय के अनुसार चीनी का वितरण समान रूप से जो मार्च की चीनी वितरित होने वाली है वह अब ५ या ६ मार्च से शुरू होती है। राज्य सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि अगर इस महीने में बराबर की मात्रा में चीनी अगर वितरित की जा सकती है तो इस महीने में वितरित करायेगी नहीं तो राज्य सरकार का यह निर्णय अगले महीने से लागू होगा।

श्री भैरोंसिंह : एक दो सवाल करने हैं, अध्यक्ष महोदय। माननीय मन्त्री महोदय से मैं इस बात की जानकारी करना चाहता हूं कि मार्च के महीने में राज्य सरकार के पास चीनी का कोटा कितना होगा और प्रति व्यक्ति के हिसाब से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को कितनी चीनी मिलने वाली है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह झगड़ा नहीं है।

Page No.49

श्री भैरोंसिंह : हां, यह झगड़ा नहीं है लेकिन आज के महीने के लिए कितनी चीनी है आपके पास ? अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी यह करना चाहता था कि राज्य सरकार के पास मार्च के महीने के लिये कितनी चीनी है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रामानन्दजी को बहुत तकलीफ होगी।

श्री भैरोंसिंह : सिविल लाइन्स में ईमानदारी से वितरण नहीं किया तो वहां होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता था कि राजस्थान सरकार के पास मार्च के महीने का कोटा चीनी का कितना है और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को आपकी इस नीति के अनुसार कितनी चीनी मिलने वाली है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार यह व्यवस्था की वह गारन्टी करेगी कि देहात में जिस जगह राशन कार्ड्स नहीं हैं वहां फौरन राशन कार्ड हो जायें ताकि तुरन्त उनको पहले किश्त में बराबर चीनी मिल सके।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यह भी एड कर लें कि जिस-जिस जगह की शिकायत आई है कि जिन गांवों में जो दुकानदार उठा कर ले जाते हैं जैसे कल बीकानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था उसी तरह के हमारे यहां भी घोटाले हैं तो ऐसी दुकानदारों की व्यवस्था की जाये....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जो मासिक कोटा राजस्थान को प्राप्त होता है उसकी तादाद ३७।। टन है उसी के अनुसार १९६१-६२ की सेन्सस से आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनता की संख्या ३२,८१,४७७ है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या १,९८,७४,१२४ है और अब नये निर्णय के अनुसार जो मात्रा निर्धारित होगी वह १५० ग्राम होगी।

(१२.३० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो बहुत है। बाकी ४ रुपये किलो से ले आयेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार की करनी और कथनी एक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह आश्वासन जो आपने दिया है यह थोथा है। इसको आप कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकेंगे। यह झूठा आश्वासन आपकी चाटन करने वाली सरकार उसी तरह का दे रही है जैसा छोटी जोत के काश्तकारों को आपने आश्वासन दिया था। इस सदन के फ्लोर के ऊपर इस आश्वासन को आप दोहराओ और कहो कि हम दृढ़ संकल्प हैं इस आश्वासन को आखिरी दम तक कम से कम एक साल निभाने के लिये ...

कुछ माननीय सदस्य : एक साल नहीं सदा के लिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इससे आप बदलें तो हमें इस्तिफा देना पड़ेगा। आप इस प्रोमेस को मैन्टेन करेंगे। याने शहरी लोगों को बिल्कुल भूखों मारेंगे ग्राम की जनता को विशेष आप शुगर का कोटा देकर गांवों के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लोगों को शक्कर नहीं देकर उसमें आपाधापी और भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। आप समान दृष्टिकोण से जनता को समान वितरण के सम्बन्ध में समान व्यवहार देंगे और देंगे इसका आश्वासन साथ ही साथ छाती ठोक कर दीजिये आप....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्णय से अगले महीने से करने की जो कन्डीशन मैंने इस सदन में रखी थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह कहिये कि आश्वासन देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे कहने का सिर्फ अभिप्राय यह है कि किसी जगह चीनी का वितरण शुरू नहीं हो गया हो, नहीं तो राज्य सरकार ने इस बात के आदेश दिये हैं और तीन बजे के पहले-पहले पूरे राजस्थान में कलेक्टर्स के पास वायरलेस मैसेज पहुँच जायगा कि चीनी वितरण नहीं की गयी हो और रिटेलर्स ने नहीं उठाई हो वहां नई मात्रा के अनुसार चीनी वितरित की जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Else you resign. अगर नहीं है तो you will resign.

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कन्डीशन रखी है, रिजाइन क्या करूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You will sail and sink with this Policy. You cannot maintain that. With all due apologies, the Hon'ble Minister will prove as a complete lier.

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : डूंगरपुर में कम हो जायगी उसका अफसोस नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के वितरण के सम्बन्ध में अगर जहां कहीं कमी है तो जैसा कि मैंने कल माननीय सदस्यों से निवेदन किया था उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार पहले भी तत्पर रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई भी कमी किसी ग्राम में जनता को चीनी वितरण करने के सम्बन्ध में बतलाई जायगी तो राज्य सरकार उस पर तुरन्त कदम उठायेगी। और मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता तो इस कन्ट्रोल में विश्वास नहीं करते हैं। चीनी की मात्रा की हमारे पास में कमी है, इसलिए यह कन्ट्रोल से वितरण करना पड़ रही है। वे तो बिल्कुल ही कन्ट्रोल के खिलाफ हैं। कल वे आरग्यू कर रहे थे कि बराबर हो, समान हो और आज कर दिया तो राज्य सरकार पर आक्षेप करते हैं और आपाधापी और जो कुछ शब्द थे वे कह दिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी प्रेस्टीज और आपकी रेप्यूटेशन है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें आपाधापी का कोई सवाल नहीं है। जहां कहीं भी ब्लेक मार्केट, करप्शन और वितरण के अन्दर कोई गड़बड़ी कोई रिटेलर करता है या होलसेलर करता है तो राज्य सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर यह कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ तो आप रिज़ाइन करेंगे ? एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसा था कि जिसने रेलवे का एक एक्सीडेन्ट हुआ तो रिजाइन कर दिया। ऐसी स्वस्थ परम्परा जनतन्त्र के अन्दर होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री परसराम मदेरणा : अगर लाल बहादुर शास्त्री...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज़ एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह कहलवा दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। थोड़े में कह दीजियेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने चीनी के वितरण के सम्बन्ध में जो देहात और शहर के फर्क को अन्त करने की घोषणा की है उसका तो मैं स्वागत करता हूं और मैं यह चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात का भी आश्वासन दे कि यह कोई अस्थायी निर्णय नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इस नीति को अपनी नीति का स्थाई अंग बनायेगी। लेकिन, उपाध्यक्षजी, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कि बहुतसे देहातों में अभी राशन कार्ड नहीं हैं, बहुतसी जगहों पर वितरण-व्यवस्था नहीं है, कोई को-ऑपरेटिव सोसाइटी नहीं उठाती है, अगर कोई एजेन्सी वहां नहीं है जिसके जरिये चीनी बांटी जाय-कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक चीनी कन्ट्रोल की देखी ही नहीं हैं, तो इस सम्बन्ध में प्रबन्ध कर लिया है। जब तक गवर्नमेंट इस बात के लिए कि राशन कार्ड सब जगह के लिए बन जायं और वितरण की व्यवस्था हो जाय और उन एजेन्सीज तक वह पहुंच जाय और पहुंचने के बाद वितरित हो, इसकी देख-भाल ही नहीं करेगी, तब तक यह नीति दरअसल अमल में नहीं आयेगी। इस सम्बन्ध में क्या गवर्नमेंट ने निर्णय लेकर आदेश दिये हैं ताकि इसका कार्यान्वयन सही रूप से हो सके ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़, स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई इस पर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वह पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री लादूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि चीनी चार रुपये किलो बाजार में बेच रहे हैं उसको रोकने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनिट का निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव आ चुका है और मंत्री महोदय ने तत्काल इस पर कार्यवाही करने को कहा है। आॅर्डर प्लीज़।

श्री लादूराम मुलानिया : चीनी ग्रामीणों के नाम पर और सहकारी समिति के नाम से लेकर यहां जयपुर के बाजार में चार रुपये किलो बेच रहे हैं। इसमें इनका भी हिस्सा है।

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे एक मिनट दिया जाय, शुगर ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़।

श्री नाथूराम : शुगर के बारे में निवेदन करना है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप उपाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आॅर्डर प्लीज़।

श्री नाथूराम : अगर मुझे टाइम दिया जाय तो...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बोल रहे थे तो दूसरे माननीय सदस्य पीछे से उनको पकड़ कर खींच रहे थे। यह एक तरह से माननीय सदस्य को धमकाने की परिभाषा में आता है। वैसे ही उनको बोलने नहीं देते हैं और फिर पीछे से पकड़कर बैठे हैं तो इसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़।

श्री मूलचन्द डागा : ये दूसरों पर गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री नाथूराम : शुगर के बारे में एक मिनट मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर कलेक्टर ने २१ बोरी शुगर का केस उठाया था क्रय-विक्रय संघ प्रतापपुरा का....

श्री उपाध्यक्ष : इन्डिविजुअल केसेज और भी तरीकों से उठाये जा सकते हैं।

आॅर्डर प्लीज़।

श्री नाथूराम : तो क्या मंत्री महोदय, यह आश्वासन देंगे कि ऐसे केसेज जो कलेक्टर उठाता है और जिन्होंने शुगर का नाजायज फायदा उठाया है उनको दण्ड मिलना चाहिए ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने एक बात कही है मैं भी यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

आॅर्डर प्लीज़।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुझे विवश होकर आपका नाम सम्बोधित करना पड़ेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, जो दबाना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। आपने एक माननीय सदस्य को एक मिनट दिया है। मैंने एक ७०० बोरी के ब्लेक मार्केट के बारे में माननीय मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कि बारां में ७०० बोरी का ब्लेक...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन (बैर) : जाने दीजिये नाम से क्यों सम्बोधित करते हैं, नये हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

निम्नांकित चार स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं माननीय सदस्यों से मुझे मिली हैं। ये सूचनाएं इस प्रकार हैं :—

(१) श्री रावतराम ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह बतलाया है कि दिनांक ११ फ़रवरी, १९६८ को करीब ४.३० बजे छापर से चाड़वास, जिला चूरू जाने वाली सड़क पर घासीराम नामक निवासी चाड़वास की औरत और बच्चो व लड़के की मृत्यु श्री लाभचन्द व डाक्टर मेघराज नाहटा, निवासी छापर की मोटर गाड़ी से कुचले जाने के कारण हो गयी है।

(२) श्री रामानन्द अग्रवाल ने जयपुर शहर में बजाज नगर में खादी ग्रामोद्योग भवन के सामने एक कच्ची बस्ती में सेन्ट्रल स्कूल बनाये जाने की योजना के कारण वहां पर बसे हुए परिवारों को हटाये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) श्री हीराभाई ने बांसवाड़ा में तकावी व लगान की दूसरी किश्त की वसूली सरकारी आदेशों को पूरी तरह से पालन न किया जाकर डेढ़ व दो माह पूर्व किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(४) श्री रामकुमार नंदवाना ने दि०२१-२-६८ को चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत प्रतापगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत अमलावद के सरपंच श्री हीरालाल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बन्दूक की गोली मारकर हत्या कर देने तथा अन्य तीन सरपंचों को मारे जाने के अन्देशे से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये चारों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि इन पर सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित की जाकर विचार किया जाय।

जैसा की माननीय सदस्यों को विदित होगा इसी सप्ताह में ६ मार्च, १९६८ से बजट पर बहस होने वाली है और उसके बाद विभिन्न

(श्री उपाध्यक्ष)

विभागों की मांगों पर सदन में विचार किया जायगा। बजट पर बहस के दौरान इन विषयों को माननीय सदस्य यदि चाहें तो उन्हें उपयुक्त समय पर कटौती प्रस्तावों के जरिए व अन्य तरीकों से नियमानुसार उठा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान की रेल्वे लाइनों के बंद होने के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर....

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसको मेन्शन तो करना चाहिये था, पढ़ा जाना चाहिये था। इसको हाउस में रखा जाना चाहिये था। कई यात्री गाड़ियां बन्द करने वाले हैं। रेल्वे मन्त्री ने संसद में कल कहा है कि प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा गया है कि इन-इन लाइनों को बन्द करने के बारे में उनके क्या विचार हैं। किन-किन लाइनों को बन्द करने के बारे में क्या सुझाव देने हैं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटा से बीना जाने वाली रेल्वे लाइन पर इसका असर पड़ने वाला है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप भाषण पहले ही कर रहे हैं। इस पर आगे विचार करके निर्णय दिया जायगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपने व्यवस्था स्थगन प्रस्ताव पर दी है उसके बारे में मैं आपकी मान्यता के तो साथ हूं लेकिन परिस्थिति यह है ..

श्री उपाध्यक्ष : इस परिस्थिति के बारे में आप उपयुक्त अवसर पर अपने विचार रखें। इस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री हीराभाई : मैं कह रहा हूं मेरे व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आप सुनें। मेरा निवेदन यह है कि आपने बजट के समय कटौती प्रस्तावों के जरिये इसको रखने का कहा लेकिन यह तत्काल या इमीडियेट समस्या घट रही है इसका जवाब १५ दिन बाद दिया जायगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बांसवाड़ा के लिये राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि दो किस्तों में लगान और तकाबी वसूल की जाय। रबी का लगान फरवरी में वसूल किया जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जायज माना जायगा कि जब रबी की फसल निकलने वाली है और अप्रेल, मई में या जून में निकलने वाली है और फरवरी में ही वसूली के नोटिस जारी कर दिये। सरकार द्वारा स्थगित चीज है उस पर भी वसूली की जा रही है। इसको तत्काल रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह व्यवस्था की जाय कि जब तक मई, अप्रेल तक फसल रबी की निकलने वाली है। रबी के लाटे काश्तकार अदा करने वाले हैं जब तक यह न हो जाय तब तक वसूली को तुरन्त रोकना चाहिये। अभी जो वसूली का जा रही है उसको तुरन्त रोकना चाहिये।

श्री नाथूराम (बागीडोरा-सु.) उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें साक्षी की जरूरत नहीं है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है या गलत।

श्री नाथूराम : नियम के विरुद्ध बांसवाड़ा में काश्तकारों के साथ सख्ती करके वसूली की है। सेक्रेटेरियट से जो ऑर्डर निकला है उसका पालन जिलाधीश ने नहीं किया है इसलिये इस प्रस्ताव को आने देना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शोषण के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि दो-तीन दिन में सरकार का उत्तर हो जाता तो ठीक रहता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उदयपुर पोलीटेक्निक के बारे में वक्तव्य होने वाला था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न केवल फोरमल डिस्कशन का नहीं है। लगान की वसूली हो रही है, गवर्नमेन्ट ने आश्वासन दिया था उसके खिलाफ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ताबड़तोड़ हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १७-१८ तारीख को डिमान्डस शुरू होंगी उस समय नीति के सम्बन्ध में बहस होगी उससे पहले एग्जीक्यूटीव ऑर्डर आना चाहिये ताकि वसूली रोकी जा सके।

श्री रामकिशन (डेर) : जो आपने व्यवस्था दी वह तो स्वीकार है लेकिन इस मामले में एक तरह की स्थिति बनी है। इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि ३ साल जहां लगातार अकाल पड़ा था वहां के लिये राजस्व मन्त्रीजी ने एक प्रक्रिया बताई थी उस तरह से वसूली होगी। बांसवाड़ा में आदेश २५ तारीख को चला गया था। वहां पर दो तरह के झगड़े हैं एक तो पुरानी वसूली करने का है, राज्य सरकार के आदेशों का पालन जिलाधीश ने नहीं किया है और वसूली करली गई है। दूसरा प्रश्न है इस वर्ष के बारे में। वसूली चालू है। बजट के समय बोलेंगे तब तक वसूली कर ली जायगी...

श्री उपाध्यक्ष : शोर्ट नोटिस प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री रामकिशन : आपके सामने तथ्य आ गये हैं तो १५ दिन का समय देने से कोई फायदा नहीं होगा। इस पर तुरन्त वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में व्यवस्था दे दी गई है। आपने कह दिया, मन्त्रीजी के ध्यान में है, उपयुक्त समय पर उत्तर दे देंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री महोदय के ध्यान में होने से ही किसी प्रश्न का समाधान हो जाता तो हमको यह बात कहनी नहीं पड़ती। वसूली जबर्दस्ती हो रही है। हम सिर्फ आपसे वक्तव्य दिलाने के बारे में कह रहे हैं। आप इनको निर्देश दें कि परसों इस बारे में वक्तव्य दें ताकि स्थिति का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में व्यवस्था दे दी गई है।

श्री नत्थीसिंह : आपने तो इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं दी है। मन्त्रीजी के ध्यान में सारी स्थिति आ गई है इसलिये वे इस पर वक्तव्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री इस समय हाउस में है नहीं।

Page No.56

श्री रामकिशन : इसको कल रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहीं है। इसको और किसी तरह से उठाया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : इस पर ११ मार्च को स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने कच्ची बस्तियों के बारे में लिखा था वहां पर मकान गिराये जा रहे हैं ..

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सा. नि. मन्त्री) : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री देवीदत्त गाड़िया।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। पुराने सदस्य हो कर आसन की अवहेलना करते हैं, यह बात अच्छी नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : श्री रामानन्दजी का स्थगन प्रस्ताव था कि बजाज नगर में कच्ची बस्ती है उसको तोड़ कर फेंकी जा रही है। पहले वहां के निवासियों को दूसरी जगह जमीन देकर बसाया जाय, उनके लिये जमीन की व्यवस्था की जाय। उनके मकानों को तोड़ना रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित तो कर दिया -

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक जानकारी चाहूंगा कि कल व्यवस्था दी थी, उदयपुर पोलीटेक्निक के लड़कों के बारे में, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का गृह-मन्त्रीजी आज उत्तर देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आज उत्तर दे रहे हैं, या कल देंगे, कब देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कल देंगे, सात तारीख को।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री रामकिशन : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : (गृह मन्त्री से) उदयपुर जिले के बारे में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Already we have fixed up the date.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज के लिए था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद में कह दिया था कि आज के लिए है।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, No.

श्री रामकिशन : सदन के अन्दर एक प्रस्ताव कच्छ के सम्बन्ध में पेश हुआ था, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। आसन की तरफ से व्यवस्था नहीं हो रही है कि आज दिया जायगा, या कल दिया जायगा मैं निवेदन करूंगा कि परिस्थिति गम्भीर हो गई है, इसलिए उसको लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत कर लीजिये। यह उनके विचाराधीन है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन : आज बीस दिन पूरे हो गये, जिस उद्देश्य से उस पर बहस करना चाहते हैं, वह उद्देश्य समाप्त हो जायगा। उस पर कुछ निर्णय होना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीदत्त !

श्री रामकिशन : यह प्रश्न बहुत महत्त्व-पूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्त मैं निर्णय नहीं दे सकता। यह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। आप चाहें तो अभी चेम्बर में बात कर सकते हैं या कल यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री रामकिशन : सदन में व्यवस्था दी गई उसका क्या हुआ कि एक-दो दिन में दे दिया जायगा। आज पन्द्रह दिन हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि यह उनके विचाराधीन है।

माननीय देवीदत्त गाड़िया !

सवाई माधोपुर जिले के खिरनी ग्राम स्थित स्कूल भवन की नजूल प्रोपर्टी के नाम पर नीलामी सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व गृह मन्त्री का वक्तव्य

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान सरकार का जिला सवाई माधोपुर की तहसील गोली के ग्राम खिरनी में एक प्राथमिक शाला से लेकर हायर सैकण्डरी स्कूल, जिस भवन में चल रहा है, उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह खिरनी स्कूल का जो भवन है, इस भवन के अन्दर......

श्री भैरोंसिंह : किस मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मन्त्रियों को पता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : किसका है ?

श्री भैरोंसिंह : किस मन्त्री का ध्यान आकर्षित हो रहा है ? मन्त्री महोदय का पता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सब पता है।

श्री भैरोंसिंह : किस बात पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर !

श्री भैरोंसिंह : किस बात पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सम्बन्धित मन्त्री को मालूम है, वह सुन रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सम्बन्धित मन्त्री को मालूम नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस भवन में स्कूल, उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९२३ से चल रहा है, तो ४५ वर्ष पूर्व से इस भवन में जो स्कूल चल रहा है, उस स्कूल के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने सन् १९२७ के अन्दर उस समय की, जयपुर रियासत के अन्दर एक प्रार्थना-पत्र दिया और इस जगह के सम्बन्ध

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में जयपुर रियासत के महकमा खास ने यह निर्णय दिया कि यह स्कूल भवन शिक्षा विभाग का है। जब महकमा खास ने अपनी अदालत से इस प्रकार का निर्णय दे दिया कि यह खिरनी का स्कूल भवन है यह शिक्षा विभाग का है, इसके उपरान्त जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, और राजस्थान के अन्दर कांग्रेस सरकार कायम हुई तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के सामने उस समय कुछ व्यक्तियों ने पुनः इस स्कूल भवन के सम्बन्ध में मामला चलाया। यह मामला जब राजस्थान सरकार के सामने आया तो राजस्थान सरकार ने भी सन् १९५५ में २० जुलाई, ५५ को—राजस्थान सरकार ने उस समय के राजप्रमुख के माध्यम से राजस्थान के राज-पत्र संख्या ३८३ के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके—नोटिफिकेशन नम्बर एफ०बी०डी०ए०/५०-एल०ए० १५२ के द्वारा यह राज-पत्र में नोटिफिकेशन जारी किया, यह कहा कि यह भवन शिक्षा विभाग का है। जब १९५५ में राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का निर्णय दे दिया कि खिरनी का स्कूल का भवन शिक्षा विभाग का है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस शिक्षा विभाग के इस स्कूल भवन को नजूल प्रोपर्टी कैसे माना गया ? मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ेगा कि सवाई माधोपुर जिले के कलेक्टर श्री अलाउद्दीन खिलजी, जो भ्रष्टाचार में परिपूर्ण हैं, जिनके ऊपर राजस्थान के मुख्य मन्त्री का वरद हस्त है, ने नजूल प्रोपर्टी के नाम पर एक नाटक रचा......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति का नाम लिया जाय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है और जो सरकारी अधिकारी है और उसके नाम से जो मर्जी आवे वह कहना यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बैठिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। बिना पूर्व सूचना के साधारणतया किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह : गोकुलप्रसादजी ने आपत्ति अधिकारी को बचाने के विषय में नहीं की बल्कि वह सोचते हैं कि और ज्यादा कार्यवाही की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ठीक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सवाई माधोपुर के जिलाधीश ने नजूल प्रापर्टी के नाम पर सवाई माधोपुर के खिरनी ग्राम के स्कूल भवन की नीलामी की कार्यवाही की। उसकी इजाजत किस प्रकार से ली इस और मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार जिलाधीश महोदय ने जिला तहसील के तहसीलदार ने बताया कि तहसील के पुराने रिकार्ड के अन्दर खिरनी का स्कूल भवन नजूल प्रोपर्टी में है और वह रिकार्ड पचास-साठ वर्ष पुराना है, लेकिन जब राजस्थान सरकार ने १९५५ में इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये, ऐसा निर्णय कर दिया कि यह स्कूल भवन शिक्षा विभाग का है तो क्यों नहीं तहसीलदार ने अपना रिकार्ड ठीक किया। लेकिन जिलाधीश, सवाई माधोपुर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इसमें विशेष रुचि रखता था जातिवाद के आधार पर, और जिलाधीश महोदय ने राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को भी मुगालता दिया कि सवाई मधोपुर जिले के अन्दर अनेक स्थानों पर नजूल प्रापर्टी है, उस प्रापर्टी की नीलामी करने के लिए उसने एक फहरिस्त तैयार करवाई और उस लिस्ट के अन्दर इस खिरनी के स्कूल भवन का नाम भी जोड़ दिया और चीफ सैक्रेटरी राजस्थान सरकार ने नजूल प्रापर्टी के नीलाम किये जाने की, जो जिलाधीश ने सिफारिश की थी, आज्ञा जारी कर दी और इस प्रकार षड्यंत्रकारी ढ़ंग से इजाजत लेने के बाद सवाई माधोपुर जिलाधीश ने इस स्कूल भवन की नीलामी करने की कार्यवाही की। इस स्कूल के भवन को लेने के लिए बम्बई के कुछ मुसलमान आये, वहां मुसलमान हैं, उनकी जो एक जमात है, एक संस्था है, जमात नहीं, इस्लामी संस्था है, उसके माध्यम से वह आये, लाखों रुपये लेकर आये और जिलाधीश ने उनको संरक्षण दिया और उन्होंने जब नीलामी की कार्यवाही की तो खिरनी गांव के किसानों ने, उस गांव के लोगों ने कलेक्टर को एक दरख्वास्त दी कि यह खिरनी का स्कूल भवन नजूल प्रापर्टी नहीं है। उस गांव के लोगों ने जिलाधीश महोदय को राजस्थान की सरकार का जो सन् १९५५ का....

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में कह चुके हैं। बार-बार दोहराइये मत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कह रहा हूं, उसमें आपने बीच में ही कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बीच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तीन दफा यह कह चुके हैं कि १९५५ में राज्य सरकार ने यह तय कर दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी बात समझे नहीं आप।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी तरह समझ रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहां समझ रहे हैं ?

श्री रोशनलाल : माननीय सदस्य यह कहें कि कुर्सी हमारी बात नहीं समझ रही है, तो यह अनुशासन के विरुद्ध बात कहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, खिरनी गांव के लोगों ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप जो बात कह रहे हैं वह पांच मिनिट के अन्दर कही जा सकती है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह नजूल प्रापर्टी पहले थी, इसके बाद राज्य सरकार ने इस तरीके का आदेश दिया। उसको नीलामी का आदेश दिया है। बात इतनी है। यह बात कह दी गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : खिरनी गांव के लोगों ने, यह सारे डाकूमेंट जो राज्य सरकार का निर्णय था, महकमा खास का फैसला था, यह सारे के सारे कागजात जिलाधीश को बतलाये और कहा यह भवन नीलाम नहीं किया जाय। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अब सारे गांव के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अन्धकारमय दिखाई दिया, तो उन गरीब किसानों ने पैसा इकट्ठा किया और जब ९ फरवरी, १९१८ के अन्दर यह नीलामी हुई तो गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके २५,००१ रुपये नीलामी के जमा कराये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर के निर्वाचित विधायक ने शिक्षा मंत्री को और मुख्य मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को तार दिये, और उनसे यह निवेदन किया कि यह कार्यवाही अवैधानिक है, इसको रोका जाय। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब यह भवन शिक्षा विभाग का है, फिर इसकी नीलामी क्यों की गई? इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर के जिलाधीश एक ओर जहां इस स्कूल की बिल्डिंग, जो शिक्षा विभाग की है, की नीलामी कर रहा है, वहां दूसरी ओर हिण्डौन के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उदाहरण दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उदाहरण नहीं इसके सम्बन्ध में कहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करना है, उसके सम्बन्ध में कहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं। वहां पर नजूल प्रापर्टी है, उसको नीलाम किया जाना चाहिए। वहां के मुसलमानों ने दरख्वास्त दी कि यह इमामबाड़े की जमीन है। जब कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार उसमें कोई इमामबाड़ा नहीं है। लेकिन जिलाधीश ने जातिवाद के आधार पर मुसलमानों की दरख्वास्त के आधार पर उस नीलामी को रोक दिया एक में जब कुछ लोगों की दरख्वास्त के ऊपर नजूल प्रापर्टी के नीलाम को रोक दिया जाता है, जब कि दूसरे के अन्दर खिरनी गांव के किसानों ने जिलाधीश के सामने सरकारी आदेश और महकमाखास के आदेश को रखा तो क्यों नीलामी नहीं रोकी? अब मैं कहना चाहता हूं कि इन किसानों का २५००१ रु० सरकारी खजाने में जमा है, उसको अविलम्ब लौटाया जाये और राज्य सरकार इस बात का निर्णय करके घोषणा करे कि जिन किसानों का २५००१ रु० जमा हुआ है उसको लौटायगी और तहसील में जो रिकार्ड पुराना है उसको दुरुस्त करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दिया। मन्त्री महोदय का जवाब सुनें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तहसीलदार ने इस रिकार्ड को क्यों ठीक नहीं किया इसकी जांच की जानी चाहिये जब कि १९५५ में आदेश जारी हो गये। तहसीलदार ने रिकार्ड ठीक क्यों नहीं किया? एस० डी० ओ० ने रिकार्ड ठीक क्यों नहीं किया? जिलाधीश ने कार्यवाही क्यों नहीं की? मुझे विश्वास है कि आज राजस्थान के अन्दर लाखों रुपयों की लागत की नजूल प्रापर्टी है। आज राजस्थान की सरकार अपने बजट के माध्यम से गरीब जनता पर लाखों रुपयों के टैक्स लगा रही है, वैसी स्थिति में आज अगर नजूल की प्रापर्टी को नीलाम किया जाये तो

Page No.61

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लाखों रुपयों की आय हो सकती है। इसलिए राजनैतिक आधार पर जो नीलामी होती है इसको रोका जाये। खिरनी के स्कूल भवन के समान ही...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गूजर छात्रावास के नाम पर ..

श्री उपाध्यक्ष : बड़ा लम्बा कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसको १५२० में कर दिया जब कि ४० हजार की वैल्यू है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अन्त में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य देकर स्पष्टीकरण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है तहसील खिरनी की स्कूल बिल्डिंग के बाबत, उसके लिए मैं अर्ज करता हूं:—

राज्य मन्त्रिमण्डल ने दि० २८-७-६७ को यह निर्णय लिया था कि समस्त राज्य में ऐसी नजूल सम्पत्ति जो आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद तथा उपयोग की दृष्टि से बेकार है वह शीघ्र ही नीलाम कर दी जाए। इस निर्णय में यह भी विचार किया गया कि सम्पत्ति को किरायेदार को वे न केवल सम्पत्ति के खरीदने का प्रथम अवसर दिया जाय बल्कि नीलाम में लगाई गई बोली की राशि भी १० बराबर हिस्सों में आगामी १० वर्षों में वसूल की जाये।

इस प्रकार नीलामी की कार्यवाही को पूरा करने के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया गया था और साथ ही नीलामी के नियम भी बनाये गये।

सवाई माधोपुर में जहां तक खिरनी स्कूल का प्रश्न है, यह प्रश्न सरकार के सामने लाया गया है। यह बिल्डिंग है इस में स्कूल चल रहा है, बीस-पच्चीस साल से और उसकी नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। जिस वक्त इसकी सूची बनी थी नजूल प्रापर्टी की उस वक्त श्री खिलजी कलेक्टर वहां नहीं थे। बल्कि छुट्टी पर थे और वहां विश्वम्भरसिंह काम कर रहे थे, उन्होंने सूची बनाकर भेजी थी और उस पर नीलामी के आॅर्डर्स दे दिये गये थे। जब राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि इसमें बीस-पच्चीस साल से स्कूल चल रहा है तो कलेक्टर को नीलामी रोकने के आदेश दिये गये कि नीलामी की कार्यवाही बन्द कर दी जाय। लेकिन वह सूचना आने के पहले ही नीलामी की कार्यवाही हो चुकी थी इसलिए आदेश दे दिये गये कि इसको फाइनल न किया जाय, मन्जूर न किया जाय और फिर नीलामी की कार्यवाही उस स्टेज पर रोक दी गई। इसमें एतराज क्या है, राज्य सरकार के ध्यान में आते ही तुरन्त कार्यवाही कर दी गई और नीलामी रोक दी गई फिर क्या चाहते हैं? इस बहस से मैं ऐसा समझा कि आप का खयाल है कि राज्य सरकार स्कूल की बिल्डिंग को नीलाम करने पर तुली हुई है। ऐसी बात नहीं है। हम ध्यान रखते हैं उनको हम डिस्पोज नहीं करना चाहते हैं। वह नजूल प्रापर्टी जो राज्य सरकार के लिए प्राफिटेबल नहीं है और ऐसी है जिनमें किरायेदार रहते हैं और सरकार

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को मुनाफा नहीं मिलता है तो उनको बेचने की कार्यवाही कर रहे हैं। तो उसमें एतराज नही होना चाहिए। पर्टीक्यूलर क्वेश्चन खिरनी के स्कूल का है उसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस स्कूल की बिल्डिंग की नीलामी को रोकना चाहिए और फाइनलाइज नहीं करना चाहिए राज्य सरकार के ऐसे आदेश हो चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक बात की जानकारी...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बता दिया जाये कि जब १९५५ में राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन करके इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया तो सरकार के ध्यान में क्यों नहीं रहा ? किसानों ने जो पैसा इकट्ठा करके जमा कराया है वह कब तक वापिस कर दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर माननीय मन्त्री ने दे दिया है। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन (बैर) : एक जानकारी लेनी थी वह एक मिनट की। अभी आपने जो यह बताया कि इस तरह के स्कूल वगैरह हैं उनके बारे में प्रादेश दे दिये गये। यह खिरनी के संदर्भ में कहा। मैं जानकारी चाहूंगा कि जहां-जहां नजूल प्रॉपर्टीज हैं और जिनमें स्कूल, मन्दिर ऐसी संस्थायें चल रही हैं तो क्या यह जनरल ऑर्डर्स नहीं कर सकते कि वह नीलाम नहीं की जाएं ? तो क्या राज्य सरकार एक जनरल ऑर्डर नहीं दे सकती है कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी नीलाम न की जाये ? क्योंकि भरतपुर में भी कुछ ऐसी ही नीलामी की दिक्कत आई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको कहा, तमाम जिलों से नजूल प्रॉपर्टी की लिस्ट कलेक्टर के मार्फत बनवाई है और उसको इकट्ठा करके आदेश दिये गये ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जिसको नीलाम करना मुनासिब नहीं। तो हर एक केस मैरिट पर डील किया जायगा। जनरल ऑर्डर जरूर मैं दे सकता हूं मगर विरोधी दल के नेता महोदय नहीं है, वह ऑर्डर ताबड़तोड़ माना जायगा।

श्री रामकिशन : ताबड़तोड़ क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह कहें कि ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। जिस प्रकार खिरनी के सम्बन्ध में किया वैसे जहां कहीं स्कूल चल रहे हों, जहां कहीं संस्थायें चल रही हों, मकान में चल रही हों, प्रॉपर्टी में चल रही हों तो क्या उनके लिये भी इस प्रकार के आदेश निकालेंगे कि वह संस्थायें चल रही हैं उनको किसी भी प्रकार से उन भवनों से बेदखल नहीं किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है। यह खिरनी का सवाल है।

चर्चा समाप्त हुई।

सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार। इस पर तीन बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी। ढाई बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा। हर एक माननीय सदस्य १० मिनिट से १५ मिनट तक सुविधानुसार बोलेंगे।

सतर्कता आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलूं ।

एक माननीय सदस्य : मास्टरजी बोल रहे हैं ।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से ८ महीने पहले विधान सभा के सामने सतर्कता आयोग का प्रथम प्रतिवेदन पेश किया गया था । उस अवसर पर सभी दलों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये थे और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये थे । सबसे अधिक चर्चा इस बात पर रही थी कि सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ना चाहिये । कुछ शक्तियां भी देनी चाहिये और इसके अलावा कुछ और बातें भी कही गईं । लेकिन इस आठ महीने में मैं ऐसा समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । आज भी हम वही बात देखते हैं जो आज से आठ महीने पहले थी । आज फिर दुबारा दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, और इस पर विचार मांगे जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि हम एक ओर तो क्षेत्राधिकार बढ़ाते नहीं, शक्तियां बढ़ाते नहीं दूसरी ओर हम यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो । यह कैसे सम्भव है ? वैसे एक राज्य नहीं, हमारे देश के सभी राज्यों में सतर्कता आयोगों का गठन हुआ है और वह भ्रष्टाचार के निवारण के लिये प्रयत्नशील है । लेकिन हम रोजाना ही देखते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जाता है । कोई उसकी सीमा नहीं और यह पता नहीं कि वह कहां तक जायगा ? कहीं ऐसा न हो कि उसकी ज्वाला में शायद हम सब भस्म न हो जाएं ?

इसके लिये मैं समझता हूं कि शायद अब भी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है । अगर हम देखें तो पिछली बार जो शिकायतों के आंकड़े थे सतर्कता आयोग के समक्ष वह शायद ३००० से ऊपर ३३०० के करीब थे और अब की बार सतर्कता आयोग द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें शिकायतों के आंकड़े सिर्फ १८०० के करीब हैं । इससे हम कह सकते हैं और सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा भी गया है कि सतर्कता के अस्तित्व को सरकारी अधिकारी अनुभव करते हैं और इसीलिए शिकायतों की संख्या कम है । पर मेरा कहना यह है कि शिकायतों की संख्या इसलिये कम है कि आज लोग यह समझ बैठे हैं कि शिकायतों के करने से कुछ लाभ नहीं है केवल दुश्मनी हो जाती है, लोग बदला लेते हैं और बाद में कोई नतीजा निकलता नहीं है । इसका सबूत अगर आप देखें तो जगह-जगह मिलता है । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, भरतपुर में बाढ़ के दिनों की आपको सब को मालूम है, भरतपुर में अभूतपूर्व बाढ़ आई, वहां बाढ़ से बड़ा भारी नुकसान हुआ वहां की जनता को । शायद नुकसान १० करोड़ से कम नहीं हुआ और मुमकिन है कि २० करोड़ तक का नुकसान हुआ हो, लोगों को बड़ी-बड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ीं, लोगों को रातों जागना पड़ा, भूखों रहना पड़ा, एक दो परिवारों को ही नहीं हजारों परिवारों को....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात तो बिलकुल गलत है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह बात इसलिये सही है कि आप वहां पहुँचे नहीं थे, आपने तो नौका विहार किया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सब जगह पहुँचा हूं....

श्री नत्थीसिंह : आपका यह दावा बिल्कुल गलत है, आप वहां पहुँचे ही नहीं आपके कलेक्टर ने तो कहा था कि मृतकों की संख्या एक भी नही है। हमने कहा था कि १८ आदमी मरे हैं और फिर केबीनेट के सामने मंजूर किया है कि १९ मरे हैं। आप अब यह लीपा पोती कर रहे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : मैं भूखों मरने का इसलिये कह रहा हूं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर रिलीफ के लिये २० लाख रुपया दिया गया है अनाज के लिये रुपया दिया गया ...

श्री नत्थीसिंह : कितने ही दिनों बाद तक शिकायतें करते रहने पर भी गांवों में दुकानें नहीं खोली और सरकार की ओर से यह कहा गया कि वहां अनाज पहुँचाने के साधन नहीं हैं, सहकारी समितियां लेती नहीं हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम तो वहां गये हैं, जहां आप नहीं पहुँचे हैं।

श्री नत्थीसिंह : हो सकता है क्योंकि आपका राज्य है, इसलिए आप पहुँचे हों पर वहां नहीं पहुँचे जहां लोग मर गये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके नाम पर हलवा बना-बना कर खाया जा रहा था, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री आदित्येन्द्र : मैं बताना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि ट्रेजरी बैंचेज की ओर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरा सम्बन्ध ट्रेजरी बैंचेज से केवल पांच साल से ही टूटा है, मैं जानता हूं उनकी कमजोरियों को, मैं उनकी कमजोरियों में शामिल रहा हूं लेकिन उन बातों को कहना नहीं चाहता। मैं कुछ तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं, इसलिए लाना चाहता हूं कि हम जिंदा रह सकें और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय भी ठीक प्रकार से काम कर सकें। यदि ठीक प्रकार से नहीं करना चाहते और यह चाहते हैं कि हिंसा का वातावरण बढ़ता जाय तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि रिलीफ के लिये रुपया दिया गया उसके सम्बन्ध में क्या हुआ? मैं यह कहना चाहता था कि बाढ़ वहां बड़े जोरों की आई, उससे लोगों ने बड़ा भारी नुकसान उठाया। हमारे मंत्री-मण्डल की सब-कमेटी की बैठक वहां पर हुई, भरतपुर जिले के लगभग सभी एम. एल. ए. और एम. पी. भी उस बैठक में शामिल थे। मन्त्रिमण्डल ने बड़ी कृपा की कि उस ओर ध्यान दिया और मैं भी मानता हूं कि जितना मन्त्रिमण्डल दे सकता था, जितनी मदद गवर्नमेंट दे सकती थी, उतनी मदद दी, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत तो यह है कि, जो रिलीफ का रुपया बांटा गया, रिलीफ के लिये २० लाख रुपया मंजूर हुआ, वह कहां गया? आज सतर्कता आयोग के सामने यह बात आयेगी और यह शिकायत अखबारों के द्वारा भी पहुँची है और आज मैं विधान सभा के प्लेटफार्म से भी इस बात को कहना चाहता हूं। जो रुपया मेवात में बांटा गया, नगर में बांटा गया, डीग में बांटा गया, कामां तहसील में बांटा गया, उसमें केवल एक कामां तहसील के बारे में कहना चाहता हूं। कामां तहसील में प्रत्येक व्यक्ति

(श्री आदित्येन्द्र)

को १०० रुपया रिलीफ का बांटा गया। उसके सम्बन्ध में बहुत विनम्र शब्दों में चुनौती देना चाहता हूं कि सरकार आज भी जांच करना चाहे तो करे, जो हजारों आदमियों के लिये रिलीफ बांटी गई, उसमें से २५ से ३० रुपया तक उनसे किसी न किसी शक्ल में ले लिया गया यानी जो प्रति व्यक्ति १०० रुपया दिया जाने को था उसमें से केवल ७०-७५ रुपया ही दिया गया। मैं समझता हूं सरकार इस चुनौती को मान लेती है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होगी, सरकार इससे मजबूत ही होगी, क्योंकि सरकार अपनी कमजोरी को मानेगी। यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, सिंचाई मंत्रीजी हैं, वे इस सम्बन्ध में कुछ भी कहें, वह सुनेंगे पर मैं यह मानता हूं कि यह जो कुछ हुआ, बहुत गलत ढंग से हुआ और दुःख इस बातका है कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे।

उनके षड़यन्त्र से यह सब कुछ हुआ है। वैसे तो रिश्वत सब जगह चली है, नगर तहसील में रिश्वत चली, डीग में भी थोड़ी बहुत चली होगी, भरतपुर और दूसरी तहसीलों में चली पर वहां पर तो बहुत सुनियोजित ढंग से रिश्वत ली जिसके लिये पहले से ही विचार कर लिया गया था। इसके साथ ही साथ ऐसे आदमियों के नाम से रिलीफ ली गई, जो वास्तव में उन आदमियों को दी ही नहीं गई, झूठे नामों से उसको उठा लिया गया। इसी तरह दूसरी बातें भी हैं, जहां पर रात-दिन रिश्वतें चलती हैं।

अगर आप सेल्स टैक्स के महकमे को देखें, ट्रान्सपोर्ट के महकमे को देखें, पुलिस के महकमे को देखें तो इन सब जगहों पर आप सब जानते हैं कि कितनी भारी मात्रा में ये तमाम काम होते हैं। इन तमाम बातों को रोकने के लिये मैं समझता हूं सतर्कता आयोग जैसी छोटी संस्था कतई नाकाफी है। अगर सब लोग गन्दगी करते रहें और चार-पांच आदमी सफाई पर लगे रहें तो गन्दगी को वे कैसे दूर कर सकते हैं ?

मैं देखता हूं हजारों, लाखों आदमी यहां जयपुर शहर में ऐसे हैं जो रोजाना गन्दगी फैलाते हैं, सवेरे से अगर हम देखें तो हजारों की तादाद में हमारे गवर्नमेन्ट पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, पोस्टल डायरेक्टोरेट की बिल्डिंग है, वहां सैंकड़ों ही आदमी सवेरे साढ़े चार बजे बैठे हुए मिलेंगे, स्त्री, पुरुष और बच्चे लेकिन कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि यह ऐसा क्यों होता है और हम इस काम को छोड़ देते हैं सिर्फ चार-पांच आदमियों के ऊपर। हमारे देश में इस तरह की बात है पर हमारे पड़ौसी देश चीन को अगर ले लें तो चीन में नगरपालिकाओं में, दूसरे कस्बों में सफाई का सवाल है, उसके लिये जिम्मेदार उन व्यक्तियों को ठहराया जाता है जो घरों के मालिक हैं, जो अपने घरों के सामने से सफाई करते हैं। पर हम अपने घरों के सामने सफाई करने के बजाय गन्दगी फैलाते हैं।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सतर्कता आयोग अपर्याप्त है। इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। इसमें, मैं समझता हूं, कि खर्चा ही खर्चा ज्यादा होता है और यह एक तरह से सरकारी विभाग जैसा बन गया है। आज से ५-७ दिन पहले इस बात पर विधान सभा में बहस चली कि मन्त्रिमण्डल की संख्या बहुत ज्यादा है, ३५ के करीब, मैं

(श्री आदित्येन्द्र)

मानता हूं कि यह संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन हम अगर इसको भी बर्दाश्त कर लें तो कभी देखा है कि इन ३५ आदमियों के पास क्या काम है ? इस बारे में मैंने चर्चा भी की है लेकिन अगर इसके दौरों को देखें तो शायद कहीं-कहीं तो एक-एक तहसील में १०-१०, १५-१५ बार दौरे हो जाते है, दो-दो घण्टे ही ठहरते हैं और दो घण्टे के समय में सिर्फ ३-४, ५-७ आदमी उनके चारों ओर, जो स्वार्थी आदमी होते हैं चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं और दूसरे आदमियों को मिलने का मौका भी नहीं मिलता है। कहीं-कहीं ज्यादा जरूरी होता है तो वहां शायद ६-६ महीने में भी नहीं जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार का व्यर्थ में ही रुपया खर्च होता है और जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर या तो दावतों में खर्च होता है या कुछ राग में या दूसरी चीजों में उनका खर्चा होता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिस वातावरण से एक, दो, चार आदमियों को नहीं, हजारों आदमियों को प्रोत्साहन मिलता है इस बात के लिये कि हम भी अपना आचरण भ्रष्ट बनायें। तो जिस तरह से सफाई एक, दो, चार आदमी नहीं कर सकते जबकि हजारों-लाखों आदमी गंदगी करने पर तुल जायें तब हम किस तरह से आशा कर सकते हैं कि सतर्कता आयोग में जो ५-७ सरकारी कर्मचारी हैं, वे भ्रष्टाचार का निवारण कर देंगे और हम स्वयं भ्रष्टाचार करते चले जायं। आज हम यह मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह भी है कि आज की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको ओर राज्य का कोई ध्यान नहीं जाता, शायद राजनैतिक दलों का भी ध्यान नहीं जाता। वे सामाजिक कुरीतियां बढ़ती चली जाती हैं जैसे २० साल पहले सन् १९४७ की आजादी से पहले, हमने शायद ३०-४० या ५० साल इन सामाजिक कुरीतियों को खतम करने में पूरा समय दिया और भारी प्रयत्न किये। उसका नतीजा यह हुआ कि देश में एक प्रकार से अच्छा वातावरण बना। हम यह समझ बैठे कि लोग ईमानदार हैं और हमारा देश आगे समृद्धिशाली बनेगा लेकिन जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने समझ लिया कि सब कुछ मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, न गरीबी मिटानी है, न बेकारी मिटानी है। तो आज एक तरफ बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पंचायतों का जैसा हाल है आप जानते ही हैं, लगभग उनको एक तरह से समाप्त ही कर दिया है और वहां पर एक तरह से तो पंचायत समितियां आज भ्रष्टाचार की गढ़ बन गई हैं। तो इतने बड़े सवाल को हल करने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमें एक जगह बैठ कर विचार करना होगा, बल्कि मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि राजस्थान सरकार अगर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है तो यह एक राष्ट्रीय सवाल है, इस राष्ट्रीय सवाल पर सरकार को दूसरे गैर कांग्रेसी दलों से भी पूरी मदद लेनी चाहिये। वैसे सरकार कहती चली आती है कि सरकार की मदद करनी चाहिये लेकिन सरकार की मदद हम कैसे करें, सरकार किन बातों पर हमसे मदद चाहती है, यह भी समझ में नहीं आता। हम तो समझते हैं कि सरकार अगर हमारी मदद चाहती है तो सरकार सबसे पहले अपने मन्त्रियों के दौरों का कार्य-क्रम सुनिश्चित करे जिससे कि देख सकें कि कहीं भी मन्त्री जाते हैं वास्तव में उनके दौरे कारगर होते हैं या

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

नहीं या उनके दौरे उल्टे इस तरह के होते हैं, जिनसे उनको बुरी बातों से प्रोत्साहन मिलता है।

इस तरह से ग्रौर सैंकड़ों बातें ऐसी हैं कि जिनके लिये ग्रगर कहा जाय तो बहुत समय लग जायगा। हरेक जानता है। मेरी इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि ग्राज जो वातावरण इस समय बना हुग्रा है, उस वातावरण का ग्रसर पड़ता है इन बुरी बातों पर। ग्रगर वातावरण को पवित्र करना है तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे वातावरण में पवित्रता ग्राये, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम होगा।

ग्राज चुनाव के खर्चे के सवाल को लीजिये। हम कहते तो यह हैं ग्रौर बाद में रिटर्न पेश करते है ग्रौर बताते हैं कि हमारा ९ हजार से ज्यादा नहीं हुग्रा, संसद के लिये हमारा खर्चा २५ या ३० हजार से ज्यादा नहीं लेकिन शायद राजस्थान में ही सैंकड़ों चुनाव इस प्रकार के हुए होंगे जहां विधान सभा के चुनाव में एक-एक लाख रुपये का खर्चा हुग्रा ग्रौर संसद के चुनावों में शायद २५-२५ या ३०-३० लाख खर्च हुए। हम जानते हैं कि हमारी ग्रांखों के सामने तो इस तरह सतर्कता ग्रायोग का गठन करना या ग्रौर संस्थाग्रों का बनाना ग्रौर दुनियां के सामने दिखाना कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, यह एक तरह से ग्राडम्बर है, वास्तविकता नहीं है। ग्रगर वास्तविकता है तो सबसे पहले इन कामों को भी हमें करना है ग्रौर देखना चाहिये कि हम वास्तव में चुनाव में कौनसे हथकन्डे इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पर शराब पिलाते हैं जिसके बारे में दलील देते है कि शराब को ग्रगर बन्द करते हैं तो हमारे खजाने को घाटा होगा लेकिन हम देखते नहीं है कि शराब को बन्द करने से क्या हमारी नैतिकता उठेगी, चरित्र बनेगा या नहीं? हम केवल ८ करोड़ की बात करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो इस तरह की बातें हम ग्रपने सामने रोजाना देखते हैं। ग्राज सतर्कता ग्रायोग के बारे मे मेरे बाद बहुत से माननीय सदस्य ग्रपने विचार रखेंगे। शिकायतों के बारे में प्रतिवेदन के प्रारम्भ में कह दिया गया है कि जितनी भी शिकायतें सरकार के सामने ग्राईं, सभी शिकायतें स्वीकार कर ली गई हैं। यह पता नहीं कि स्वीकार करने के बाद उन पर ग्रमल कितना हुग्रा? लेकिन ग्रगर हम यह भी मान लें कि उन पर ग्रमल हुग्रा तो भी इससे कोई संतोष की बात नहीं है। इतना ही हमारे लिये कहना काफी होगा कि सतर्कता ग्रायोग का काम चल रहा है ग्रौर इस ग्रायोग का वास्तव में इस बात के लिये गठन हुग्रा है तो फिर उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिये, इसकी शक्तियां बढ़ानी चाहिये, पंचायतों, पंचायत समितियों ग्रौर जिला परिषदों के लिये भी ग्रौर जिस प्रकार के विचार पहले वक्ताग्रों ने दिये हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं, मन्त्री हैं, विधायक हैं उनके लिये या तो सतर्कता ग्रायोग हो या इस ग्रायोग के ग्रधिकार में ही तमाम बातें देनी चाहिये ग्रौर ग्रगर कोई ग्रौर संस्था का गठन करना हो तो वह भी किया जाय। जब तक ये तमाम बातें नहीं होती हैं, तब तक हम किसी प्रकार से भी भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग का दूसरा प्रतिवेदन पहली अप्रेल, १९६६ से ३१ मार्च, १९६७ का जो सदन में प्रस्तुत किया गया है। उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १९६२ में सन्थानम् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्र में और स्टेट्स में सतर्कता आयोग की स्थापना की जाय और उसी दृष्टिकोण को रखते हुये अप्रेल, १९६४ में राजस्थान विजिलेन्स कमीशन की स्थापना हुई और उसने जुलाई, १९६४ से कार्य शुरू किया। जुलाई, १९६४ से ३१ मार्च, १९६६ तक पहली रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई थी और अब यह दूसरी रिपोर्ट अप्रेल, १९६६ से मार्च, १९६७ तक सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई है। मैंने इस प्रतिवेदन को अच्छी तरह से पढ़ा है और इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि सतर्कता आयोग ने जो प्रतिवेदन पेश किया है, उसका जितना भी सीमा क्षेत्र और जो उसके अधिकार हैं, जो उनके पावर्स हैं, वह कार्य सराहनीय किया गया है। उसका कार्य बहुत सीमित था, उसका क्षेत्र बहुत सीमित था और वह क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्युडिसियरी को भी इस क्षेत्र में, सतर्कता आयोग के क्षेत्र में लिया जाना चाहिये, एम० एल० एज०, प्रधान व लोक सेवक को भी लिया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में पूरी तरह से यह कोशिश की जानी चाहिये कि भ्रष्टाचार की समाप्ति हो। हम यह देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ रहा है। क्या सरकारी क्षेत्र में, क्या जनता के प्रतिनिधियों में सभी जगह यह भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार को, जो व्याप्त है, उसके लिये हम भले ही सतर्कता आयोग कायम करें, लोकपाल की नियुक्ति करें, लोक आयुक्त की नियुक्ति करें परन्तु यह भ्रष्टाचार इनसे समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिये हमको सामाजिक जीवन में बहुत परिवर्तन करना होगा। हमारी शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। २० साल हुये आजादी प्राप्त किये, परन्तु शिक्षा के अन्दर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया और हम यह देख रहे हैं कि दिनोंदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और यह स्थिति हो रही है कि इस क्षेत्र में जो सबसे घटिया से घटिया लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जिनको एल० डी० सी० की भी नौकरी नहीं मिलती है, पटवारी की नौकरी नहीं मिलती है, किसी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिले वह टीचर और मास्टर की लाइन में जाता है। जब हमारे मास्टर इस प्रकार के हैं, जब हमारे गुरु इस प्रकार के हैं, जब हमारे टीचर्स इस प्रकार के हैं जो कि योग्य नहीं हैं, जो ईमानदार नहीं है, जिनको तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती है वह कैसे रचनात्मक कार्य करेगा, कैसे विद्यार्थियों की रचना करेगा। जो विद्यार्थी राष्ट्र के कर्णधार होकर हमारे देश की तरक्की करेंगे, यह प्रश्न विचारणीय है। कितने ही आयोग शिक्षा के बारे में कायम हुये हैं परन्तु इसके बारे में न तो भारत सरकार ने और न राजस्थान सरकार और मैं तो यह कहूं किसी भी सरकार ने इस सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाये हैं। आज टीचर्स के लिये ज्यादा तनख्वाह देने की जरूरत पड़े तो देनी पड़ेगी, इसके लिये आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि

Page No.69

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अगर इस प्रदेश को विकसित करना है तो अच्छे से अच्छे योग्य और ईमानदार टीचर्स की नियुक्ति करनी होगी। दूसरी जो चीज मैं आपके सामने रखता हूं और जो रास्ता महात्मा गान्धी ने बताया विशेषकर अपरिग्रह का, जैन धर्म में भी अपरिग्रह की महत्ता है। हमारा जीवन सादा हो, हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिये। हम कभी भी सादगी को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। क्या मंत्री, क्या एम० एल० ए०, क्या प्रधान, क्या प्रमुख ये सब पूरी दौड़ लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा धन उपार्जन करे, कौन ज्यादा सम्पत्ति इकट्ठी करे। इस दौड़ में लगे हुये हैं। मंत्री, प्रधान, प्रमुख, एम० एल० ए० सभी इस दौड़ में लगे हुये है। सम्पत्ति को इकट्ठी करने की दौड़ में लगे हुये है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कतई सही नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कितनी भी कोशिश की जाय हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो दृष्टिकोण मैं देख रहा हूं वह यह है कि आज न तो ईमानदार कार्यकर्त्ता की कदर है, न ईमानदार गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की। उनमें फ्रस्ट्रेशन फैल गया है, उनको प्रमोशन नहीं मिलते हैं, उनकी तरक्की में रुकावट डाली जाती है। मैंने यहां तक देखा है कि एक डी० आई० जी० थे–श्री सन्तराम शर्मा, जो हमारे एम० पी० भी रहे हैं, डी० आई० जी० भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : और मैं कहता हूं कि वे बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही योग्य थे। अगर उनका कोई राईट भी ...

श्री दौलतराम सारण : लेकिन वो एम० एल० ए० तोड़ने में असमर्थ थे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं बता रहा हूं कि अगर उनको आई० जी० पी० मुकर्रर किया जाता तो वे इतने योग्य, सुदृढ़ विचारों के, इन्डिपेन्डेन्ट और निष्पक्ष विचारों के थे कि कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकते थे। परन्तु हम आज देख रहे हैं कि ऐसे आई० जी० पी० की या किसी ऐसे चीफ सैक्रेटरी की नियुक्ति नहीं होती है, उनको कार्य करने का मौका नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन जो बहुत ही निष्पक्ष कहा जाता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति, गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट, असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसीक्यूटर कोई भी हो किसी के अन्दर निष्पक्षता नहीं बरती जाती है। उनकी नियुक्तियों में भी राजनीति को लगाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : थैन्क यू।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहता हूं कि यह उचित नहीं है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते हैं और इन नीतियों से जनतन्त्र की प्रणाली चकनाचूर हो जायगी।

श्री रामकिशन : बहुत अच्छा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो मैं कहता हूं कि जल्दी ही साम्यवाद आयगा, हिंसा होगी, और चीन जो दूसरे मुल्क हमारे सामने है वे क्या देखेंगे...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : साम्यवाद के लिये हिंसा की जरूरत नहीं हैं हिंसा साम्यवाद से आने वाली नहीं है, यह मैं आपको कह सकता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं साम्यवाद की बात नहीं ...... आप सुन लीजिये पहले। मैं तो यह कह रहा था कि जब ये सब चीजें इतनी बढ़ जाती हैं तो अहिंसा से कार्य नहीं चलता। मनुष्य का धीरज टूट जाता है और जब मनुष्य का धीरज टूट जाता है तो हिंसा को अख्तियार कर लेते हैं तो अराजकता आ सकती है, साम्यवाद भी आ सकता है। मैं साम्यवाद को पसन्द नहीं करता क्योंकि उसमें विचारधारा की स्वतन्त्रता नहीं है। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि विचार रखने की स्वतंत्रता हरेक नागरिक को होनी चाहिये ताकि हर व्यक्ति वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर सके। इस स्थिति को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि हमें लोकपाल की नियुक्ति की कोशिश करनी चाहिये। लोकपाल की नियुक्ति के लिये भारत सरकार कदम उठा रही है हमें भी इस बारे में कदम उठाना चाहिये। गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स के प्रोमोशन्स अपोइन्टमेन्ट्स इसके अन्दर भी रूल्स का कड़ाई से पालन करना चाहिये। हम आज तो यह भी देखते है कि विश्वविद्यालयों में भी जहां लेक्चरार्स को आगे प्रोफेसर्स के पद पर नियुक्त किया जाता है पदोन्नति देकर उसमें भी पक्षपात द्वारा प्रोमोशन दिये जाते हैं, उसमें भी सही नीति को नहीं अपनाते इसलिये इसके अन्दर परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अभी हमने एक अमेण्डमेन्ट बिल पास किया है जिसमें मंत्री पद से हटने के बाद भी मंत्री लोग बंगले की और अन्य सुविधाएं जैसे पानी, बिजली आदि की दो महीने तक उपभोग कर सकते हैं। यह सुविधाएं आखिर क्यों दी जाती है? होना तो यह चाहिये था, ज्योंही मंत्री पद से अलग हुए उनको सब सुविधाएं तुरन्त छोड़ देनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : पोइन्ट आफ आॅर्डर सर, जो निर्णय हो चुका है उस पर भाषण नहीं हो सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस तरह से आपका कोई नम्बर आने वाला नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज तो दौड़धूप इस बात की चल रही है कि मंत्री पद मुझे मिल जाय हर एक मिनिस्टर बनना चाहता है, इस बात की हिन्दुस्तान में सब जगह दौड़-धूप लग रही है। डागाजी की भी दौड़धूप इसी बात के लिये लग रही है। यह दौड़-धूप इसलिये लग रही है कि आज मिनिस्टर्स का जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण है, सभी चाहते हैं कि हम भी मिनिस्टर बन जायें। आज होना तो यह चाहिये मिनिस्टर्स को अपना त्यागमय जीवन बनाना चाहिये। एम० एल० ए० को भी त्याग की भावना अपनानी चाहिये तभी जाकर यह दौड़धूप समाप्त हो सकती है।

आज हर व्यक्ति चाहता है, हर मिनिस्टर चाहता है कि मेरे पास लाखों की सम्पत्ति हो जाय, मैं फार्म्स एस्टेब्लिश कर लूं, मैं चार पीढ़ियों के लिये धन संचय कर लूं इस ओर आज सब का ध्यान लगा हुआ है। यह भावना सारे हिन्दुस्तान में चल रही है केवल कांग्रेस पार्टी में ही हो यह बात नहीं, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ पार्टी, साम्यवादी पार्टी आदि हर पार्टी में इसके लिये दौड़ चल रही है। इसको चैक करने के लिये कुछ न कुछ

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रतिबन्ध लगाने पड़ेंगे। मंत्रियों को चाहिये कि वे त्यागमय जीवन बिताकर जनता के सामने आदर्श रखें जिस प्रकार का त्याग आजादी हासिल करने के लिये किया गया आज देश के निर्माण के लिये भी क्या मिनिस्टर, क्या एम. एल. ए., सब को बलिदान करना पड़ेगा तभी जाकर यह भ्रष्टाचार खतम हो पायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सतर्कता आयोग पर अपने विचार रखते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सतर्कता आयोग का दूसरा प्रतिवेदन सदन के सामने है। पिछली रिपोर्ट पर एक साल पहले विचार हुआ था। आज एक साल बाद यह दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि इस सतर्कता आयोग से यह भ्रष्टाचार कम होने का नहीं है, दूर होने का तो सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी मेरी धारणा यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार दूर करना नही चाहती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी मान्यता यह है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तो साम्यवाद आजायगा, क्रान्ति आजायगी। मैं उनसे कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार इसके बिना भी दूर कर सकते हैं वह उपाय मैं बता सकता हूं। लेकिन वह ज्ञान मैं तभी दूंगा जब कि वे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये न साम्यवाद की आवश्यकता है और न हिंसा की आवश्यकता है। इसके लिये माननीय सदस्यों को पक्का दिल करने की आवश्यकता है, यदि यह हो जाय तो दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपको यह ज्ञान तीन साल के बाद प्राप्त हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तभी आपको दिया जायगा क्योंकि गीता में कहा है, ज्ञान उसी को देना चाहिये जो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो। हमें भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। रामनारायणजी इस बात को जानते हैं। डागाजी तो खुशामद में लगे हुए हैं। इन्होंने इतना पोल्सन लगाना शुरू कर दिया कि बटर ही महंगा हो गया। भ्रष्टाचार खतम करने की बहुत सीधी सी बात है। सतर्कता आयोग सन् ६४ मे कायम हुआ था, आज उसके तीन साल बाद रिपोर्ट पेश हुई है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा मैं इस बात को मानता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यह माननीय मंत्री महोदय का खुद का वक्तव्य है जो इसी विधान सभा में दिया जिसका वृतान्त मेरे पास है उस वृतान्त के पेज ३५५ पर उन्होंने कहा जहां तक विजीलेन्स कमीशन की कारगुजारी का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तीन साल तक इस कमीशन के काम करने के बाद नतीजा अब भी वही है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पक्की धारणा है कि पिछली बार जितना भ्रष्टाचार था, उससे कई गुना आज के दिनों में बढ़ गया है, भ्रष्टाचार के लिये जो कानूनी दफा है १६१ है,वह निकाल दिया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सरकार में काम काज करने वाले अधिकारी को खुली छूट है। वह भ्रष्टाचार करे, कोई सुनने वाला नहीं। मुझे जनता में जाने का मौका मिलता है। मैं देखता हूं इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई रोक टोक नहीं।

जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है, हम इसे रोकना चाहते हैं। नन्दाजी भी कहा करते थे कि हम दो साल में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। ईमानदार अधिकारी है, वह सोचता है कि दो साल जो कुछ करना है करलो बाद में बन्द हो जायगा। जो लोग भ्रष्टाचार पहले से ही करते चले आ रहे हैं वे यह सोचते हैं कि दो सालों में जितना करना हो कर लो, रुपया बटोरना हो बटोर लो। ये सब बातें ही रह गई। नन्दाजी चले गये भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है लेकिन भ्रष्टाचार पर टिकी हुई सरकार कब चाहेगी कि यह खत्म हो जाय। यह सरकार खत्म होगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सरकार का जन्म ही भ्रष्टाचार की घुट्टी से हुआ।

श्री मदनसिंह : मरेगी भी तो भ्रष्टाचार से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं यह भ्रष्टाचार से ही मरने वाली है, यह सही बात है? क्यों मरने वाली है यह तो जनता का राज है। कभी इस सरकार द्वारा गोली चलाई जाती है तो कहा जाता है जनता की सरकार है जनता की मरजी से चलती है और इसी तरह से जनता की मरजी से ही सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप जनता की मरजी से राज नहीं कर रहे हैं क्या? मैं क्या गलत कह रहा हूं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सही बात से आप चिढ़ते क्यों हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका नम्बर आया था तब आपने क्या किया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी चली वहां तक तो मैंने बहुत किया।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप क्या करते थे, हम जानते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी को मेरे लिये कहने की हिम्मत नहीं हो सकती।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप भी उनके साथियों में से थे? आप क्या करेंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज भी हमारे दल के पास गवर्नमेन्ट हो तो फिर आप देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दें तो आप हमें फांसी लगा देना। जब कभी इस प्रकार की बात आती है तो घबराते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी संविद सरकार ने क्या किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं राजस्थान के जिम्मेदार अफसरों की बात कहता हूं और उनकी तुलना यू० पी० से करता हूं। हमारे यहां पर भी बोर्डर लगे हुए हैं हमारे यहां पर भी चौकियां हैं और उधर भी हैं। पर जब से यू० पी० में संविद सरकार आई, अगर कोई नाजायज सामान एक हजार देकर भी ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता। यह परिवर्तन वहां पर हुआ है और आपके बोर्डर पर, चौकियों पर रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। एक कांग्रेस के एम. एल. ए. यू० पी० में हो कर आये तो कहने लगे कि वहां भ्रष्टाचार खतम होता नजर आ रहा है। चरणसिंह को सरकार में रिश्वत भ्रष्टाचार बहुत कम हो गये थे। पर उपाध्यक्ष महोदय, इनको अपनी गलतियों की बात अपनी भ्रष्टाचार की बात सुनने में भी अफसोस होता है। अगर कोई उनके खिलाफ बात कही जाती है तो उनसे सुनी नहीं जाती। सुनने में भी अफसोस हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप लोगों ने ही चरणसिंह को गिरा दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत है। मैं जानता हूं, क्या है ? यह सारा मामला सरकार की मशीनरी पर निर्भर करता है। सरकारी मशीनरी ठीक काम नहीं करती है तो आश्वासन दिया था कि हरेक विभाग पर सीनियर आर० ए० एस० आॅफिसर अपोइन्ट करेंगे, वह जांच करेगा और वह आश्वासन इस रिपोर्ट में भी दर्ज है। पर मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार ने की हो।

इसी तरह अब भी वे कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुतसी कार्यवाहियां करने वाले हैं। पर मैं कहता हूं उनसे कि यह बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनके बूते का रोग नहीं रह गया है। इसका तो ड्रास्टिक इलाज अब जब तक नहीं किया जावेगा, तब तक इसका अन्त अब नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उपाय तो बताया ही नहीं।

श्री हीरजी भाई : यही उपाय है कि इस सरकार को ही पहले खतम किया जाय।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : यह आयोग की दूसरी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत है।

इस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये। इसमें ७३८ राज-पत्रित अधिकारी और १३४ अराजपत्रित अधिकारी दण्डित हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल के तौर पर अपने सब डिवीजन की बात उपस्थित करता हूं। मेरे सब डिवीजन में एक विकास अधिकारी थे। वहां पर उनको बड़ी-बड़ी रिश्वतें खाने की शिकायतें थीं। उस पर

(श्री श्रवणलाल)

उसने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा किसी भी तरह से प्रमोशन लेकर उच्च अधिकारी बन जाना चाहिये। वह दस हजार की रिश्वत देकर पचास क्विन्टल गेहूं भेज कर मन्त्री महोदय के पास पहुंचा। मन्त्री महोदय ने उसे एस० डी० एम०, हिण्डौन बना दिया। अब वे जनता से खुले आम रिश्वतें लेने लगे। लोग कहते तो जवाब देते कि दस हजार मन्त्री महोदय को देकर आया हूं। अब देकर आया हूं तो अब मैं लेता हूं उसकी भरपाई करता हूं तो क्या गुनाह करता हूं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन से एस० डी० एम० ?

श्री श्रवणलाल : श्री नाथाराम, एस० डी० ओ०, हिण्डौन।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : बिलकुल गलत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत तो सही वाला कौनसा है ?

श्री श्रवणलाल : अगर हलवाइयों को चीनी लेना है तो एक बोरी पर सौ रुपया दे जाओ और ले जाओ। जमीन का मामला आया एक भी दिन ये साहब कोर्ट में नहीं बैठे। टोडा, भ म और महवा आकर वहां पहले रहते थे, उस जगह के डाक बंगले में बैठ बैठकर लाखों रुपया हिण्डौन सब-डिविजन से ब गये। इस प्रकार इस आदमी ने रुपया बटोरा है। तो यह भ्रष्टाचार नीचे से नहीं, इस तरह से ऊपर से चलता है और वही पनप रहा है।

आज आप कोशिश यह कर रहे हैं कि ऊपर के पाप नीचे वालों पर डाल दिये जायें। एक पटवारी को पकड़ लिया। एल० डी० सी० के खिलाफ चार्ज लगा दिया और कह दिया कि इस प्रकार के चार्ज तो साबित हुए। एक छोटे कर्मचारी के लिये लिख दिया कि उसके भ्रष्टाचार के आरोप तो सिद्ध हो गये। पर इस तरह से उच्च अधिकारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं आया। तो उपाध्यक्ष महोदय एक अधिकारी जब जानता है, खुले रूप से कह रहा है कि किस प्रकार रिश्वत देकर वह ऊपर अफसर बन कर आया है तो फिर कैसे वह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां हमारे यहां पर भी इस बात से जनता में तहलका मचा। मामला यहां पी० सी० सी० में भी आया। और मैं धन्यवाद देता हूं हिण्डौन कि जनता को कि जो भ्रष्टाचार कर रहा था उस अधिकारी का ट्रान्सफर करा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पर होता क्या है ? आज छः महीने हो गये, उनकी जगह दूसरा अधिकारी हिण्डौन अभी तक नहीं आया। लोग हैरान हैं। अपने मुकद्दमों के लिये आॅफिस के चक्कर लगाते-लगाते थक गये हैं। आज भी वह इस चक्कर में है कि वापिस मेरा तबादला वहीं हो जाय और जिनसे हजारों की रिश्वतें लेकर वादे किये थे, उनको पूरा करूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है। विषय पर आ जाएं।

श्री श्रवणलाल : मैं यही विषय तो बतला रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि इस तरह के भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाय क्योंकि

(श्री श्रवणलाल)

यह तो ऊपर से पनप रहा है । इस आयोग के माध्यम से व्यवस्था तो यह की जानी चाहिये थी कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य एम. एल. ए. प्रधान या प्रमुख या अन्य कोई भी हो चुने हुए नुमाइन्दे हों या कोई हो सबसे पहले विजिलेन्स कमीशन उन पर बिठाना चाहिये था ।

(२ म० प०)

जिससे कि वह विजिलेन्स कमीशन इनके द्वारा जो काम होते हैं उसकी इन्क्वायरी करता और चुने हुए नुमाइन्दों के लिए भी यह रिपोर्ट देता तो कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती कि वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने के लिए सहमत हो जायें । जब बाप ईमानदार होगा, बाप कुचाल चलने वाला नहीं होगा तो बेटे को भी शिक्षा देगा कि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है इसलिए भले काम करो लेकिन जब बाप किसी लायक नहीं है तो बेटे की क्या हालत होगी ? वह तो दिन ब दिन नये-नये ढंग के अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेगा । तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जो रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, मैं तो एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जितने भी ये ७३८ व्यक्ति पकड़े गये हैं उनका एक प्रदर्शन करना चाहिये । उनकी फोटो खिचवाइये और एक नुमाइश बननी चाहिये और उसे जनता के सामने रखना चाहिये ताकि यह मालूम हो कि ये हैं गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को छीनने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले । उनकी शकल यह है । यह है राजस्थान की जनता को धोखा देने वाले । तो इस रिपोर्ट में भी उनकी फोटो होनी चाहिए जिससे जनता को महसूस होता कि हमारे साथ में भ्रष्टाचार करने वाले कौन-कौन हैं और फिर वह उनकी शकल को देखते और थूकते । कम से कम यह नहीं तो ईमानदार आदमी इस प्रकार का उलाहना देते कि आपने किसी भी डिपार्टमेन्ट के साथ में घोटाला किया उसमें पकड़े गये क्या आप बड़े सज्जन हैं । और कुछ नहीं तो इससे उनके लिए लज्जा की बात जरूर होती और इससे वह आदमी शर्मिन्दा होता और हो सकता है आगे के लिए वह कसम खाता कि मुझको जो सजा मिली है वह बहुत है और आइन्दा के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी प्रकार का जनता के साथ में धोखा नहीं करूंगा और उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लूंगा । अगर यह भ्रष्टाचार ऊपर से समाप्त किया गया तो जरूर समाप्त हो सकता है । पटवारी, एल० डी० सी० या पुलिस के कान्सटेबल को लेकर भ्रष्टाचार खतम करने की बात करें तो यह कभी समाप्त नहीं होगा । उसी के साथ-साथ हमको आज जनता के अन्दर जो भावना फैल रही है उनको जब मालूम हो जायेगा कि भ्रष्टाचार करने वालों का यह नतीजा है तो कोई नहीं करेगा । जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा था कि कामों और पहाड़ों के अन्दर जो सहायता के लिए लाखों रुपया दिया गया था उसमें किसी को १० परसेन्ट और किसी को २० परसेन्ट कम देकर भ्रष्टाचार किया । उसमें चुने हुए व्यक्ति भी शामिल थे । इस प्रकार से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार के हमारे मंत्री हैं तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ उन्होंने जो

(श्री श्रवणलाल)

भ्रष्टाचार के नमूने पेश किये हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि ४६ तो क्या १०१ की लिस्ट भी बनाकर किसी दरवाजे पर टांग दी जाये तो वह भी कम है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति की गई है, पहले भी हमारी सरकार की तरफ से एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट था। आज उसके अन्दर क्या होता है कि उसमें कोई मामला जाता है उसके लिए भी पहले सौ दौ सौ रुपया रिश्वत होनी चाहिये। किसी नोट पर दस्तखत करने के लिये जाते हैं तो उसमें भी इस प्रकार की भावना पैदा हो गयी है कि जिन्होंने बुलाया वहां उनसे रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक नहीं पहुँचेंगे और अगर पहुँच भी गये तो यह सूचना जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाना है उसको दे देंगे, उसको सचेत कर दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट जो पेश हुई है उसके अन्दर कई सुझाव ऐसे दिये हैं कि उसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को पहले अपने से समाप्त कीजिए। आप अपने आपको शुद्ध बनाइये तब आप दूसरों के लिए सोच सकते है और तब ही दूसरों के लिए चार्जेज लगा सकते हैं और उनके खिलाफ इन्क्वायरी और कार्यवाही कर सकते हैं अन्यथा कुछ नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जितने सदस्य बोले हैं, वे सब सोचते हैं कि भ्रष्टाचार सब में ही व्याप्त हो गया। भ्रष्टाचार फैला हुआ है सब में, हर आदमी कहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं था ? भ्रष्टाचार किन कारणों से हुआ है और उसको अब किस प्रकार से समाप्त करें, इस कमेटी की रिपोर्ट में है कि ७०० से कुछ ज्यादा राजपत्रित अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आये हैं। करीब ६ हजार राजपत्रित अधिकारी हैं। काफी पर्सेन्टेज इनका है कि इतना प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी में भ्रष्टाचार क्यों है, इनकी शिकायत क्यों है ? तो जब सरकार ने यह विजिलेन्स कमीशन बनाया और बेईमान और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिये जांच की गई और उनको सजायें दी जा रही हैं। तो हम कहें कि भ्रष्टाचार सरकार बढ़ाने जा रही है तो विजिलेन्स कमीशन कैसे बना और इनको सजायें कैसे मिल रही हैं और इनकी जांच क्यों हो रही है ? यह इसलिये ही हो रही है कि सरकार नहीं चाहती कि देश में भ्रष्टाचार बढ़े। सरकार तो इस तरह से भ्रष्टाचार कम कर रही है। अब होता क्या है कि भ्रष्टाचार सबको सब जगह दिखाई देता है। एक भाई साहब, बाड़मेर से आने वाले बोले और कुछ और भी बोले कि पंच, सरपंच, विधान सभा के सदस्य, मिनिस्टर्स, पंचायत के प्रधान, प्रमुख सब भ्रष्टाचारी हो गये हैं और सब धन एकत्र करने में लगे हुए हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उसी समय एक गाथा याद आई कि भगवान्

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गये और दोनों ने ही कहा कि भगवन् हमें सहायता दीजिये। भगवान् श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा कि तुम किसी भ्रष्टाचारी आदमी को ढूंढ कर लाओ। तो वह भ्रष्टाचारी को ढूंढने के लिये निकले। अर्जुन तीन लोक और चौदह भुवन में घूम कर आ गये और उनको कोई भ्रष्टाचारी आदमी नहीं मिला और जब दुर्योधन से श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अच्छे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो चरित्रवान हो और भ्रष्ट न हो। दुर्योधन भी घूम आये और उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। तो वास्तव में भ्रष्टाचार हमारे हृदय में घुसा हुआ है। मुझे दुःख होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जब लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र गिर गया है। हमने देखा चीन की लड़ाई में जनता आग बबूला हो गयी थी। हमारा बहुत ऊंचा राष्ट्रीय चरित्र है। क्या मजाल है जो हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई आंख उठा सके। लोगों में जान है लेकिन हमारे आदमी कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र गिर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होती है। क्या पहले कभी भ्रष्टाचार नहीं था ? पहले १५ रुपये का अधिकारी दो-दो लाख की इमारत बना गया, वह भ्रष्टाचार नहीं था ? और भ्रष्टाचार आज है। यह समुचित भ्रष्टाचार तब मिट सकता है उपाध्यक्ष महोदय, जब या तो माननीय सदस्य आज की जो परम्परा है, नैतिकता को कायम रख कर चलें और ईश्वर पर भरोसा करें और धर्म के १० लक्षण हैं उनको मानें। राज्य भी यदि उसको मानता है तो भ्रष्टाचार मिट सकता है अन्यथा मानव कानून बनाता है कि हम चल और अचल सम्पत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होने देंगे इससे क्या होता है। कुछ लोगों की आदत है कि गड़बड़ियां करें लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरी स्थिति आज देश की नहीं आई। आज की स्थिति साफ है। ज्यादा से ज्यादा लोग देश में ईमानदार हैं। गलत लोग यह कहते हैं कि दुनियां बेईमान है। वह कहते हैं कि जिनके दिलों में बेईमानी है. उस बेईमानी को मिटाने के लिये हरेक को बेईमान कहने से बेईमानी नहीं मिटेगी। उनके ऊपर अंकुश लगायें आप। हर एम. एल. ए. बेईमान है। बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसे हैं कि कोई भी कह दे कि हम सब बेईमान हैं और हम सब सुन लें सदन के सारे मेम्बर्स और सुन कर हंस दें। बेईमानी की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं ? आपको घर चले जाना चाहिये। हम सब बेईमान हैं। कितने आदमी बेईमान हैं ? आप नाम कहिये। उछल-उछल कर कह दिया कि हर मिनिस्टर बेईमान है। आपको ४०० रुपये मिलते हैं....

श्री हीरा भाई : हम बर्दाश्त करते हैं। सब बेईमान हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बेईमान को बेईमान दिखता है। ४०० रु. एक एम.एल.ए. को मिलते हैं और कोई मिनिस्टर ८०० रुपये लेता है और कोई एक हजार लेता है। तो ४०० रुपये आप से ज्यादा ले ले तो वह बेईमान है ? बेईमानी का काम किसी ने किया है तो उसकी शिकायत करें, उसकी जांच करवाइये।

श्री हीरा भाई : कौन सुनता है ?

श्री विजयसिंह रावत : चोर को जांच चोर करे तो चोर ही नतीजा निकलता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सही कहते हैं। मेरी भी वही बात है। जिनके दिल में वह बात घुसी हुई है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सही कहता हूं कि वही ऐसी बातें करते हैं। संसार को चलाने में दो प्रकार की सम्पदाएं मानी जाती हैं—एक दैवी सम्पदा और दूसरी आसुरी सम्पदा। जब आसुरी सम्पदा का प्रादुर्भाव होता है तो हर जगह मनुष्य को भ्रष्टाचार दिखता है। हम नहीं कहते कि आप बेईमान हैं। बार-बार आप कहते हैं, आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदा-यदा ही धर्मस्य ..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यहां यदा-यदा ही धर्मस्य होगा मार्क्स नहीं। जैसा आपने फरमाया है, वही होगा और होकर रहेगा।

श्री हीरा भाई : डूब कर रहेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यहां कम्युनिज्म नहीं होने वाला है। आप आ गये हैं किसी वजह से। यहां यदा-यदा हि धर्मस्य होने वाला है। रामानन्दजी को चिढ़ है धर्म से ...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अर्थ का अनर्थ न करें। शास्त्रों का विवेचन उचित ही करें, व्यासजी।

श्री रामकिशन : यहां शास्त्रार्थ की जगह नहीं है, राजनीति की जगह है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बहुत कम लोग बेईमान हैं। सतर्कता आयोग द्वारा काफी लोग पकड़े गये हैं। उनकी जांच हुई है। ८०० दरख्वास्तें ऐसी आई हैं जो बिल्कुल सही नही मानी गई हैं, लिखा हुई ठीक नहीं हैं, नाम नहीं हैं। १६०० में से आधी तो यही हैं यानी शिकायत करने वाले भी आधे बेईमान हैं। पूरी शिकायत नहीं हुई। शिकायत करना है तो पूरी करें। दम-खम के साथ करें। कोई न कहेगा कि झूठी शिकायत लोगों की करते हैं। कितने ही अच्छे लोग हैं। मैं बहुत सारे सरकारी अधिकारियों को जानता हूं, बड़े ईमानदार हैं। कई सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो कि हर पार्टी में मिलेंगे जो कि फटे हाल गांवों में फिरते हैं। आज हम कह दें कि सार्वजनिक वर्कर्स सब बेईमान हैं ..

एक माननीय सदस्य : किसने कहा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यहां कहा गया। मैं बहुत से मंत्रियों को जानता हूं जो काफी ईमानदार हैं। जिनकी कि मुझे जानकारी है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो पार्टी छोड़कर चले गये और उधर बैठ गये, वे भी ईमानदार हैं

श्री रामानन्द अग्रवाल : बताइये कौन-कौन से ईमानदार हैं ?

श्री हीराभाई : कौन-कौन ईमानदार हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटीसी बात अर्ज करूंगा। एक राजपूतों का खाना था उसमें यह बात चली कि इसमें पता लगाया जाय कि कौन सैयदअली इसमें घुस गया है। यह पता लगाया जाय कि सही आदमी कौन है ? जब लोग आने लगे तो कोई राजपूत सरदार आये तो कहा आो कुए को गोलो है। राजपूत सरदार थे तो उन्होंने समझा कि सरदार बैठे हैं वैसे ही मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जिसकी मां हेली बाप तेली और बैटा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

सैयदअली थे वे चिल्ला-चिल्ला कर बोले। तो जांच तो इनकी होनी चाहिये। (हंसी) नीति का वाक्य है कि अति भक्ति चोर का लक्षण होता है, अति जिज्ञासु होता है वह चोर होता है जो दूसरों को चोर और अपने को ईमानदार कहता है। जो दूसरों को बेईमान कहता है वह सबसे बड़ा बेईमान है। क्या बात है कि हर आदमी को चोर कह दें! हर वक्त कह देते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है तो आप उसको बढ़ायेंगे। जितना है उसको कम करना चाहिये। भ्रष्टाचार लुप्त हो गया है समाज से ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। अंकुश को ज्यादा कड़ाई के साथ लगाना होगा। शिकायत पटवारी, सिपाही और गरीब मास्टरों की नहीं बल्कि उन लोगों की करना चाहिये जो सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स की चोरियां करते हैं। सेल्स टैक्स के २७ केसेज आगे। उन लोगों को पकड़िये, उन लोगों की जांच कीजिये जो कि वास्तव में बेईमानी करते हैं। आज तो हालत यह है कि लाखों रुपयों के इन्कमटैक्स की चोरियां करते रहते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों। लाखों रुपयों की चोरी करके महलों में बैठे रहेंगे उनकी जांच करायें, लेकिन जो बाजरे के सिट्टे तोड़ते है, मक्का के सिट्टे तोड़ने वाले है, उनको कहते हैं कि चोर है। आज सारा समाज, सारे चुने हुए लोग और सारी सर्विसेज बेईमान हो गई, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। जो बेईमान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय ताकि दूसरों को बेईमानी करने की हिम्मत न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आज जो इस रिपोर्ट पर जो कुछ बहस हो रही है उस बहस के साथ जैसा कि गाड़ी या ट्रेन का डिरेलमेन्ट हो जाता है, उसी तरह से विचारों का डिरेलमेन्ट हो रहा है! इस पर न बोलकर आगे बढ़ गये हैं। मैं समझता हू कि अगर मैं उस ढंग से नहीं चलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा।

यह एक घटना है जैसे पुलिस का रजिस्टर है वैसे ही इस घटना का रजिस्टर है। इसमें आयोग को कितने अधिकार हैं, कितना आयोग मिनिस्टर्स को कह सकता है, एम० एल० एज० को कह सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें सारी घटनाओं का विवरण दिया है कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ और कैसे-कैसे रोकने के तरीके हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी चीज को रोकना है तो मैं यह नहीं कहता कि सरकार प्रयत्न नहीं कर रही है, पर किसी चीज को रोकने से पहले अगर उसके ऊपर विचार कर लें कि इसको कैसे रोका जाय तो न तो ज्यादा आफिसेज से वह रुकेगा, न डिपार्टमेन्ट ज्यादा खोलेंगे तो वह रुकेगा, आदमी ज्यादा लगायेंगे तो उससे नहीं रुकेगा। मैं समझता था कि परसों इसके सम्बन्ध में बात हुई थी कि जो हाईकोर्ट के जजेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जिनके लिए मैं समझता हूं कि एक अनपढ़ से लेकर जो शिक्षित समाज है उसका भी विश्वास है। ऐसे विश्वास के लोगों को कुछ ताकत दीजिये। ऐसे लोगों को जो हर वक्त इस काम को करते आयें हैं, उनको कुछ ताकत दीजिये, तो इससे वह रोका जा सकता है। एक आयोग है इसके पास दरख्वास्तें आ जाती हैं उन दरख्वास्तों का सरकार जवाब नही देती है और आयोग

(श्री मदनसिंह दांता)

वालों को बुरा भला कहें मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं चाहिये थी। अगर है तो इसको पावर मिलनी चाहिए। इसलिए जब तक कोई भी आयोग है, कोई भी कमेटी है, उसमें पावर निहित नहीं है, जब तक पावर दूसरों में निहित है मैं समझता हूं कि हजार कोशिश कर लें कभी इसका अन्त नहीं होगा। न कोई उसका और उपाय भी है।

मैं मानता हूं कि इसमें जितनी भी चीजें आयोग की रिपोर्ट में लिखी है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें सुझाव भी दिये हैं, उसमें यह भी लिखा है कि अमुक-अमुक सरकारी नौकर हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को कम कर दिया जाय तो ठीक ढंग से पनिशमेन्ट मिल सकती है। ऐसी चीज भी हुई है। भ्रष्टाचार के संबन्ध में तो इस आयोग ने बार-बार कहा है। यह हमारी गलती है कि यह पावर-लेस है। इसको और अधिक पावर देने की जरूरत है। यदि इसको पावर ज्यादा दी जाय तो यह इफेक्टिव कार्य कर सकता है। सदन के सभी सदस्य मिल कर सिफारिश करें कि इस आयोग को ज्यादा पावर दी जाय तो यह भ्रष्टाचार को रोक सकता है। वरना यह तो लैटरबॉक्स की तरह है, इधर से शिकायत आई उधर चलती की। सरकार इसकी सिफारिशों को कितना माने कितना नहीं, यह तो सरकार के देखने की बात है।

यहां पर शास्त्रों को लेकर, रामायण को लेकर इधर उधर की बातें कही, इन चीजों से आज भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। आप शिक्षा पद्धति को बदलें, अच्छे-अच्छे सिद्धान्त सिखावें। लेकिन आज भ्रष्टाचार के बारे में खाली प्रचार करते है। इसमें यदि किसी को सज़ा नहीं दी जायगी तो यह नहीं रुक पायेगा। चिल्लाने से यह नहीं रुकेगा। मैं समझता हूं कि इसकी डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार पर है, न एम. एल. ए. पर है न सरपंच पर। पंचायत के सरपंच टाला जाता है तो दोनों देखते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, सबसे ज्यादा चार सौ बीसी कौन कर सकता है उसी को बनाते हैं। जब आपका चुनाव करने का यह तरीका है तो भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है।

कल सदन में एक आई. ए. एस. ऑफिसर के पीछे ऐसे पड़े× × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज्ड।

श्री मदनसिंह दांता : मैं उन एम. एल. ए. महोदय को कहता हूं कि आप कम भ्रष्ट हैं क्या ? आप जनता को धोखा देकर दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री मदनसिंह दांता : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस पर मोटी टिप्पणी के लिये बजट के समय मौका आयेगा तब दी जायगी। इस आयोग के जो सजेशन्स हैं उनसे यह मालूम होता है कि आयोग में शक्ति नहीं, है इसलिये सदन के सभी माननीय सदस्य राय प्रकट करें और गवर्नमेंट को दबावें कि आयोग को ज्यादा पॉवर्स दे और प्रभावशाली बनावें। जो सुझाव दिये हैं उन पर ज्यादा गौर से विचार किया जाय।

× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.81

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह !

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसको देख कर आज के भारत और राजस्थान की हालत को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार सर्वमान्य हो गया है, सब जगह व्याप्त है....

श्री उपाध्यक्ष : इस रिपोर्ट से ही मालूम हुआ है क्या ?

श्री पृथ्वीसिंह : रिपोर्ट से और आज के वातावरण से भी यह चीज सामने आई है। मेरे से पहले जो वक्ता बोले हैं उन्होंने यह बात कही है कि भ्रष्टाचार नाम की चीज बहुत बुरी है और इसको रोकने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। हालांकि भ्रष्टाचार केवल राजस्थान में ही हो या हिन्दुस्तान में हो ऐसी बात नहीं है। अभी टपक पड़ा हो ऐसी बात भी नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत पहले से चला आ रहा है और दुनिया में हर जगह व्याप्त है। अलग-अलग जगह इसको अलग-अलग नाम दिये है। इसको कोई रिश्वत कहते हैं, कोई इसको ऊपर की आय कहते हैं और कोई इसको और नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार कोई नयी चीज हो ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों के जाने के बाद और भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद सन् १९४७ के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हिन्दुस्तान में और राजस्थान में भ्रष्टाचार एक समस्या बन गई है और उसके समाधान के लिये प्रयत्न जारी किये जा रहे हैं और उसी के परिणामस्वरूप सतर्कता आयोग जैसी चीज हमारे सामने बनकर आई है।

सतर्कता आयोग ने जो प्रतिवेदन पेश किया है उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से थोपा जा रहा है. ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि राजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ ७३८ शिकायतें साबित हुई हैं जब कि अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ ६३४ शिकायतें प्रमाणित हुई हैं। लेकिन जो चीज है उसके अनुपात को देख कर यह बात देखी जाय कि यदि मंत्रियों के खिलाफ भी जांच कराई जाय तो इनमें से ३०-३५ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित किये जा सकते हैं।

सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भ्रष्टाचार का जो तरीका है, वह ४९ तरह का उसके सामने आया है। विभिन्न तरीकों से विभिन्न अधिकारियों की जांच से, विभिन्न इन्सानों की जांच से बताया है कि ४९ तरह के भ्रष्टाचार इस साल राजस्थान में किये गये है। कुछ तरीके तो ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या की जाय तो शर्म से सर झुक जाता है। एक तरीका उन्होंने बताया है कि अधिकारी लोग और कई अन्य लोग मंदिरों की संपत्ति का भी दुरुपयोग करते हैं, मंदिर की जमीन बेच कर उसका पैसा होता है उसको भी खा जाते हैं। यहां तक हमारे राजस्थान में देखने में आया है, हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है इसलिये मैं उसको ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा लेकिन नाथद्वारा में जिस प्रकार की घटना हुई, हीरे जवाहरातों की चोरी हुई और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चोरी जरूर हुई है लेकिन मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं इसलिये हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन चोरी जरूर हुई है। ऐसा निकृष्ट कार्य राजस्थान में देखने में आया है।

Page No.82

(श्री पृथ्वीसिंह)

सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कन्ट्रोल की वस्तुओं अनाज, चीनी आदि का दुरुपयोग किया जाता है। जो सार्वजनिक उपयोग में आने वाली चीजें है जो जनता के गरीब से गरीब तबके के पास पहुँचनी चाहिये लेकिन ये चीजें ऊपर की ऊपर न जाने कहां पहुँच जाती हैं और उसका दुरुपयोग करके धन कमाने की बात देखी जाती है।

सतर्कता आयोग ने यह भी कहा है कि सिंचाई विभाग में पानी तक की चोरी करली गई है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जवाई बांध से एक मन्त्री महोदय ने अपने खेत में पानी खोल कर उसका जो आबयाना होता है वह राज्य सरकार को अदा नहीं किया है और दूसरे कास्तकारों का जो पानी था उसका नाजायज तरीके से दुरूपयोग किया है। इसी प्रकार पटवारी से मिल कर १०० बीघा खेत में सिंचाई की और बहुत थोड़ा दर्ज करा कर पैसा कम दिया है। इस प्रकार पानी की चोरी की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों से पैसा लेकर उनको पास किया जाता है। ट्यूशन के लिये नाजायज दबाव डाल कर, पैसा लेकर उनको पास किया जाता है।

चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मैं कहूंगा कि किस प्रकार निःशुल्क दी जाने वाली चिकित्सा के लिये गरीब परिवारों के लोगों से रिश्वत लेकर उनको दवाइयां दी जाती हैं और हॉस्पिटल में मरीजों का एडमिशन करने में भी रिश्वत ली जाती है।

मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। बीज जैसे मामले में भी चोरी की जाती है। पंचायत समिति सुमेरपुर का उदाहरण मैं दे चुका हूं। वहां पर १७१ बोरी बीज की चोरी पंचायत समिति के गोदाम से होती है। जब इन्क्वायरी होती है तो मुल्जिम को पकड़ने के लिये थानेदार पीछा करता है तो एक मुल्जिम द्वारा शिकायत थानेदार के खिलाफ करने पर वह केस ट्रान्सफर किया जाता है और ऐसे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है जहां मुल्जिम चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्जिम के साथ पंचायत समिति के प्रधान और गृह-मंत्रीजी से कहते हैं कि फलां जगह पर ट्रान्सफर हर सूरत में होना चाहिये। और इसका जो केस है वह सोजत के डी० एस० पी० के पास ट्रान्सफर किया जाना चाहिए क्योंकि सोजत का डी० एस० पी० उन मुल्जिमान से मिला हुआ था। हालत यह होती है कि डी० एस० पी० ने उसकी जांच की और जांच करके, जो सारी १७१ बोरी सराड़ा पंचायत समिति, उदयपुर डिवीजन में बेच दी गई थी, उस माल को बरामद तक नहीं किया और मुल्जिमान के अंट-शंट करके चालान पेश कर दिये गये। अगर वह माल सराड़ा पंचायत समिति के गोदाम से बरामद किया जाता और माल के साथ में उन मुल्जिमान का चालान किया जाता तो उन मुल्जिमान का बचने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

अकाल राहत में जो मजदूरी दी जाती है, मजदूरों को (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बहुत कम समय में खत्म करता हूं।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री पृथ्वीसिंह : इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, नाना प्रकार के तरीकों से भ्रष्टाचार किये गये, इन भ्रष्टाचार के तरीकों को

(श्री पृथ्वीसिंह)

रोकने के लिए सतर्कता आयोग को अधिकार बिल्कुल नहीं हैं, उसका अधिकार क्षेत्र बिल्कुल सीमित है इसलिए सीमित अधिकार क्षेत्र के होते हुए वह किसी हालत में सही निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनको जांच करने का अधिकार है लेकिन जांच से जुर्म साबित होने पर उसको दण्ड देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इससे अच्छा यह है कि इस सतर्कता आयोग से जांच क्यों कराई जाय, क्योंकि जांच तो अलग-अलग विभागीय अधिकारी ही कर सकते हैं और विभागीय अधिकारी जांच करके दण्ड भी देते हैं, न्यायालय में चालान करते हैं, तो फिर सतर्कता आयोग जैसी चीज को रखने से मतलब क्या है (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ! आपके बोलने का समय समाप्त हो गया।

श्री पृथ्वीसिंह : एक मिनिट में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर देता हूँ।

इसी प्रकार जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी जांच करने के लिए इस सदन में विरोधी दलों की ओर से एक लोक आयोग नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई थी, एक संकल्प भी लाया गया था लेकिन आपने बहुमत के आधार पर उस संकल्प को गिरा दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वह संकल्प गिरा दिया है लेकिन आपको यह चाहिए कि इस सतर्कता आयोग, इस कमीशन को जन प्रतिनिधियों के खिलाफ भी जांच करने का अधिकार हो और जांच करने पर जो कुछ स्थिति हो, उसके मुताबिक सजा दें या और कुछ करें। एक सवाल यह आता है (समय-समाप्ति सूचक-घण्टी) कि सतर्कता......

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पृथ्वीसिंह : आयोग के पास में बिना दस्तखत के दरख्वास्त आती है........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा का समय समाप्त हुआ, अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मारवाड़ी में......

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री आलमअली : हर रोज मेरी बात रह जाती है !

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री आलमअली : बार-बार, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! पहले सूचना दे दी गई थी कि ढाई बजे चर्चा समाप्त हो जावेगी।

श्री मदनसिंह दांता : दो चार मिनिट दे दें।

श्री आलमअली : दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! एक मिनिट भी नहीं।

श्री आलमअली : मैं थोड़ी बात कहणी चाहूं........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहने दीजिये ।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज !

मन्त्री महोदय !

श्री आलमअली : मने दो मिनिट को समय हीं नहीं मिल रह्यो है । मैं एक महत्वपूर्ण बात कहणी चाहूं मारवाड़ी में ।

श्री छुट्टनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ढाई बजे तक का समय निर्धारित था । जब नाम पुकारे गये तब कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए । उस समय माननीय सदस्य बोलने वाले नहीं थे ।

श्री छुट्टनलाल : मैं आधे घण्टे से परेड कर रहा हूं । तीन चुनावों में मैं आया हूं लेकिन मुझे बोलने का समय ही नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका समय निर्धारित कर दिया गया था । आपका आयन्दा ध्यान रखा जायगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री विजयसिंह रावत : टाइम बढ़ा दिया जाय ।

श्री छुट्टनलाल : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं आधे घंटे से परेड कर रहा हूं, ऊठ बैठ कर रहा हूं....

श्री मदनसिंह दांता : आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : समय बढ़ा दिया जाय तो क्या हर्ज है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा । इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती । समय निर्धारित कर दिया गया है, उसकी मुश्किल है । आर्डर प्लीज ! और किसी समय, समय दे दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामानारायण चौधरी : टाइम बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बढ़ाया जायगा । आगे वित्तीय कार्य है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस की यह इच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ! नहीं !

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की तरफ से यह आदेश है, तो यह निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से कहिये । सदन की तरफ से हो तो वह शिरोधार्य है ।

श्री विजयसिंह : मैं कह रहा हूं ••

Page No.85

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुन ली।

श्री विजयसिंह : महत्वपूर्ण प्रश्न है यह विजिलेन्स कमीशन का....

श्री उपाध्यक्ष : आसन मजबूर है। मुझे कोई एतराज नहीं होता यदि समय निर्धारित नहीं होता।

श्री विजयसिंह : आप बात तो कहने दें हमने इसको....

श्री उपाध्यक्ष : इतने विषय हैं आगे। आॅर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह : इसके ऊपर डिस्कशन करने का गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा मौका नहीं मिला, जिससे पूरे सदस्य बोल सकें...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! दो दिन का डिस्कशन इस पर कर दिया सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए।

श्री विजयसिंह : पूरे विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर पांच घण्टे बहस होनी थी, उसके बजाय साढ़े तीन घण्टे मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह और बात है।

श्री विजयसिंह : इसलिए आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन की रिपोर्ट के बारे में म्हारी जो भावना है वी ने व्यक्त करणों चाहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री आलमअली : ई पर बोलनो चाहूं, विचार करणो चाहूं तो मणे टाइम नहीं दियो जाय......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री आलमअली : मैं आपका आदेश मानूं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री आलमअली : आपको आदेश मानूं हूं, बैठ जाऊं लो, लेकिन आप टाइम बढ़ावो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बढ़ाया जायगा। गृह मन्त्री !

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट में दो सदस्य बोलणो चावे, दस मिनट बढ़ा दो तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री ! स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आलमअलीजी और छुट्टनलालजी को बोलने दीजिये। हमारा आपको निवेदन है, हम आपका आदेश मान लेते हैं, केवल दो सदस्यों को बोलने दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह इजाजत नहीं दी जायगी। माननीय सदस्यों की जैसी भावना होती है और जैसा इस आसन को अधिकार है उसके अनुसार समय दिया जाता है। कल पूरा अवसर नहीं मिला था चर्चा का, इसलिए दो घण्टे और दिये गये। उससे पहिले सूचित कर दिया गया था माननीय सदस्यों को, जब चर्चा शुरू हुई थी। उस समय माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए थे और माननीय गृह-मन्त्री जवाब देने खड़े हुए थे जब शुरू में नाम पुकारे गये थे।

श्री आलमअली : हम आसन को आदेश माने हैं तो म्हारी भी यह बात मानो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, हम फौजी हैं और हमेशा आसन की आज्ञा का पालन करते हैं। आपको बार-बार निवेदन करते हैं तो भी समय नहीं मिलता है तो आपको फर्माते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्री मदनसिंह : हम आपके आदेश को मानते हैं लेकिन हमें बोलने का अधिकार है और हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का अधिकार मैं मानता हूं कि सब का बोलने का अवसर मिले।

श्री मदनसिंह दांता : समय खत्म होने पर भी आपने आदेश दिया है माननीय सदस्यों को बोलने का। मैंने देखा है, रूलिंग के बाद भी समय दिया हैं। इसका मतलब है कि वह बोल सकते हैं जो होहल्ला मचा सकते हैं, गाली निकाल सकते हैं। इनको समय आप दे सकते हैं। लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि हमारे साथ ऐसा चान्स नहीं मिला होगा। यह एक नेक चीज चल रही है, इस पर बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन दफा इस सत्र में आपको बोलने का समय मिल गया है।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे न दें, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, उम्र भर न दें। लेकिन जो आज तक नहीं बोले हैं, उनके लिए कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! गृह-मन्त्रीजी !

श्री दामोदरलाल व्यास : विजिलेन्स कमीशन.......

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपको सम्बोधित करके कहना पड़ेगा। आसन को यह अधिकार है, आपको मालूम होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही से किसी माननीय सदस्य को बाहर जाने का आदेश दिया जा जकता है और कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। इसलिए आपको सहयोग देना चाहिए। आसन की यह इच्छा नहीं है कि किसी विषय पर चर्चा नहीं हो। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं मजबूर हूं। इस स्थिति में आपको निवेदन किया जा रहा है। आगे बोलने का मौका दिया जायगा।

श्री विजयसिंह : मुझे आपत्ति है। विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही है, इसके अन्दर जिन सदस्यों ने भाग लिया है। इसमें स्वतन्त्र पार्टी के दो सदस्यों ने भाग लिया है। स्वतन्त्र पार्टी की संख्या ३३ होने की वजह से उसके अनुपात में टाइम नहीं मिला है। कितने ही सदस्य रह गये हैं बिना बोले। आसन की तरफ से जो आदेश हों, उसमें हम सहयोग देने को तैयार हैं, आसन जो कहे वह मानने को तैयार हैं लेकिन आसन यह भी मान कर चलें कि अधिक से अधिक सदस्यों को, जो दल की संख्या है, उसके अनुसार बोलने का टाइम मिले और उनको टाइम मिलने से संतोष होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष ; यह ध्यान रखा जाता है हमेशा। कृपया स्थान ग्रहण करें। गृह मन्त्रीजी !

(३ म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले अधिवेशन के अन्दर इस विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर वादविवाद हुआ था, उस वक्त सदन में माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा के दौरान में बहुत सारे सुझाव दिये थे। वह पहला प्रतिवेदन था। जिस पर पिछले अधिवेशन में बहस हुई थी। आज दूसरे प्रतिवेदन पर कल से बहस यहां चल रही है और इस बहस में काफी माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर भाग लिया है। जहां तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रश्न है, आप खुद इस बात को जानते हैं कि सन्तानम् कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान सरकार ने तुरन्त एक्शन लिया और इस.......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सन्तानम् कमेटी को छोड़िये।

श्री दामोदरलाल व्यास : १९ अप्रेल, १९६४ को एक नोटिफिकेशन के जरिये इस विजिलेन्स कमीशन की स्थापना की। इस विजिलेन्स कमीशन के अन्दर जो कमिश्नर है, मि० टण्डन, आप खुद जानते हैं, वह मेन ऑफ हाई इन्टेग्रिटी एण्ड इन्डिपेन्डेन्स हैं— उनको कमिश्नर मुकर्रर किया जो अब तक विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर हैं और वहां काम कर रहे हैं। सवाल जहां तक इस भ्रष्टाचार को कम करने का है, समाप्त करने का और रोकने का है, उसके लिए भी यह सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और हर मुमकिन उपाय कर रही है। आप खुद जानते हैं कि सबसे पहले एक एन्टी करप्शन डिपार्टमेण्ट खोला गया, जो बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट है और उसमें एफिशियेन्ट आदमी हैं, वह डिपार्टमेन्ट खोल कर आई० जी० पी० के सुपुर्द किया गया। इसमें सारा काम्पीटेन्ट स्टाफ दिया गया ताकि भ्रष्टाचार के मामलों को वह एफीशियेन्टली एक्सक्लूजिवली डील करें। और उसके बाद में यह विजिलेन्स कमीशन मुकर्रर किया गया। इस बीच जितने मुकद्दमात और मामले इस विजिलेन्स कमीशन और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट ने डील किये हैं, यदि आप विजिलेन्स कमीशन का पहला और दूसरा प्रतिवेदन देखेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि बराबर सतर्कता के साथ सारे मुकदमात के अन्दर पूरी छानबीन करते हैं और छानबीन करके अपना फैसला देते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि सारे मुकद्दमात के अन्दर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की राय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

देता है तो यह कैसा आयोग है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दरअसल हमको समझना चाहिए कि इस विजिलेन्स कमीशन के अन्दर और एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट के अन्दर क्या सम्बन्ध है। दरअसल में विजिलेन्स कमीशन की एक एजेन्सी है यह एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट मामलात की इन्क्वायरी करने के लिए। वैसे यह जरूरी नहीं है कि विजिलेन्स कमीशन केवल एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की मार्फत ही इन्क्वायरी करायें, वह चाहे तो और की मार्फत इन्क्वायरी करा सकता है, वह चाहे तो सी. आई. डी. के मार्फत इन्क्वायरी करा सकता है, इसमें किसी प्रकार की मुमानियत नहीं है। लेकिन ज्यादातर मुकद्दमे इस नेचर के होते हैं, जिनमें सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत होती है तो उनमें एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट ज्यादा योग्यता के साथ और ज्यादा काबलियत के साथ में इन्क्वायरी कर सकता है, और वह बराबर अच्छी तरह से इन्क्वायरी कर सकता है। यह मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि विजिलेन्स कमीशन ने बार-बार एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की तारीफ की है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में काम योग्यता के साथ और पूरी एफीशियेन्सी के साथ होता है और इसमें जो मुकद्दमात की छानबीन की है उसकी बराबर विजिलेन्स कमीशन ने तारीफ लिख कर सरकार को भेजी है। दूसरी तरफ सरकार का जहां तक प्रश्न है, तो जो पहला प्रतिवेदन है जो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें आप देखेंगे तो खुद इस बात को मि० टण्डन, विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर हैं, उन्होने दो बातें खुद स्वीकार की हैं, एक तो सरकार ने कभी भी उनकी किसी भी सिफारिश से असहमति प्रकट नहीं की है, कभी डिसएग्री नहीं किया है किसी सिफारिश से और बराबर जिन मामलों में भी छानबीन करके सरकार को जो सलाह दी है, उससे एग्री किया है। उन्होने इस बात को माना है जितने सरकारी अधिकारी, जितने महकमे और जितने डिपार्टमेन्ट हैं उन्होने किसी प्रकार नॉन-कॉपरेशन नही किया, बल्कि कमीशन के साथ में बराबर कॉपरेशन दिया है और जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं, उनके ऊपर बराबर एक्शन लिया है। तो इस बात का मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह दो बातें ध्यान मे रखनी चाहिये। जहां तक गवर्नमेन्ट मशीनरी का सवाल है, उसने विजिलेन्स कमीशन को हमेशा कॉपरेशन दिया है और दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट का सवाल है, वहां तक जो सुझाव विजिलेन्स कमीशन देता है उनको हर सम्भव तरीके से गवर्नमेन्ट ने माना है और जहां तक इन्वेस्टीगेशन मशीनरी का सवाल है, वहां तक मैंने आपको बताया कि विजिलेन्स कमीशन के डिस्पोजल पर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की मशीनरी है जिसके जरिये वह इन्क्वायरी का काम लेती है और उसके बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनके काम की सराहना की है। इसलिये यह बात उठती नहीं है। अब जो मुकद्दमात होते हैं और उनकी जिस तरीके से विजिलेन्स कमीशन के पास शिकायत पेश होती है, और जिस तरीके से जांच कराई जाती है, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। एक बात दरअसल में ध्यान में रखने की है कि कुछ मामलात ऐसे हैं, जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज के हैं, कुछ मामले ऐसे है जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव इर्रेगुलेरिटीज कमिट की गई हैं, कुछ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मामलों में रूल्स का ब्रीच किया गया है, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जरायम किया गया है, कुछ मामलों में फौजदारी सरजद हुआ है, कुछ करप्शन के केसेज़ हैं और कुछ और प्रकार के केसेज़ हैं। इन तमाम केसेज़ के अन्दर जहां माननीय सदस्य इस बात पर एतराज करते हैं कि डिपार्टमेन्टल एक्शन लेने की इसमें क्या बात है तो वह उन मामलों में लिये गये, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हैं, जिनमें इर्रेगुलेरिटी है, रूल का ब्रीच है। यह ऐसे मामलात हैं जिनमें काफी कोशिश के बावजूद सबूत नहीं मिलते हैं, जिससे वहां जाकर, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कन्विक्शन हो जाय परन्तु इस प्रकार के सबूत जरूर मिलते हैं जिससे डिपार्टमेन्ट एक्शन हो जाय। यह समझने का प्रश्न है कि फौजदारी मुकद्दमे और डिपार्टमेन्टल मुकद्दमे एक से नहीं होते। जिनमें कन्विक्शन हो जाय इन्क्वायरी ऑफिसर को कि वास्तव में गलती की है फिर भी फौजदारी मुकद्दमे में फोर वान्ट ऑफ एवीडेन्स फॉर वान्ट ऑफ एड्वोकेट एवीडेन्स सजा नहीं दे सकते हैं। इसलिये कुछ सजा दी जा सके, इस वजह से विजिलेन्स कमीशन बहुत से मामले डिपार्टमेन्टल एक्शन के लिये भेज देते हैं। कुछ मामलों में सजा मिलनी चाहिये, यह देखते हैं और जिनमें सबूत मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि केस का रजिस्ट्रेशन होता है और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के मार्फत चालान कराया गया है।

इसके अलावा यह सवाल उठाया कि नॉन गजेटेड कर्मचारियों के खिलाफ ज्यादा मुकद्दमे बने और गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ नहीं बने। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें मिलेगा कि नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के खिलाफ ज्यादा मुकद्दमात बने, इसका कारण है कि उनकी तादाद काफी होना। इसलिये यह कहना कि गजेटेड कर्मचारियों के खिलाफ मुकद्दमे नहीं बने, यह सही नहीं है। आप देखेंगे...

श्री मदनसिंह दांता : ज्यादा दर्द मिनिस्टर का आता है, उन पर नहीं चलायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : ज्यादा दर्द मिनिस्टर का आता है कि उन पर नहीं चल रहे हैं, उसमें क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चिन्ता मत करिये, ठाकुर साहब, आपको मैं तसल्ली दिला दूंगा।

श्री रामकिशन : यह ठाकुर साहब नहीं है, माननीय सदस्य हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ! आई एम सोरी। ठाकुर साहब भी बहुत माननीय हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं ठाकुर साहब को उतना ही रेसपेक्टेबल समझता हूं जितना माननीय सदस्य को।

श्री रोशनलाल : पंडित जी नहीं समझते।

श्री मदनसिंह दांता : पंडित जी ऐसा समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको भी एवज में पंडित दामोदरलाल कहें।

Page No.90

श्री दामोदरलाल व्यास : ठाकुर और माननीय सदस्य दोनों एक से हैं, यह समझ लीजिये। कन्ट्रावर्सी मत करिये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि गजेटेड ऑफिसर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेज और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के भी केसेज इन्स्टीट्यूट किये गये हैं। नम्बर आपको मैं बता दूंगा अभी, इसके अन्दर पूरी टेबल दी गई है। दूसरी तरफ मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक सदन के अन्दर कुछ मामलात को, कुछ मुद्दों को लेकर बहस की जाती है, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर अगर कोई एक्वीजीशन लगाया जा सकता है, तो वह एक बात का लगाया है कि उनकी रिकमण्डेशन्स पर अमल नहीं किया है या हमने और गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने और गवर्नमेन्ट ऑफिसर ने कोपरेट नहीं किया है। इन दोनों बातों के सम्बन्ध में कमीशन ने मंजूर किया है, उसने डिसएग्रीमेन्ट नहीं किया है। उसने कहा है कि एक्शन लिया है और कोपरेशन भी दिया है। सवाल इस बात का, जो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और खास तौर के ऊपर हमारे लायक दोस्त, जो बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जिनके साथ मुझे रहने का, साथी के तौर पर काफी अर्से तक रहने का मौका मिला है। आज उन्होंने सदन के अन्दर कहा कि वह एक ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जिससे दो सप्ताह के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

श्री रामकिशन : लेकिन उन्होंने पात्रता की बात कही थी पहले।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुनिये। मुझे पता नहीं कि आपके पास जाते ही क्या जादू का असर आ गया। वह हमारे पास तो बहुत दिनों तक रहे और वह इस बात को जानते हैं कि मैंने उनकी सलाह को और राय को बाइज्जत समझा है। इसलिये मैं उनके पास जा कर गुरु मान कर उनसे मन्त्र ले लूंगा। आप चिन्ता मत करिये।

श्री मदनसिंह दांता : आप समझे नहीं, उनका मतलब है कि आपके पांच दस इधर आ जायें तो कांग्रेस खत्म हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं जानता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : और उससे राजस्थान में भ्रष्टाचार मिट सकता है।

एक माननीय सदस्य : वह हिम्मत नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उससे भ्रष्टाचार मिटता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने यह पहले भी कहा और देश के अन्दर सारे लोग इस बात को जानते हैं कि विरोधी दल के सदस्य इस बात के अन्दर लगे हुए हैं, क्योंकि वह वोट से तो नहीं जीत सके, वोट से वह राज्य नहीं ले सके और सरकार के अन्दर कोई गलती नहीं बता सके तो अब करेक्टर असेसीनेशन करके सरकार को बदनाम करें। इस बात में वह लगे हुए हैं। इस बात को लेकर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जोरों से आवाज लगाते हैं, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं इन्कार नहीं करता भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार है और उसको रोकने के हर मुमकिन उपाय किये जा रहे हैं, सख्त कार्य-

Page No.91

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वाही की जा रही है, किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जाती। परन्तु भ्रष्टाचार को लेकर इस प्रकार की हवा बनाई जाय कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, तो माफ कीजियेगा कि आप किसी बात के लिए कह दें—यह आसान बात है। विधान सभा में हर चीज को कहने का प्रिविलेज है। लेकिन दुनियां जानती है कि इसके पीछे एक ही मुद्दा है. और वह सरकार को बदनाम करने के लिए एक लक्ष्य है, करेक्टर असेसीनेशन की बात को लेकर ऊपर से नीचे तक मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं कभी मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं, कभी किसी पर आरोप लगाये जाते हैं, मैं कहता हूं, यह परम्परा अच्छी नहीं है...

(२-५० म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की चीजों पर चैक लगायें, इसे रोकें तो अच्छी परम्परा रहेगी, वरना यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। हां, हम इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्शन नही लेते हों, तो आप हमको क्रिटिसाइज करिये, उसके लिए आप हमसे कहिये, अगर हम गलती करेंगे तो बराबर आपसे माफी मागेंगे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : जितने सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये है एक सुझाव मेरा भी मान लें। विधान सभा में जितने आरोप लगाये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि उनकी जांच करवा कर के रिपोर्ट सदन में रखी जाय, सदन के माननीय सदस्यों को उस जांच के परिणामों से अवगत कराया जाय तो मैं समझता हूं इस प्रकार के आरोपों की संख्या कम हो सकती है। वरना गरमागरमी में दोनों तरफ से इस प्रकार की बातें कही जाती हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का मुद्दा वही पुराना मुद्दा है। परसों बहस हुई तो मैंने परसों ही कहा था कि जब-जब सदन में आरोप लगाये गये हैं, उनकी पूरी एन्क्वायरी हुई है और वे गलत साबित हुए है।

श्री भैरोंसिह : आप एक भी मामला जो मैंने विधान सभा में उठाया है, उसको गलत साबित कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने किस मिनिस्टर के खिलाफ...

श्री भैरोंसिह : आपने जो भी एन्क्वायरी की, उसमें न तो हम लोगों से कभी पूछा और न हमें कान्फिडेन्स में लिया गया, न सदन के सामने उस एन्क्वायरी रिपोर्ट को रखा गया और न उस एन्क्वायरी से सदन के माननीय सदस्यों को परिचित ही कराया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह बेसलेस एलीगेशन्स ..

श्री भैरोंसिह : केवल आपके कहने से बेसलेस नहीं हो सकते, सदन के माननीय सदस्यों को आपने कभी कान्फिडेन्स में नहीं लिया न एन्क्वायरीज की रिपोर्ट्स से अवगत कराया।

Page No.92

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुन लीजिये, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं कि भैरोंसिंहजी ने बेसलेस एलीगेशन लगाये। आप यह मान कर चलिये कि बहुतसे एली-गेशन्स जानबूझकर बेसलेस लगाये जाते हैं।

श्री भरोंसिह : अगर इस प्रकार के हों तो आप वह सदन को बताइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : परसों इस पर बहस कर चुके हैं, परसों मैंने बताया कि अभी इस सम्बन्ध में कोई यूनिफार्म पॉलिसी नहीं है। ऑल इन्डिया बेसिस पर यूनिफार्म पॉलिसी एडोप्ट हुई तो हम भी करेंगे। पर आप कहें उसी एलीगेशन पर कमीशन मुकर्रर कर दें तो हमारा दिमाग फिर नहीं गया है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : एक स्मगलर यहां जयपुर में बैठा हुआ है जो दुनियां भर का स्मगलिंग करता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : विरोधी दल के माननीय नेता यहां है नहीं, तावड़तोड़ और क्या-क्या शब्द इस्तेमाल किये, उन्होंने तीन-चार मुद्दे उठाये थे, मैं चाहता था कि उनका जवाब देता।

श्री रामकिशन : यह तावड़तोड़ क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो समझता नहीं तावड़तोड़ क्या है, शायद कन्फ्यूजन है।

और भी कई मुद्दे उठाये माननीय सदस्यों ने। मैंने, जब इस सदन में इस पर पिछली बार बहस उठाई थी तो कहा था कि एन्क्वायरीज में देरी नहीं होनी चाहिये, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज में जल्दी से जल्दी खत्म की जायं। इसके लिए अगर हमारे प्रोसीजर में कमी हो तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज कमिश्नर की चैयरमेनशिप में एक कमेटी बैठाई है और चाहा है कि वे कोई इसमें सरलीकरण का उपाय बतायें जिससे कि एन्क्वायरीज को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। सदन में पहले यह भी बहस हुई थी कि डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज समाप्त होने के बाद भी सजा देने में बहुत देरी की जाती है, रिपोर्ट पर बहस हुई तो हमने दो आदेश जारी किये हैं। एक तो यह कि ज्यों ही डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी खत्म हो, फौरन दोषी को सजा दी जाय। और तीन दिन के अन्दर सतर्कता आयोग को भेज देंगे और इमिजियेट ऑफिसर के पास रिपोर्ट भेज देंगे जिससे कि विजिलेंस कमिशन को पता चल जाय कि यह सजा दी गई है। ३ दिन का समय इसलिये दिया गया है कि उस रिपोर्ट को पढ़ कर पूरी तरह पता लगा लें। जिससे कि कमीशन देख ले कि कमेंशुरेट विथ दी ऑफेन्स सजा है या नहीं। अगर ऑफेन्स के अनुरूप सजा नहीं दी गई है तो कमीशन लिख सकता है, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट भी एन्हेन्समेंट आफ पनिशमेंट के लिए लिख सकता है। ताकि अगर सजा देने में रियायत की गई है तो इमिजियेट ऑफिसर

(श्री दामोदरलाल व्यास)
और विजिलेंस कमीशन उसे अपराध के अनुरूप ठीक करने का एक्शन लें सके।

मैंने पिछली बार कहा था, नान-गजेटेड ऑफिसर्स की एनक्वायरीज के सम्बन्ध में शिकायत थी कि ठीक तरह से नहीं होती है तो मैंने कहा था कि नान-गजेटेड ऑफिसर्स की एनक्वायरी के लिये आर० ए० एस० ऑफिसर्स को मुकर्रर किया जायगा इस सम्बन्ध में नियम बन चुके हैं, तीन आर० ए० एस० ऑफिसर्स को नियुक्त करने का तय हुआ है, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के पास कागजात चले गये हैं और इस पर नेक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर में अमल हो जायगा और जिस तरह गजेटेड ऑफिसर्स की एन्क्वायरी कमिश्नर आफ डिपार्टमेन्टल एनक्वायरीज के यहां होती है, उसी तरह से नान गजेटेड के लिये भी यह होगा।

तो हम हर एक्शन ले रहे हैं करप्शन को रोकने के लिये, करप्शन के लिये सजा देने के लिये। और जितने लेप्सेज हैं, ब्रीच ऑफ रूल्स हैं, उनको दूर किया जाय इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और हमारी हमेशा यह कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज समाप्त हों, जल्दी से जल्दी फैसला हो, उसमें किसी तरह की पार्शियेलिटी नहीं हो, एडीकेट पनिशमेन्ट हो। इसके लिये हम बराबर एक्शन ले रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, सरकार को उसमें सुझाव दिया है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की प्रोपर्टी, असेट्स कमेंशुरेट विथ हिज रिसोर्सेज नहीं है, उससे ज्यादा हैं तो उसको प्रूव करने का बर्डन उन पर हो। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कैबिनेट ने आज ही इस प्रकार का फैसला कर लिया है और हम इसी सेशन में इस प्रकार का एक बिल लायेंगे....

श्री भैरोंसिह : यह व्यवस्था अब कर रहे हैं तो क्या यह मान कर चलें कि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह व्यवस्था इसलिये कर रहे हैं कि इसके लिये कोई एक्ट नहीं था। जहां तक फौजदारी मुकद्दमों का सवाल है, उसके लिये तो व्यवस्था मोजूद है। पर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज में इस प्रकार की व्यवस्था किसी स्टेट में नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में एक्ट बनाया है, विजिलेंस कमिशन ने उसी लाइन पर सुझाव दिया है।

श्री भैरोंसिह : अभी आई० ए० एस०, आर० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० पी० एस० के लिये है ...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा देता हूं, आई० ए० एस०, आर० ए० एस० हैं, अपनी सम्पत्ति का ब्योरा, असेट्स का ब्योरा जो एक्वायर करते हैं, उसका ब्योरा उनको देना पड़ता है, अपनी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम एक्वायर करते हैं, उसका ब्योरा उन्हें देना पड़ता है पर जब मुकद्दमा चला कर डिस्मिसल का सवाल हो तो हमारे सर्विस रूल्स आर्टिकल ३०९ ऑफ कांस्टीट्यूशन से गवर्न होते हैं, उसमें यह बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर नहीं है इसलिये हम कानून बना रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर होगा कि उनके पास क्या साधन थे जिनसे उन्होंने इतनी प्रोपर्टी एक्वायर की इतने एसैट्स एक्वायर किये। अब यह गवर्नमेन्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल ३०९ के

(श्री दामोदरलाल व्यास)
तहत रूल्स हैं वे तो अलग है पर हम यह कर रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ, उन पर होगा, जैसे फौजदारी केसेज में बर्डन आफ प्रूफ उन पर पड़ जाता है।

श्री रामकिशन : आप जो कुछ कर रहे हैं, कदम तो अच्छा है लेकिन किस-किस की प्रॉपर्टी की जांच करेंगे, उसकी पत्नी या और परिवार के और सदस्य। कोई सीमा तो निर्धारित करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मौका मिलेगा, बिल सदन में आएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी सत्र में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी सत्र में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। आप कहें तो मैं दो-चार दिन में पेश कर दूं।

श्री रामकिशन : एक बार और कहो, दो बार तो प्रतिज्ञा हो गई।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें लिखा है सतर्कता आयोग को विभागाध्यक्ष बनाने पर विचार और विभागाध्यक्ष द्वारा और सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग में निर्णीत किए गए मामलों का पुन : निरीक्षण आयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था कर सकते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : पेज ४७।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके कहने का मतलब शायद यह है कि विजीलेन्स ऑफिसर्स जो जिलों में हैं उनको हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स और दूसरे ऑफिसेज का इन्सपेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए ऑफिसर्स को। सरकार ने इसको स्वीकार किया है विजीलेन्स कमीशन की इस राय को और जितनी भी कलेक्टर्स की ऑफिसेज हैं उनके ऑफिसेज में खुद विजीलेन्स कमिश्नर ने अपने विजीलेन्स ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए हैं और बराबर उनसे उनके ऑफिसेज के जितने मामले हैं जानकारी लेते हैं और पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और सचिवालय के अंदर भी विजीलेन्स कमीशन ने अधिकारी नियुक्ति कर रखे हैं जो रेड-टेपिज्म, देरी और ऐसी तमाम बातों को देखते हैं और डाइरेक्टली रिपोर्ट देते हैं। विभागाध्यक्षों के लिये यह मामला विचाराधीन है कि उनके ऑफिसेज में भी विजीलेन्स अधिकारी जाने चाहिये क्योंकि अभी मूल्यांकन करना है कि इतने समय से जो सतर्कता अधिकारी, जिलाधीशों और सचिवालय में नियुक्त किए हैं, उनके क्या अचीवमेन्ट्स हैं, यूजफुल परपज सर्व हुआ है या नहीं। तो कमीशन की राय आने और मूल्यांकन करने पर सरकार निर्णय करेगी कि विभागाध्यक्षों के पास भी सतर्कता अधिकारी होने चाहिए या नहीं।

जहां तक सतर्कता आयुक्त को विभागाध्यक्ष मानने का सवाल है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो रिपोर्ट है उसमें देखा सब जगह सिफारिश की गई है डिसिप्लनरी ऑथोरिटी को तो इसका मतलब या डिसिप्लनरी एक्शन के अधिकार सतर्कता आयोग को सरकार देने के लिए तैयार है ? दूसरी बात अगर नहीं तो क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि विभागाध्यक्ष जो डिसिप्लनरी एक्शन ले वह स्वयं डिस्केशनरी पावर्स को यूज करे और विजिलेन्स कमीशन सूओ मोटो पुनः निरीक्षण कर सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बतला दिया कि जहां तक एन्क्वायरी ऑफिसर्स का सवाल है, डिसिप्लनरी अथॉरिटी रूल्स के अंदर वेल-डिफाइन्ड है। और वही इन्क्वायरी ऑफिसर और वही पनिशिंग ऑफिसर, यह बात मैं समझ नहीं पाता कि कोई पसंद करेगा और कभी हो भी नहीं सकता। सतर्कता आयोग जांच करवाता है, फाइंडिंग्स देता है, और सजा देने का काम सी. सी. एस. रूल्स के तहत उनका नहीं है। तो दोनों फंक्शन्स एन्क्वायरी ऑफिसर और डिसिप्लनरी अथॉरिटी, दोनों पावर्स एक के पास हों यह नामुमकिन और नामुनासिब है। लेकिन तीन दिन के अंदर डिसिप्लनरी अथॉरिटी अपनी सजा की सूचना सतर्कता आयोग को देगी और देने का मकसद यह है कि सतर्कता आयोग का मालूम पड़ जाय जिस मुकद्दमे में उन्होंने जांच करके सलाह दी उसके अनुसार सजा हुई या नहीं। इसी तरह से विभागाध्यक्ष को मालूम पड़ जाय कि कहीं डिसिप्लनरी अथॉरिटी ने सजा कम तो नहीं दी ?

आपने एक बात कही कि सतर्कता आयोग को विभागाध्यक्ष बना दिया जाय। अगर किसी को विभागाध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर उसकी अपील सरकार को हो जाती है, सरकार एपेलेट अथॉरिटी बन जाती है इसलिए सतर्कता आयोग बिल्कुल ऑटोनोमस इण्डिपेंडेण्ट बॉडी है जस्ट लाइक मेम्बर्स ऑफ पी. एस. सी. और वह बिल्कुल इण्डिपेंडेण्ट है, उनके किसी काम पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है बल्कि सतर्कता आयोग को हमने जो स्टेट्स दिया है वह वही है जो स्टेट्स पी. एस. सी. के सदस्यों का है। इसलिए उसको विभागाध्यक्ष बनाकर मेरे खयाल से आप उनको, सरकार की सबोर्डिनेट बॉडी बनाना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत होगा।

श्री मदनसिंह : कई बार यह महसूस किया गया कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर जब भी आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों को लेकर जैसे नदी की टिब्यूटरीज बनती हैं, अलग-अलग प्रश्नों को लेकर ३-४ साल लग जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी समझा देता हूं। बार-बार कहा जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे पंच, सरपंच प्रधान वगैरह या नगरपालिका सदस्य उनको भी सतर्कता आयोग की परव्यू में दिया जाय। मेरा निवेदन है कि अनेक बार सदन में बहस हुई है और हमने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। हम नहीं चाहते कि सतर्कता आयोग को इनके मामले दें। मैं समझता हूं कि यह गलत तरीका होगा। परसों बहस हुई थी और जो भी आल-इंडिया पैटर्न हो भी एक्सेपटेबुल होगा। राजस्थान भी वह एडाप्ट करेगा और अंदर बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए हर समय कहना कि भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, गड़बड़ी करते हैं, यह नहीं है। कुछ लोग हैं जिनसे गलती हो जाती है, कुछ लोगों से गलती करवाई जाती है और कुछ लोग जान-बूझ कर करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि गलत हैं। मैं समझता हूं उन्होंने अच्छे काम किये है, पंचायती राज को काफी आगे बढ़ाया है और इसी कारण से कुछ गलत काम किया या गलती की तो सबके लिए कहना कि नालायक हैं, यह ठीक नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने सदन में कहा था कि डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध एक्शन लिया जायगा, आज तक एक्शन नहीं लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो कहा था वह उसके विरुद्ध जांच हो गई है और जांच होने से जो भी उसके खिलाफ जुर्म होगा सजा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको क्या मालूम कि उसका क्या नतीजा निकलेगा ?

श्री दौलतराम सारण : आपको तो उत्तर ही देना है, न जांच के लिए तैयार हैं न जांच के बाद एक्शन लेने की तैयारी है, तैयारी होने के केसेज दिये, सजा देने की हिम्मत तो है नहीं लेकिन आपका कोई...

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर इसी विचार को लेकर बैठे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। परंतु खैर, आजमाइश के तौर पर कोई मुकद्दमा दें तो देखेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कई आजमाइश किये मुख्यमंत्री के लिये लेकिन एक के भी खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री नत्थीसिंह : कुम्हेर के प्रधान का केस पिछले ६ वर्षों में तीन बार सी. आई. डी. को भेजा है, सी. आई. डी. ने रिपोर्ट बनादी है, कहते हैं कि चालान किया जाय, मुख्यमंत्री ने कहा है कि फाइल को दबा दो। आप इतनी बातें कहते हैं कि एक्शन लेंगे, बिल्कुल झूठ बात है, गलत है, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आप भ्रष्टाचार को जानबूझ कर बढ़ाना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका गलत खयाल है. उसका फैसला हो गया।

श्री नत्थीसिंह : आप कहते हैं कि दबा रखा है, व कुम्हेर की पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ कोई मुकद्दमा सेक्रेटेरियट में पैंडिंग में नहीं है। रहा सवाल....

श्री रामचंद्र आर्य : गृहमंत्री महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं सुनूंगा, यह तरीका गलत है।

श्री रामचंद्र आर्य : इतने केसेज विजिलेन्स कमीशन के पास करवाए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि आपके खास आदमी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य...

श्री रामचंद्र आर्य : हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस आयोग के प्रति जनता के अंदर क्या सद्भावना है, इसके प्रति लोगों में क्या विश्वास है, इस बारे में आप कहें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सतर्कता आयोग को हर समझदार व्यक्ति बड़ी इज्जत की नजर से देखता है, उसके अध्यक्ष को बहुत ही इज्जत की नजर से देखते हैं। मुझे दुःख है कि आपकी जबान से यह सुनकर, दुनियां उसको क्या समझती है यह सब जानते हैं। जहां तक चुने हुए प्रतिनिधियों का सवाल है....

श्री रामचंद्र आर्य : आपके रहते हुए कभी भी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक चुने हुए प्रतिनिधियों का सवाल हैं, गलती करते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्य के खिलाफ भी मंजूर हुई थी और कहा गया था कि इनका प्रोसीक्यूशन किया जाय। हम उसके अन्दर कभी भी रियायत नहीं करते...

एक माननीय सदस्य : इनको आप कैसे ...

श्री दामोदरलाल व्यास : ये पहले हमारी पार्टी में थे। इसलिये इनके लिये भी किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतमिनान रखें कि अगर चुने हुये लोग गलती करेंगे तो हम उनको भी सजा देंगे। माननीय सभापतिजी माननीय सदस्य एक बात का एतराज कर रहे थे कि एक मुकदमा को दबा दिया गया, इधर से उधर तब्दील कर दिया जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आम तौर से ऐसे मामलों में हम दखल नहीं देते हैं। किन्तु जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उसके बारे में अगर इस बात की शिकायत आती है कि वह गलत बात कर रहा है, किसी की तरफदारी कर रहा है तो मेरा फर्ज है कि उसको पूरी जिम्मेवारी से देखूं और उसमें गलती होने पर एक्शन लूं।

श्री दौलतराम सारण : लाखों में इस प्रकार की एन्क्वायरी होती हैं। आपने कितनों को....

श्री मदनसिंह दांता : सीकर के डॉक्टर के लिये आपने क्या फरमाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आखिर में भरतपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने अकाल सहायता को लेकर एक बहुत ही गंभीर बात कही है। मैं उनसे वायदा करता हूं कि जितने फेक्ट्स उनको मालूम होंगे, उनके सेटिसफेक्शन के लिये मैं एन्क्वायरी कराऊंगा बल्कि उन लोगों को दण्ड देने की, उनकी एन्क्वायरी अच्छे से अच्छे और सीनियर से सीनियर आदमी से कराऊंगा। बशर्ते वे फेक्ट्स और फीगर्स जो उनकी जानकारी में हैं मुझे देंगे जितने फेक्ट्स और फीगर्स वे दे सकते हैं, दें। सरकार पूर्ण प्रयत्न करेगी। हरएक मनुष्य के लिये यह शर्म की बात होगी और शर्म से उसका सिर नीचे झुक जायगा अगर उसने रिलीफ के पैसे में से खाये हैं। वे सदन के जिम्मेवार माननीय सदस्य हैं, मैं उनको गलत नहीं मानता हूं। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिये। उसके लिये सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। अब मैं आपसे जल्दी ही सम्पर्क स्थापित करने की बात कर लूंगा। दूसरे एक माननीय सदस्य ने जो बाड़मेर से आये हैं, उन्होंने अप्वाईन्टमेन्ट, प्रमोशन, पोस्टिंग वगैरह के बारे में कहा है कि इसमें राजनीति के आधार पर पक्षपात होता है। मैं आपको अर्ज करता हूं कि इनमें कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं होता है। सर्विस रूल्स बने हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : वह रूल अमेन्ड कर दिये जाते हैं। पी० ए० को राजपत्रित अधिकारी बनाने के लिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सब जानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जानता हूं इसीलिये तो कह रहा हूं। पोस्टें क्रियेट करते हैं, राजनैतिक आधार पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर आप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं कि राजनैतिक आधार पर करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो आप भी मानते हैं। साबित नहीं कर सकते, यह दूसरी बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : साबित करना तो आपके लिये आसान है। इसलिये मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यह जो अपाईन्टमेन्ट का मसला है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक सर्विस रूल्स का प्रश्न है, सर्विस रूल्स हैं उनके लिये प्रमोशन कमेटीज् बनी हुई है। आर्टिकल ३०९ के तहत सब सर्विस रूल्स बन गये हैं। जहां तक छोटी-मोटी क्लियर ५-७ सर्विसेज के बारे में है, उनके तो अभी सर्विस रूल्स नहीं बन पाये हैं बाकी के सब के बन गये हैं। प्रमोशन, पोस्टिंग, रिक्रुटमेन्ट आदि सबके रूल्स बने हुये हैं। उनके लिये डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी है, जो प्रमोशन के केसेज को देखती है फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें राजनैतिक आधार कौनसा आ गया ?

श्री दौलतराम सारण : आपकी कई सर्विसेज ऐसी हैं, जिनमें लोग हाईकोर्ट में गये हैं। रिट लेकर गये हैं। आप उनकी सीनियोरिटी तय नहीं कर पाये ऐसे कई मामले हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री दौलतराम सारण : हाईकोर्ट में रिट लेकर गये हैं लोग और वहां से सीनियोरिटी तय कराई है। आपने तो उनकी सीनियोरिटी भी तय नहीं की है। डाक्टर्स हाईकोर्ट में गये हैं, सीनियर स्केल के लोग हाईकोर्ट में गये हैं, इंजीनियर्स गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको बता दूं कि इनमें बहुतसों की रिट तो खारिज हुई है और बहुतों की मंजूर भी हुई है। सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीनियोरिटी का मसला है, वह सरकार ने किया भी नहीं है। कमेटी ने किया है।

श्री दौलतराम सारण : कमेटी किसने बनाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They are senior officers of integrity.

इसका मतलब यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी गलत है, डिपार्टमेन्टल रूल्स भी गलत है तो फिर कौनसा तरीका अख्तियार करें ?

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदय, मैं आपको ऐसे कई प्रमाण दे सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले भाषण समाप्त होने दीजिये फिर प्रश्न पूछ लेना।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will not accept these interruptions. I don't want to be disturbed.

अगर इस उसूल को भी आप नहीं मानते हैं तो मैं नहीं दूंगा (अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं)

Page No.99

श्री विजयसिंह रावत : आप उत्तर नहीं दोगे तो क्या होगा ? कई सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछते हैं तब भी कई बातों का आप तो उत्तर नहीं देते।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी अंग्रेजी में बोलते हैं जबकि सदन में २६ जनवरी के बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिये।

श्री सभापति : वह तो रेफरेन्स के तौर पर है।

श्री रामकिशन : पुराने संस्कार जाग्रत हो जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : भाषा अभी तक नहीं बदली है। आज ही मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में मिला है।

श्री सभापति : माननीय गृहमंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक करप्शन को बन्द करने का सवाल है। सरकार हर प्रयत्न कर रही है। अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी रह जाय तो मैं माननीय सदस्यों से इस बात की अपील करूंगा कि वे उस बारे में ध्यान आकर्षित करें। हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर और सभापति महोदय को बोलने के लिये आग्रह करने पर)

अगर आप चाहे बीच-बीच में दखल देकर यह बताना चाहें कि आपको भ्रष्टाचार की ज्यादा चिन्ता है और दूसरों को नहीं है...

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय भ्रष्टाचार को दूर करने के...

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सरकार के अन्दर आप तो वर्षों रहे हैं और वर्षों रहने के बाद आपने अपनी जुबान से ऊफ तक नहीं कहा।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो लिखित में कई केसेज भेजे हैं, जबानी का तो सवाल ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक भी नहीं भेजा है।

श्री दौलतराम सारण : सन् ५७ से लेकर ६६ तक भेजे हैं। मेरे पास तो आंकड़े मौजूद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, आपके जरिये से मैं सदन को यह दुबारा विश्वास दिला दूं कि जहां इन्डीविज्युअल केसेज साईट किये गये हैं, उनके लिये तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी है और जिनके केसेज का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका चालान होगा, कोर्ट आॅफ लॉ में। मैं फिर माननीय सदस्यों को विश्वास दिला दूं कि सतर्कता आयोग और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट का काम करप्शन को बन्द करना है। सरकार इस पर सख्ती से कार्यवाही कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, राजस्थान सतर्कता आयोग का जो यह दूसरा प्रतिवेदन आया है तो क्या इसमें जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिवेदन आता है पी. ए. सी. और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसके साथ-साथ इम्पलीमेन्टेशन की रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

भी आती है तो क्या गवर्नमेन्ट यह भी बतायेगी कि इस सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को कहां तक इम्पलीमेन्ट किया गया है ? दूसरे जो सर्विस रूल्स हैं, इनके बारे में कोई....

श्री दामोदरलाल व्यास : सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है उसकी इम्पलीमेन्टेशन रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी जायगी, एक और दूसरा आपने कहा सर्विस रूल्स-सर्विस रूल्स बनाने के पॉवर्स गवर्नमेन्ट को है। कुछ राज्य सरकारों की तरह सर्विस एक्ट बना कर सर्विसेज़ पर लागू करने का सरकार विचार कर रही है।

सभापति महोदय, जहां तक इम्पलीमेन्टेशन रिपोर्ट का सवाल है उसको रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हर रिपोर्ट के साथ ही इम्पलीमेन्टेशन रिपोर्ट पेश हो जाय यह मुमकिन नहीं फिर माननीय सदस्यों को एतराज नहीं करना होगा कि हमें समय पर रिपोर्ट नहीं मिली। इसके लिये रिजनेबल टाइम मिलना चाहिये ताकि उसको स्टेडी करके एक्शन ले सकें फिर उसको प्रिन्ट करवा कर पेश कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : गत वर्ष की रिपोर्ट पर जो भी कुछ प्रोग्रेस इम्पलीमेन्टेशन में हुई वह आने वाले साल में रख सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हमें इसको पेश करने में कोई एतराज नहीं। हम जितने एक्शन लेते हैं वे हम भी बताना चाहेंगे। जितने एक्शन हम ले चुके हैं इस वक्त तक वह इसमें है ...

श्री भैरोंसिंह : इसमें कोई कॉन्फिडेन्शल बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको कॉन्फिडेन्स में लेकर बता सकते हैं। कोई ऐसी बात होगी तो।

रहा सर्विस एक्ट बनाने का सवाल वह विचाराधीन है। सरकार उस पर विचार कर रही है दूसरे स्टेट्स में क्या कार्यवाही हो रही है, उसको देख कर हम सीरियसली सोच रहे हैं, सर्विस एक्ट बनाया जाय।

इसके अपेंडिक्स में बताया गया है, इम्पलीमेन्टेशन की तौर पर हमने क्या कार्यवाही की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने तो पढ़ा नहीं लेकिन शायद आपने भी पढ़ा नहीं। आपने यह कैसे कह दिया कि इम्पलीमेन्टेशन रिपोर्ट रखेंगे।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं माननीय मन्त्री महोदय ने अभी विजीलेन्स ऑफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में बात की। इसकी नियुक्ति करने का किसका काम है, विजीलेन्स कमीशन या सरकार का ?

दूसरा राजस्थान लोक सेवा के नियम बनाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल ३०६ के तहत राज्य की विधान सभाओं को है। मौजूदा सर्विस नियमों के अनुसार क्या आप डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी हर साल बैठती है जो नये पद बनते हैं या रिक्त होते हैं उसका रिक्वीजीशन पी. एस. सी. को समय पर भेजी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक सर्विस रूल्स का ताल्लुक है ३०६ आर्टिकल के तहत जो प्रोवीजो है उसके अन्तर्गत राज्य

Page No.101

सरकार को अधिकार है जब तक लॉ नहीं बने।

एक माननीय सदस्य : बनता क्यों नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विधान सभा द्वारा जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक सरकार को अधिकार है। सरकार सर्विस एक्ट बनाने पर विचार कर रही है और इस बारे में जल्द ही फैसला कर लेगी। तब तक गवर्नमेन्ट को अधिकार है सर्विस रूल्स बनाने का आर्टिकल ३०९ के तहत यह दिया हुआ है।

विजीलेन्स ऑफिसर गवर्नमेन्ट नियुक्त नहीं करती है। विजीलेंस कमिश्नर अपॉइन्ट करता है। उसको विजीलेन्स एक्टीविटीज में जो मदद करता है, उनको वह ले सकता है।

श्री रामकिशन : इसमें सिफारिश काम नहीं देती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न उसके लिये कोई सिफारिश करता है।

श्रीमती मदनकौर : मेरा तीसरा प्रश्न का जवाब नहीं है। डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी के बारे में था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी को बैठना चाहिये। अगर नहीं बैठी होगी तो उसका कोई कारण होगा असंतोष पर जो वेकेन्सीज होती है, नया रिक्रूटमेन्ट होता है तो प्रोमोशन कमेटी की बैठक होनी चाहिये।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्रीमती मदनकौर : पचासों अपोइन्टमेन्ट हो जाते हैं, कोई कमेटी नहीं बैठती।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा भी एक प्रश्न है अपॉइण्टमेन्ट जितने भी होते हैं क्या वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होते हैं इसके बारे में जानकारी चाहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो उनके परव्यू के बाहर होते हैं उनके अलावा कमीशन द्वारा ही होते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : ६ महीने के लिये अपॉइण्टमेन्ट ही सकती है, यह रूल्स है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा आपके कैबीनेट में एक मन्त्री हैं जिनकी लड़की है जिसको नवम्बर ६८, में राजपत्रित अधिकारी बनाया गया है। जब भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री मेहता जो रिटायर होने वाले थे २८ तारीख को उसकी प्रार्थना-पत्र लिया, उसकी नियुक्ति कर दिया जिसको बांसवाड़ा में एम्प्लॉयमेन्ट ऑफिसर बनाया गया है। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने पांच दफा शिकायत की है कि वह महिला इस पद पर नियुक्त है जो अब जयपुर के अन्दर है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बार-बार एतराज करने के बाद भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसका प्रार्थना-पत्र भी प्रॉपर चेनल नहीं आया। वह पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के दफ्तर में नोकर थी। वहां से १५०० रुपये सिक्यूरिटी के भी नहीं दिये। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को दबाया गया। क्या इस प्रकार का अपॉइण्टमेन्ट होता है, वह सही है?

Page No.102

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक मामला उठाया है, उसका मेरे लिये पॉसीबल नहीं, जवाब दे सकूं। ऐसे मामले उठाने से पहले सूचना देनी चाहिये ताकि पूरी जानकारी प्राप्त कर आया जा सके।

श्री विजयसिंह रावत : मैं नाम बता सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिये प्रायर नोटिस चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत : यह लोकप्रिय मन्त्री श्री भीखाभाई की पुत्री है, जो नवम्बर, ६६ को नियुक्त की गई है।

श्री. विभिजयसिंह : इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं। सरपंच, प्रमुख आदि तो सतर्कता आयोग के नीचे आते नहीं लेकिन जिला परिषद् और पंचायत समिति का जो स्टाफ है वह भी उसके अन्तर्गत नहीं आता है। उनके खिलाफ सर्विस रूल्स के हिसाब से ऐक्शन नहीं ले सकते। आपको इस स्टाफ को सतर्कता आयोग के नीचे लाने में क्या आपत्ति है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले पर विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा समाप्त हुई।

अधिक अनुदानों को अनुपूरक मांगें।

अधिक अनुदानों की मांगों, १९६५-६६ पर विचार मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८, ९९ व १००

श्री रामप्रसाद लडढ़ा (सिंचाई मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ४१-मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ९९, सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) १०० सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में संघनित कोष में से ३१ मार्च, ६६ को समाप्त हुए वर्ष में मिल गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७१,५३,१२०) रुपयों तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या ४१

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : १. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाये (राणाप्रताप सागर बांध के निर्माण-कार्य की गति में तीव्रता लाने पर हुए अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : २. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९ सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रुपये कम कर दिये जाय (राणाप्रतापसागर बांध पर मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी व सेन्टाव के क्लेम्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय राणाप्रतापसागर बांध पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अनुचित रूप से होने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : ४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपये कम कर दिये जाय (सिंचाई व्यय में कमी करने से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ५. मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपये कम कर दिये जाय (खारीबांध के कमांड ऐरिया को पुनः निश्चित कर अनिश्चितता समाप्त करने पर चर्चा के लिये) ।

६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का योजनाबद्ध तरीके पर कार्य नहीं हो रहा, उस पर चर्चा के लिये) ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : ७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गलवा बांध, जिला टोंक के निर्माण से वहां की भूमि खराब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकोट ग्राम, तहसील देवली में बांध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : ९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुराने छोटे बांधों की मरम्मत न करवाने तथा छोटे बांधों के निर्माण-कार्य न करवा कर नये बड़े बांधों के निर्माण सम्बन्धी सरकारी नीति का अनुमोदन पर चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रतापसागर बांध की गति तेज होने के कारण जवाहर सागर बांध के बिजली घर पर प्रभाव पड़ने के कारण चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : ११. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रतापसागर बांध के कार्यों की गति पर होने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) १२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल में हुई अनियमतताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामनारायण (मंडावा) : १३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण के धीमी गति पर चर्चा के लिये) ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : १४, मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १११) रु० कम कर दिया जाय (जवाई बांध पर बने बगीचे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जवाई बांध का पानी जोधपुर एवं मार्ग के अन्य गांवों को देने बाबत चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जवाई नहर की मरम्मत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : १७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६-सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना में निर्माण कार्य में सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र अग्रवाल (अलवर) : १८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना में पौंग डेम के निर्माण को रोक दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : राणा प्रतापसागर बांध के निर्माण में होने वाले अपव्यय तथा उसकी निर्माण-कार्य की गति में तीव्रता लाने पर चर्चा के निमित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल वेली प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट स्कीम कई फेजेज से गुजर कर अब पूरी होने जा रही है और राणा प्रताप सागर बांध भी इसके कई फेजेज में से एक है उसके भी कम्पलीट होने के बाद जैसा बताया गया है तीन लाख एकड़ अधिक सिंचाई इस से होने वाली है। इस योजना के तहत उस क्षेत्र में चम्बल सिंचाई क्षेत्र में क्या डिफिकल्टीज आ गई हैं उनकी तरफ से सदन का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल वेली में चम्बल बान्ध के एवं उसकी नहरों के फलस्वरूप जो सिंचाई हो रही है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोब्लेम डवलप हो गया है वह है वाटर लोगिंग का और ड्रेनेज का।

अभी चम्बल के कोटा बान्ध से जो सिंचाई हो रही है और उसी के तहत जो प्रोब्लम खड़ी हो गई है वह राणा प्रतापसागर से तीन लाख एकड़ अधिक की सिंचाई होने के बाद में और बढ़ेगी क्योंकि इन दोनों की नहरें करीब-करीब एक ही हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी चम्बल वेली डवलपमेंट स्कीम के तहत रिपोर्ट सरकार के पास पेश हुई है और जिसे मेरे को थोड़ा बहुत देखने और पढ़ने का मौका मिला है उनके आधार पर कह सकता हूं कि आप उस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ें जिसमें बताया है कि वाटर लोगिंग चार तरह का है। स्टेज एक में तो तीन फीट के नीचे पानी पहुंच चुका है और रूट जोन (Root Zone) में भी इफेक्ट होने लग गया है। उसमें १८ हजार

(श्री जुझारसिंह)

एकड़ में मई, जून ६३ में ही यह प्रोब्लम पैदा हो गया था और यह भी बताया गया था कि यह वाटर लोगिंग मानसून सीजन के बाद में बढ़कर ७१ हजार एकड़ तक पहुँच गया था वाटर लोगिंग की ग्रोथ करीब तीन फीट पर ईयर है। जो अपने आप में बहुत सीरियस प्रोब्लम है।

दूसरी स्टेज वाटर लोगिंग का तीन से दस फीट के बीच का है। और आपने जो रिपोर्ट ६४-६५ में लिखा है उसके आज तीन साल गुजर चुकने से शायद कण्डीशन और भी सीरियस हो गई होगी।

तो सेकण्ड स्टेज वाटर लोगिंग की तीन से दस फीट जमीन मे वाटर लोगिंग की है और यह १ लाख ७७ हजार एकड़ आपके हिसाब से होती है।

तीसरी स्टेज में ढाई लाख एकड़ में यह है और दस फीट से अधिक नीचे पर पानी स्थिर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल के साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जिस जमीन में अभी वाटर लोगिंग की समस्या पैदा हुई है वह जमीन उस क्षेत्र की सबसे ज्यादा फरटाइल जमीन है और प्रीईरिगेशन पीरियड में इस जमीन में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी परन्तु जबसे उसमें वाटर लोगिंग का इफेक्ट हुआ है वह कम पैदावार देने लगी है। रिपोर्ट देनें वालों का कहना है कि वाटर लोगिंग अभी और बढ़ेगा तो इस जमीन पर खराब असर करता जावेगा।

तीसरी जो वाटर ट्रबल बताई है तीन से दस फीट में उसकी भी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत काफी सीरियस है और उस पर भी अच्छी तरह से अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में निवेदन कर दूं कि इसके बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं।

यह राणा प्रतापसागर स्कीम बनकर तैयार होगी उस वक्त मे इस से तीन लाख एक्स्ट्रा एकड़ में इरिगेशन होने जा रहा है। इसके बाद ज्यादा पानी आने के कारण कान्स्टेन्ट फ्लो के कारण इन प्रॉब्लेम्स के और भी बढ़ने की सम्भावना है।

वैसे मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमने इस वाटर लोगिंग के प्रोब्लेम को टेप करने के लिये सीपेज ड्रेन और दूसरी नेचरल ड्रेन को डवलप किया है। पर इसीसे सीपेज प्रोब्लेम सोल्व हो जावेगा यह सम्भव नहीं है।

वहां की जमीन की स्ट्रेटा में परकोलेशन कम है। इसके लिये सब-स्वाइल ड्रेन या और भी स्टेप लेने की आवश्यकता है। अब तक जितने स्टेप लिये सीपेज के ड्रेन के, और दूसरे इसमें प्रोब्लेम सोल्व नहीं होता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रोब्लेम को सही तरीके से देखा जाय। राणा प्रताप-सागर से और अधिक सिंचाई होनें के कारण सिंचाई की ये प्रोब्लेम और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में अधिकारीगण भी इसका संकेत कर चुके हैं। इससे वाटर लोगिंग की समस्या बढ़ रही है। कोटा के आसपास के वेल-डवलप्ड बगीचों से हजारों की आमदनी होती थी उनमें वाटर ट्रबल आ जाने की वजह से वे लाखों के बगीचे कभी के नष्ट हो

(श्री जुझारसिंह)

चुके हैं और कोटा के आसपास इस तरह की परिस्थिति हो गई है कि लोग बाग लगाने से शंकित हो गये हैं यहां बगीचों को कैसे डेवलप किया जावेगा।

आपका चम्बल वैली डेवलपमेन्ट का जो प्रोग्राम है और जो क्राप पैटर्न बताया है उसमें आठ-दस हजार एकड़ में बगीचे व सुगरकेन आदि को तीसरी योजना के पहले डेवलप करने की बात थी। पर इन समस्याओं की वजह से इसमें कई अड़चनें आगई हैं।

इसलिये संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि इन प्रोब्लेम्स को सीरियसली डील करें और इसके फलस्वरूप जो उचित हों वे स्टेप्स लें ताकि इनसे होने वाले नुकसान से काश्तकारों को बचत हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्रीजी की ओर से राणा प्रतापसागर बान्ध और जवाहर सागर बान्ध तथा राजस्थान नहर को लेकर डिमाण्ड पेश की गई है।

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्सैस डिमाण्ड की मांग की जा रही है उसके पीछे सरकार ने जितने भी बांधों पर खर्चा किया है उसको ढंग से किया हो, नियमानुसार किया हो और इसके पश्चात् सरकार को और धन की आवश्यकता पड़ी हो तब तो उचित कहा जा सकता था पर सत्य यह है कि आरम्भ से ही सरकार इन योजनाओं के प्रति जानबूझ कर उदासीन रही। जानबूझ कर जो इन योजनाओं के लिये बान्ध बान्धने थे उनके लिये जो ठेकेदारों के साथ एग्रीमेन्ट किये गये उन एग्रीमेन्टों में से किसी को भी लॉ डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति लेकर फाइनल नहीं किया और इसके कारण कई कम्पलीकेशन्स पैदा हुए और उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे राणा प्रतापसागर बान्ध का तखमीना-५८ का अगर १२।। करोड़ का था तो आज वही तखमीना बढ़ते-बढ़ते २७ करोड़ का किया जाने वाला है। ताहम १२ करोड़ का और कोई ५७ करोड़ तक पहुँचेगा। यह ठीक है कि महंगाई बढ़ी है और कारण भी छोटे-मोटे ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन यह करूंगा कि सबसे पीछे तथ्य यह है कि जिन ठेकेदारों को निर्माण कार्य के लिये काम दिया गया उनसे जो एग्रीमेन्ट करवाये गये उनमें जानबूझकर खामियां रक्खी गई और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जो बांध अब बनकर तैयार हो चुके हैं उनके एग्रीमेन्ट आज दिन तक लॉ डिपार्टमेन्ट के द्वारा एप्रूव हो कर फाइनल नहीं हुए हैं। नतीजा यह निकला कि राणा प्रतापसागर बान्ध का ठेका जिस मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को चार करोड़ का दिया गया उसने इन खामियों का फायदा उठाकर सरकार के सामने लाखों रुपयों का अपने और क्लेम पेश किये और उपाध्यक्ष महोदय, क्लेम ही पेश नहीं किये सरकार ने उनको स्वीकार किया सरकार ने उनके सामने सबमिट किया और स्वयं सरकार आरबिट्रेशन के लिये एग्री हुई है।

और आज स्थिति यह है कि इस मॉडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी को सरकार के विरुद्ध २८ लाख रुपये का अवार्ड स्वीकार किया जा चुका है वह अवार्ड चल रहा है और

Page No.107

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकार कहती है कि हमने आपत्ति पेश की है। केवल २८ लाख का ही अवार्ड हो यह बात नहीं हैं उस कम्पनी ने इस अवार्ड के पश्चात् ६० लाख रुपये के और क्लेम्स पेश किये हैं यानी कुल ४ करोड़ का ठेका है लगभग १ करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है जिसमें २८ लाख रुपये के अवार्ड हो चुके हैं और उसी कम्पनी ने और क्लेम्स पेश किये हैं ६० लाख के। इस प्रकार से एक करोड़ रुपये का घोटाला केवल जान बूझ कर सरकार ने उस एग्रीमेन्ट को फाइनल नहीं किया उसके कारण से काम्पलीकेशन्स पैदा हुए हैं और उपाध्यक्षजी, ताज्जुब यह है कि सरकार आज तक यह जांच कराने को तैयार नहीं है कि यह समय पर एग्रीमेन्ट फाइनल क्यों नहीं किये गये और लॉ डिपार्टमेन्ट की समय पर मोहर क्यों नहीं लगवाई गई और जिन अधिकारियों के कारण लॉ डिपार्टमेन्ट की सलाह नहीं ली गई आज तक सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हजारों रुपया इस कम्पनी के लिए सरकार ने आरबीट्रेशन के नाम पर खर्च कर दिया जिसकी चर्चा इस सदन के सामने कई बार हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल मॉडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी का ही सवाल नहीं है और दूसरी सेन्टाफ कम्पनी है जिसने इसी राणा प्रतापसागर का टनल बनाने का काम किया था। आज उसी सेन्टाफ कम्पनी ने सरकार के खिलाफ लगभग २१० लाख रुपये के क्लेम्स पेश किये हैं और मुझे मालूम पड़ा है कि आज उस कम्पनी ने लाखों रुपये के क्लेम्स पेश किये हैं सरकार उस पर भी आरबीट्रेशन के लिए तैयार हो रही है। केवल दो कम्पनियों में करोड़ों रुपयों का मामला इनवाल्व है। सरकार अपनी खामियों को नहीं देखती, क्लेम्स की जांच नहीं करती और जिम्मेदार आदमियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती बल्कि घुटने टेककर जान बूझकर जो आरबीट्रेशन है, उसके सामने तैयार हो जाती है और उपाध्यक्ष महोदय, केवल स्थिति यहां तक हो ऐसी बात नहीं है! मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राणा प्रतापसागर पर जो अधिकारी हैं अगर उनका काम देखा जाये और उन अधिकारियों को जो बंगले मिले हुए हैं, जो गाड़ियां मिली हुई हैं उनका जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है उसको देखा जाये तो ताज्जुब होगा कि लाखों रुपये केवल पैट्रोल पर फूंक दिये जाते हैं। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो गाड़ियां आपने अधिकारियों को दी हैं क्या उनकी लॉग बुक मेन्टेन होती है? क्या लॉग-बुक के अन्दर कहां राणा प्रतापसागर और कहां कोटा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिन में ३-४ गाड़ियां केवल सब्जी लेने के लिए, केवल बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए, केवल सिनेमा देखने के लिए और उनको दफ्तर के आने के लिए आदि कामों में दुरुपयोग किया जाता है। लाखों रुपयों का पैट्रोल खर्च किया गया लेकिन सरकार ने आज तक लॉग बुक के ऊपर एक्शन नहीं लिया।

इसके अलावा जो उन अधिकारियों के पास फर्नीचर है वह उन्होंने अपने पैसों से नहीं बनवाया, बाजार से नहीं खरीदा। इसकी जांच कराई जाये तो मालूम होगा कि यह सारा का सारा फर्नीचर जो वर्कचार्ज के आधार पर नौकर रखे जाते हैं वह सारे कारपेन्टर्स इन अधिकारियों के घरों पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ियां बाजार से नहीं खरीदीं जो खोलों के अन्दर मशीनरी आती है उस कीमती लकड़ी के सारे फर्नीचर बनते हैं। जो आप वर्कचार्ज के नाम पर नौकर रखते हैं, आज सारे के सारे लोग उनका काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी हड़ताल हुई थी सिचाई विभाग म। हड़ताल बहुत सफल रही लेकिन सरकारी सूत्रों से कहा जा रहा था कि लगभग २५ प्रतिशत मजदूर काम कर रहे है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर २५ प्रतिशत मजदूर काम कर रहे हैं, वह अगर किसी जगह पर काम कर रहें हैं तो यह २५ प्रतिशत के वह आंकड़े दिये गये है जो कि बंगलों पर सफाई का काम कर रहे थे या कोई और काम कर रहे थे। आज इस वर्कचार्ज के नाम पर लूट मच रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्कचार्ज के लिए कोई नाम प्रेस्क्राइब किये हुए हैं ? कोई नाम नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय. वर्षों से लोग लगाये जा रहे हैं। सुपरवाइजर जिसको ४००-५०० रुपये दिये जाते हैं वह भी वर्कचार्ज पर काम कर रहा है और दूसरे मैकेनिक हैं वह भी वर्कचार्ज पर काम कर रहे हैं आज इकॉनामी के नाम पर इन्जिनीयर्स को निकाल रहे हैं, असिस्टेन्ट इन्जिनीयर्स को निकाल रहे हैं, ओवरसीयर्स को निकाल रहे हैं। उनके लिए कोई डिपार्टमेन्टल प्रमोशन व मेटी तैयार नहीं है। इकानामी का ढोल पीटकर वर्कचार्ज का आप कन्ट्रोल करें। इसके लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति केवल इतनी ही नहीं है। आपने मिलिट्री के डिस्पोजल के ट्रक्स और जीप खरीदी। लाखों रुपये की जीपें राणा प्रतापसागर और राजस्थान नहर के लिए खरीदी हैं। लाखों रुपया इन ट्रक्स और जीप्स पर खर्च कर दिया। हजारों रुपया रिपेयरिंग पर खर्च कर दिया और मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी को जानने देना चाहता हूं कि यह सारी व्हीकल्स डल पड़ी हुई हैं, किसी काम में नहीं आई। मुश्किल से १०० मील की एवरेज दौड़ नहीं की होगी इन गाड़ियों ने। यह सारा पैसा बट्टे खाते पड़ा है और इस माडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी को कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। १० लाख रुपया तो उसको एडवान्स में दे दिया गया, मशीनरी के लिए इसको रुपया एडवान्स दिया गया जब कि एग्रीमेन्ट में सरकार कहीं बाध्य नहीं थी कि उनको रुपया दें। सरकार ने हर तरह की सुविधा दी है और एक मामला और आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस इन्डियन एलूमीनियम केबल्स कंपनी को आपने जो रुपया दिया था थोड़ा बहुत नहीं उपाध्यक्ष महोदय, २० लाख रुपया इसको एडवान्स के रूप में दिया है और लगभग इसी कम्पनी को ५० लाख का मेटेरियल दिया, इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया जिसके आधार पर इसने विदेशों से कच्चा माल वसूल किया है। लेकिन वह २० लाख रुपया का एडवान्स नकद, वह ५० लाख रुपये का मेटेरियल, इम्पोर्ट लाइसेन्स से आया हुआ माल आज कम्पनी ने सारा घोटाला करके एक पैसे का माल आज तक राणा प्रतापसागर को सप्लाई नहीं किया। जिस ट्रान्समीशन लाइन के पीछे हम पड़े हुए हैं, जो जल्दी पूरी होनी चाहिए यह सारा माल उस ट्रान्समीशन लाइन पर मिलना चाहिए था यह लाखों रुपयों का माल और नकद और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इम्पोर्ट लाइसेन्स जो दिया था समय पर माल सप्लाई करने को दिया था आज उपाध्यक्ष महोदय, दो साल हो गए । ६ महीने में यह माल सप्लाई होना चाहिए था आज एक पैसे का माल भी सप्लाई नहीं किया और इस प्रकार से ७०-८० लाख रुपये की रकम जो उसको एडवान्स के रूप में दी गयी आज तक उस कम्पनी के पास पड़े हुए हैं लेकिन सरकार ने आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही करने का प्रयास कब किया जाता है। सरकार स्वयं नहीं करना चाहती है क्योंकि आखिर यहीं तो कम्पनियां हैं जो सरकार को जो सत्तारूढ़ दल को चुनाव के समय में चन्दा देती हैं और जो अधिवेशन के समय पर हजारों रुपयों का चन्दा इकट्ठा करके देती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर हमारे दल के नेता श्री भैरोंसिंहजी ने प्रश्न उठाया था और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय पर कोटा चम्बल प्रोजेक्ट में एडीशनल चीफ इन्जीनियर श्री शिवप्रकाशम् ने १७ हजार रुपये चन्दे का इकट्ठा करके उस समय के सिचाई मंत्री श्री नाथूराम जी मिर्धा को दिये थे और उनके खिलाफ पर जो उनके पी० ए० श्री पारीक थे और आज भी जो सिचाई मंत्री के पी० ए० हैं श्री पारीक उन्होंने स्वयं ने एन्डोर्स किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय मैं पत्र दुबारा पढ़ना चाहूंगा और इस पत्र की फोटोग्राफ कापी सदन की मेज पर रखना चाहूंगा और मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि वह इस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे। जिन सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उन कम्पनियों से नाजायज फायदा उठाकर करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार को पहुंचाया और जिसके कारण एक्सेस डिमाण्ड मांगने की स्थिति में सरकार आई उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी। यह पत्र इस प्रकार है, ५ फरवरी ६६ का जब कि कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ था। यह पत्र मान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर के द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर को भेजा गया। अगर यहां तक ही होता तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की बात नहीं हो सकती थी। मैं अब पत्र पढ़ता हूं।

"Dear Sir,

We are enclosing herewith a Cheque No. BJ/62/0174979 dated 4-2-66 in favour of Rajasthan Pradesh Congress Committee Jaipur Rs. 1,000/— on account of cost of two ticket Nos. 321 and 322, Rs. 500/- each of 17th Congress Session.

Kindly acknowledge hand receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully
For Man Industrial Corporation Ltd."

यह पत्र उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति को भेजा। इसकी कॉपी भेजी गई, कापी टू श्री शिवप्रकाशम्, एडीशनल चीफ इन्जीनीयर, राणा प्रताप सागर डेम, चम्बल प्रोजेक्ट कोटा, फॉर इन्फॉरमेशन। यहां तक भी बात नहीं हो सकती है कि किसी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

फर्म ने किसी पार्टी को चन्दा भेजा और उसकी प्रतिलिपि गलती से या डिपार्टमेन्ट को ब्लैकमेल करने के लिये एडीशनल चीफ इन्जिनीयर को भेजी। लेकिन गतिविधि यहां तक ही नहीं रही। उसके बाद श्री शिवप्रकाशम्, एडीशनल चीफ इन्जिनीयर, जो आज प्रोजेक्ट के चीफ इन्जिनीयर हैं, उन्होंने उस पत्र पर अपना एन्डोर्समेन्ट किया सी. ई. के लिये जो श्री ए. के. चार साहब थे, कि क्राॅम्पटन, यह दूसरी कम्पनी है जिन्होंने ट्रान्समीशन टावर्स सप्लाई किये हैं, "Crompton also have remitted one thousand rupees."

साइन्ड शिवप्रकाशम्, स्वयं उन्होंने अपने हाथ से लिखा है और वह फोटोग्राफ में मौजूद है। इस प्रकार वे अपने बिग बॉस चीफ इन्जिनीयर को बताते हैं कि केवल यह मान इन्डस्ट्रीज ही नहीं हैं जिन्होंने १००० रुपये का टिकिट खरीदा है लेकिन दूसरी कम्पनी क्राॅम्पटन की और है जिन्होंने भी टिकिट खरीदा है। उसके बाद चीफ इन्जिनीयर चार साहब उस पर लिखते हैं, सीन, फाइल, और इनीशियल्स करते हैं, ए. के. चार। यह है पत्र।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी मन्शा यह भी हो सकती है कि इस तरह से ठेकेदार चन्दे दे रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं अभी बताता हूं। यह किस्सा यहीं नहीं खत्म होता है। इस तरह के सैंकड़ों पत्र डेस्ट्राय किये गये रेकार्ड से और उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, अपने आकाओं को खुश करने के लिये ये अधिकारी जयपुर आते हैं। उस वक्त श्री पारीक, जो श्री नाथूराम मिर्धाजी के पी. ए. थे, उसके पास जाते हैं और वहां जाकर रसीद लेते हैं। अगर गुड बुक्स में न आयें तो कैसे प्रमोशन मिले? पारीक साहब लिखते हैं, रिसीव्ड चेक नम्बर ४५३९६१ डेटेड १-२-६६। एक फरवरी का यह चेक है और उसका नम्बर इस पर लिखा हुआ है। चार-पांच पंक्तियां हैं रसीद की। इनीशियल्स को तो काट दिया गया है लेकिन उनकी हैण्डराइटिंग, पारीक साहब की, शिवप्रकाशम् साहब की और ए. के. चार साहब की, इन सबकी हैण्डराइटिंग इस फोटोग्राफ पर मौजूद है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

यह लिस्ट केवल इतनी बड़ी नहीं है। जिस कम्पनी का मैंने नाम लिया, मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जिसमें करोड़ों रुपयों का दावा होने वाला है, सरकार के खिलाफ, सेंटाफ कम्पनी, जिन्होंने लाखों का क्लेम सरकार के पास पेश कर दिया है और इन दोनों ही कम्पनियों ने जो टिकिट खरीदे उनके नम्बर्स मौजूद हैं और आपकी जानकारी के लिये पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यह, उपाध्यक्ष महोदय, २७ हजार का कलेक्शन था जो कि उस समय के सिंचाई मन्त्री के पास आया। इस तरह से कलेक्ट हो करके, टिकट नम्बर १५३ और १५४, दोनों एक एक हजार रुपये के जो मेसर्स हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ज्वाहरसागर डेम ने खरीदा। यह जवाहर सागर डेम आज इस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण है, वहां हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी काम कर रही है और मैं सूचना देना चाहता हूं, इस सदन को और माननीय मन्त्री

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

महोदय को कि राणा प्रतापसागर के अन्दर जो कोम्पलीकेशन्स पैदा हुई हैं उससे ज्यादा भयंकर कोम्पलीकेशन्स जवाहरसागर डेम में आने वाली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा डेम में जो हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी काम कर रही है क्या उसका एग्रीमेन्ट लॉ डिपार्टमेन्ट से एप्रूव हो करके आया है? मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं आया है। और अगर नहीं आया है तो कितनी कोम्पलीकेशन्स होंगी, कितने लाखों रुपयों का क्लेम पेश होगा यह आप देख लीजियेगा। तो दो टिकिट इस कम्पनी को दिये गये। और उपाध्यक्ष महोदय, टिकट नम्बर १०१, १०२ १०३, १०४ और ०५ ये पांच टिकट हजार-हजार रुपये का एक यानी पांच हजार रुपये के टिकट मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम दिये गये, जिसका कि मैंने जिक्र किया। उसके बाद सेंटाफ कम्पनी, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसने भी अपने क्लेम पेश कर रखे हैं और सरकार भी यील्ड कर चुकी है आर्बीट्रेशन के लिये, उसको टिकट नम्बर १५१ और १५२ हजार रुपये के दिये गये इसके बाद पांच सौ रुपये के टिकिट जिनको दिये गये ये हैं आपके मेसर्स प्रेकोको कम्पनी कॉन्ट्रेक्टर्स माही प्रोजेक्ट, जो इस वक्त चम्बल प्रोजेक्ट का भाग है, इनको दिये गये टिकिट नम्बर ३३१, ३३२, ३३३ और ३३४। किशनलाल जाली, टिकिट नम्बर ३३५ और ३३६। मेसर्स सेठी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, टिकिट नम्बर ३३७। रामस्वरूप विद्यासागर, टिकट नम्बर ३३८। मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, जिसका नाम मैंने अभी लिया था, टिकिट नम्बर ३२१ और ३२२। क्राम्पटन इन्जीनियरिंग कम्पनी जिसके लिये एडीशनल चीफ इन्जिनीयर साहब ने लिखा है कि "Crompton also have remitted one thousond rupees,

ये उनके टिकिट नम्बर हैं ३२१ और ३२२, पांच-पांच सौ रुपये के दो टिकिट हैं। इसके बाद सीमेन्टेशन कम्पनी, बॉम्बे, इसका चेक नम्बर भी लिखा हुआ है. चेक नम्बर ओ/बी/४५३६६१ डेटेड १-२-६६ फॉर रुपीज २०००। इनके टिकिट नम्बर हैं ३२५, ३२६, ३२७ और ३२८। ये वे कम्पनीज हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिनसे २७ हजार रुपये का कलेक्शन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया और उस समय के सिंचाई मन्त्री द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिये पैसे लिये गये जो पार्टी उस समय शासन में थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सारी कम्पनीज वहीं नहीं हैं जिनको कि वहां पर ठेका है? एक भी ऐसी कम्पनी नहीं है जिसको आप चम्बल और राणा प्रतापसागर डेम से डिस्कनेक्ट कर सकते हों। किसी को रेत का ठेका है, किसी को पत्थर का ठेका है तो किसी को ट्रान्समिशन टावर्स का ठेका है। सारे के सारे प्रोजेक्ट से सम्बन्ध रखते हैं!

(४ म. प.)

और उन कम्पनियों से जो पैसा इकट्ठा किया गया है, वहां के एडिशनल चीफ इन्जीनीयर ने उस समय के सिंचाई मन्त्री के आग्रह से यह सारा पैसा इकट्ठा किया है। जब आपकी गतिविधियां इस प्रकार की हैं, जब आपकी सारी कार्यवाही इस प्रकार की है, तो दूसरों के ऊपर जब हम आरोप लगाते है, जिनके बारे में हम कोई बात कहते हैं उनसे आप पैसा इकट्ठा करते है, और पैसा भी कहां से? उन प्रोजेक्ट्स

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से जो कि हमारे देश की और राष्ट्र की सम्पत्ति है जिन पर हमारा भविष्य आधारित है उन प्रोजेक्ट्स से आज मैं सोचता हूं इस प्रकार से पैसा इकट्ठा करें, इस प्रकार से उनको रियायतें दें, ये आपकी राष्ट्रघाती कार्यवाहियां हैं। इसको किसी भी प्रकार से देश और जनता बर्दाश्त नही कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं केवल इतना कहते हुए कि जो भी मैंने इस प्रकार के प्रश्न रखे हैं और तोन-चार कम्पनियों के बारे में इशारा किया है इन सब के साथ में लीनियन्सी बरतने के कारण, इन सबको नाजायज फायदा पहुंचाने के कारण आज यह स्थिति आई है कि आप एक्सेस डिमाण्ड लेकर इस सदन के सामने आये हैं। अब इससे आप इनके एवार्ड्स का पैसा चुकायेंगे, इनके दूसरे क्लेम्स जो आ रहे हैं, उनका फैसला आयेगा, उनका पैसा चुकायेंगे।

अन्त में इतना कहते हुए कि मैंने एक समय कहा था कि चार करोड़ के ठेके के अन्दर एक करोड़ का घोटाला है जिसको मुख्य मन्त्रीजी ने हंस कर टाल दिया था। मेरे कहने की जरूरत नहीं कि एवार्ड्स जो हुए हैं और जितने भी क्लेम्स उनके पेंडिंग हैं, उनको मिला कर चार करोड़ के ठेके में ये सारे मामले सवा दो करोड़ के पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो डिमाण्ड रखी है उसको नामन्जूर किया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्रीजी ने एक अनुपूरक मांग रखी है......

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक्सेस डिमाण्ड।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : दुःख इस बात का है कि देश मे अन्न की कमी है, और हम विदेशों से अन्न मंगवाते हैं, लेकिन राजस्थान में सिंचाई के जो साधन उपलब्ध हैं, उनके खर्चे में कमी की गई है। इसी वर्ष करीब १०-११ करोड़ की सिंचाई के साधनों में कमी को गई। जब हमारा हर जगह प्रचार है कि देश में अन्न ज्यादा उपजाना है तो जो सिंचाई के साधन मिल सकते हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। हम दूसरे खर्चों में कमी कर सकते हैं। अगर भारत सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया तो राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य था कि जितना रुपया लोगों में बकाया है उसको सख्ती से जल्दी से जल्दी वसूल किया जाय। जितना रुपया ब्याज में दे रखा है, सरकार के द्वारा ऋण दिया गया है, उसके ब्याज के करीब ४-६ करोड़ रुपया साल के आते हैं जो कि एक करोड़ रुपया भी नहीं आता है तो पिछला ब्याज उनसे वसूल कर लिया जाना चाहिए था. वह अगर कर लिया जाता तो राजस्थान कैनाल के खर्चे में कोई कमी नहीं आती। हां यह जरूर है कि पैसा वसूल करने में दिक्कत होती है। लोगों को नाराज करना पड़ता है, अधिक काम करना पड़ता है। इस सब के बजाय इन्होंने एक ही सीधा सा काम समझ रखा था कि राजस्थान कैनाल के खर्चे को बन्द कर दिया जाय। खर्चा बन्द किया गया। स्टॉफ ज्यों का त्यों है, मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट ज्यों का त्यों है, ऑफिसर वैसे के वैसे हैं। स्टॉफ बैठ कर तनख्वाह खा रहा है। करोड़ों का खर्चा फिर भी हुआ है लेकिन निर्माण

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

का कार्य बन्द किया गया है। इससे जितना बड़ा नुकसान काश्तकारों का हुआ है, राजस्थान के लोगों का हुआ है और हिन्दुस्तान में अन्न के उत्पादन का हुआ है, इस बात को कोई भी देश भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा।

सरकार ने कोलोनाइजेशन के मातहत १०-१२ साल पहले बीकानेर के इलाके में जमीन को कमाण्डेड एरिया घोषित कर दिया और लोग कमाण्डेड जमीन में खेती नहीं कर पाते, और आज तक पानी नहीं आया है। इधर पानी आने की बात हुई तो खर्चा बन्द कर दिया और बहाना यह है कि भारत सरकार ने बन्द कर दिया। आप कहते हैं कि भारत सरकार पैसा नहीं देती है। आपको पैसा लेने के लिए जहां सिंचाई मंत्रीजी राजस्थान का २५ दिन का दौरा करते हैं, भीलवाड़े में १० दिन जा कर रहेंगे महीने में, लेकिन दिल्ली जाकर एक महीना बैठ जाते और पैसा लाते तो क्या बुरी बात होती। यदि आपको सदन के ताकत की जरूरत थी, आपको पार्टी की ताकत की जरूरत थी, तो कोई इस सदन में बैठने वाला ऐसा आदमी नहीं है जो कि यह कहने वाला हो कि आप मत लाइये पैसा। सिंचाई बन्द कर दी। सिंचाई होनी चाहिए। भारत सरकार से पैसा नहीं लाया गया। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, नहर वहां लाई गई तो ५१ मील से १२१ मील तक ७० मील तक कोई आदमी सिंचाई करने वाला नहीं है जहा कि २४ करोड़ रुपया नहर के लाते में खर्च हो गया, लेकिन उस बीच की जमीन में कोई सिंचाई नहीं होगी, उसके बजाय ९-१० करोड़ रुपया खर्च करके लिफ्ट इरिगेशन से नहर विरदावल से बीकानेर तक लाते तो ९-१० करोड़ रुपया ही खर्च होता और हर मील पर बस्ती है, गांव है, भूमि समतल है, उधर पानी नहीं ले जा रहे हैं। उधर से पानी ले जाना स्वीकार नहीं किया गया। क्यों स्वीकार नहीं किया गया ? इसलिए कि इधर तो लोग देखेंगे कि काम हो रहा है और उधर बड़े-बड़े ढोले हैं, धोरे हैं रेत के जिनमें कि न तो पानी चढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि आगे जाकर खेती करेंगे। उस ७१ मील पर २५ करोड़ रुपया मुफ्त में खर्च करने को तैयार हैं और जिस जगह ५१ मील से हो खेती होती है, ९-१० करोड़ रुपया खर्च हो और खेती हो वहां लाने को तैयार नहीं हैं। भारत सरकार पैसा नहीं देती है। जाकर बैठे नहीं, और जाकर सदन को नहीं बताया कि भारत सरकार ने इस कारण से इसके लिए मना किया है, और सिंचाई के काम को बन्द कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से छोटे-छोटे तालाब हैं जो पुराने पड़े हुए हैं, वर्षों से उनकी मरम्मत बन्द है। इसलिए बन्द हैं कि पैसा नही है। पैसा और कामों में कहां से खर्च किया जा रहा है। बहुत से काम दूसरे करते है जिनमें कि पैसे की जरूरत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी थोड़ी सी अर्ज है कि जब आदमी की अपनी आर्थिक स्थिति खराब होती है और कहीं से कर्ज लेकर और कुछ काम ऐसा करे कि जिससे उसकी अधिक आमदनी बढ़ती है तो वह तो समझ में आ सकता है। कर्जा लेते है तो निर्माण के नाम पर मकान बनायेंगे, बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, डाक बंगले, सर्किट हाउस बनायेंगे। सड़कें, सर्किट हाउस, डाक बंगले, रहने के बंगले आप लोगों के सेक्रेट्रियेट के दूसरे मकानों

Page No.114

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पर पैसा खर्च हो सकता है। आप छोटे-छोटे कमरों में रह सकते थे। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां रोज खरीदते हैं। आप दूसरा खर्चा मन्त्रियों पर करते हैं इसको कम किया जाय, और कम खर्चा करके निर्माण के कार्यों पर खर्च करना चाहिए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लेकिन वह नहीं किया गया। अब भी जिस तरह से हो सके मैं समझता हूं, पुरजोर शब्दों में मांग की जाय कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय और राजस्थान कैनाल के काम को बन्द न करें। और बन्द करना मैं समझता हूं इस प्रान्त के साथ दगा है। यहां के लोगों भूखों मरना पसन्द नहीं करते।

दूसरे जो छोटे-छोटे तालाब हैं, उन तालाबों से पहले २०० बीघा की जिनसे सिंचाई होती थी उनसे अब ५० बीघा भी नहीं होती है, क्योंकि २०-३० साल से उनकी कोई मरम्मत ही नहीं हो पाई है। बीकानेर में पेलपा का बांध महाराजा गंगासिंहजी जब थे तो उन्होंने बंधवाया था। उसके बाद आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत नहीं होने से यह हुआ कि खेतों में सिंचाई बिल्कुल बन्द हो गई। उसके बजाय पक्की नहर को कहां डालते हैं, जहां महाराजा बीकानेर ने जो अब हैं करणी-सिंहजी उनकी एक गजनेर की झील है वह झील खाली उनके देखने के लिए है और कोसों तक उसका कैचमेन्ट एरिया है और उस कैचमेन्ट एरिया के पानी को पेलपा बांध में न डालकर उसको वहां से कटवा दिया है और गजनेर झील मे डाल दिया है जिससे झील भरी रहे ताकि शिकार मारने के काम में आये। सरकार की लाखों बीघा जमीन से जो पानी बहकर जाता और वह पानी सिंचाई के काम में आता उसको तो बन्द कर दिया। पेलपा बांध को नहर से जोड़ते तो ३-४ हजार एकड़ जमीन सिंचित होती, लेकिन वह न करके महाराजा की शिकारगाह में पानी पूरा भरा रहे इस खयाल से उसको जोड़ा गया है। हम बात तो यों करते हैं कि हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के चिड़ियां मारने के लिए लाखों बीघा जमीन का पानी वहां इकट्ठा करते है। पेलपा का बांध बीकानेर के पास जब से बंधा है, उसकी मरम्मत नहीं हुई और उसकी नहर टूट गई उसका खयाल नहीं रखते हैं लेकिन उसका खयाल रखते हैं जो कि शिकार के लिए झील है। हमने उसको पक्का नहीं किया। देश में आदमी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं और अन्न का उत्पादन कम हो गया है तो यह देश की स्थिति खराब होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां गांवों में ५० एकड़ से ज्यादा जिस तालाब से सिंचाई होती है, सरकार उसको अपने हाथमें ले लेती है और २५० एकड़ से कम वाले को ग्राम पंचायत को देती है। अब शहरों में जहां हजारों एकड़ सिंचाई हो सकती है, इस जयपुर शहर में एक करोड़ गैलन पानी रोज आता है और पानी बेकार जाता है जिसमें कि खाद की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी जगह सिंचाई होती है, एक झील बनी हुई है आमेर के पास। सिंचाई विभाग अपने हाथ में ले शहरों के पानी को और उससे सिंचाई करे और पैसा ले और उसके जो दूसरे सिंचाई के साधन हैं उन से ज्यादा उपज होगी, क्योंकि इसमें खाद होता है।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बीकानेर में ३०.४० लाख गैलन पानी रोज बेकार जाता है जिसके लिये किसी को कह दिया है कि २५.३० हजार देंगे तुम खाद भी लो, पानी लो और जमीन भी लो। आज शहर में सिंचाई का इन्तजाम करें तो शहरों में अन्न के सिवाय दूसरी सारी चीजें पैदा हो सकती हैं। गन्ना पैदा हो सकता है, सब्जियां पैदा हो सकती हैं। एक एकड़ जमीन में १० हजार गैलन से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जहां पर १० करोड़ एकड़ पानी रोज व्यर्थ जाता है, वहां बड़े से बड़े बांध की तरह सिंचाई हो सकती है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। यह कह कर टाल देती है कि गन्दा नाला है। गन्दे नाले में तो मय खाद के पानी आता है। सरकार यदि इस ओर ध्यान दें तो बहुत बड़े तालाब बांधने की जरूरत नहीं है, नहर की व्यवस्था हो और खेतों तक पानी पहुँच जाय तो काफी सिंचाई होगी और अधिक अन्न और दूसरी चीजें उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ेगी।

मुझे एक चीज की और शिकायत है। राजस्थान केनाल, भाखरा और दूसरे बांध बनाने के लिये काफी स्टाफ रखा गया जो बरसों से आपके यहां पर काम कर रहे हैं। अब उसमें कमी करने की बात आती है अब उनकी २५ साल की उम्र तो खत्म हो गई। अब अगर आप उनको हटा देंगे तो वे कहीं पर सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। पहले तो आपको बहुत ज्यादा स्टाफ रखना नहीं चाहिये था अब उनको रख लिया है तो हटाइये मत दूसरे सिंचाई के साधन यहां पर बढ़ाये जा सकते हैं। सिंचाई मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देकर सदन का समर्थन लेकर भारत सरकार से कहे कि राजस्थान केनाल का काम एक दिन भी बन्द नहीं रहेगा और जितने दिनों में काम पूरा करना चाहिये उतने ही दिनों में पूरा करने के लिये धन की व्यवस्था करें।

श्री रामकिशन : सदन का समर्थन तो इनको हमेशा ही रहा है। अब अगर इनको बादाम की जरूरत हो तो वह भी दे सकते हैं। आपका यदि यह मतलब है कि सिंचाई मन्त्रीजी को एक दो किलो बादाम की जरूरत है तो सदन से कह कर इसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि खारी बांध का कमाण्ड एरिया जो निश्चित किया गया है उसको घटा कर जितना खारी बांध में पानी आता है उसी हिसाब से कमाण्ड एरिया फिर से निश्चित किया जाय। इसमें तथ्य यह है उपाध्यक्ष महोदय, यह खारी बांध जब बनने लगा था और सर्वे और इन्वेस्टिगेशन की तहत जितनी जमीन पीवल होने वाली थी उसका अन्दाज पहले २७ हजार एकड़ लगाया गया था। लेकिन जब बांध बन कर कम्पलीट हुआ और यह पूरा भर कर ओवर फ्लो हुआ तब इससे जितनी पिलाई हुई, उसकी जानकारी करने पर पता चला कि इससे ज्यादा से ज्यादा १० हजार एकड़ जमीन की पिलाई हो सकती है। इसका कमाण्ड एरिया २७ हजार एकड़ में पिलाई करने के हिसाब से तय किया गया था। उससे काश्तकारों को और वहां के लोगों को तकलीफ यह हुई कि जो कमाण्ड एरिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

निश्चित किया है उससे न तो वहां तक पूरा पानी पहुँचता है और न उससे जमीन को बाहर निकाला जाता है इस कारण से अतिरिक्त जमीन आवंटित नहीं की जा सकती और न वहां पर चारागाह कायम किये जा सकते हैं। इस प्रकार जो कमाण्ड एरिया निश्चित किया गया है, वह इसको शक्ति के बाहर घोषित किया गया है इसलिये मैंने बार-बार कई दफा विधान सभा में हर अवसर पर मिनिस्टर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि खारी बांध का जो कमाण्ड एरिया रखा गया है उस पर पुनः विचार किया जाय और इस प्रकार कमाण्ड एरिया स्थापित किया जाय या पानी का निर्धारण किया जाय जिससे जितना पानी आता है उतनी ही जमीन मिल सके और उसके अलावा जितनी जमीन है उसको कमाण्ड एरिया से बाहर निकाल दिया जाय ताकि उसका अलोटमेन्ट किया जा सके और जहां पर चरागाह मुकर्रर नहीं हुए हैं वहां पर मुकर्रर किये जा सकें। अब तक इस ओर सरकार और सिचाई विभाग ने तवज्जह नहीं दी थी। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पानी के सम्बन्ध में आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं और जिस क्षेत्र में पानी देना चाहते हैं उसमें पानी पूरी तरह से नहीं दे सकते। इसके अलावा और भी विपरीत नतीजा निकलता है। जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अधिकारी, असिस्टेंट इन्जीनियर आदि जो हैं उनको धींगा-मस्ती करने का मौका मिलता है और गरीब किसानों को लूटने का अवसर उनको मिलता है। मैंने बार-बार सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उन्होने इन प्रिन्सीपल को एग्री भी किया है। यह प्रश्न बार-बार रखा जाता है, इससे कई लोगों को तकलीफ है, इसका समाधान होना आवश्यक है और यदि इसका समाधान जल्दी नहीं हुआ तो भविष्य में इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। बुरे परिणाम इस वजह से निकलेंगे कि आज जिन आदमियों को पानी देने का सोचते हैं, वहां तक पानी नहीं पहुँचता है तो उन लोगों को भी असंतोष होगा और जिन लोगों को पानी दे रहे हैं उनको भी पानी पूरा नहीं मिलता है क्योंकि क्षमता आपकी १० हजार एकड़ में पानी देने की है और २७ हजार एकड़ भूमि के लिये पानी पहुँचाना चाहते हैं तो यह तो बिल्ली बांट की तरह ही डिस्ट्रिब्यूशन होगा। न तो इधर के लोगों को पूरा पानी मिलेगा और न दूर के लोगों को मिलेगा इससे सब को परेशानी होगी। यदि हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन प्रोग्राम को बढ़ाया जाय तो ग्रीन बेल्ट कायम करिये। जितना पानी दे सकते हैं उतना दे दें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉडक्शन बढ़ाने के सम्बन्ध में और सिंचाई सुविधा देने के सम्बन्ध में ऐसा एरिया घोषित कर के वहां पर पूरी सुविधा उपलब्ध करें जिससे उन लोगों को सिंचाई के बारे में किसी प्रकार की परेशानी न हो और कमाण्ड एरिया घोषित न करने से जिस प्रकार लोगों को तकलीफ हो रही है वह तकलीफ रफा हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सिंचाई विभाग खारी का कमाण्ड एरिया घोषित कर दे तो सभी को सुविधा होगी। आज इस तरह की बात हो रही है कि आसीन्द के पास खारी बांध बना हुआ है, इससे ३० मील की दूरी पर लोगों को पानी दिया जाता है लेकिन उसके आसपास दो-तीन मील नीचे हैं उनकी जमीन को पानी नहीं दिया जाता है। जो २०-३० मील

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की दूरी पर हैं उनको समुचित तौर पर पानी नहीं पहुँच सकता है। इसलिये नजदीक के एरिया का ग्रीन बेल्ट कायम कर द तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा और प्रॉडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिये मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन बेल्ट कायम करके खारी का कमाण्ड एरिया घोषित किया जाय, इससे लोगों को फैसिलिटी मिल सकती है।

दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की जो घोषित नीति थी उसके अनुसार कार्य नहीं किया है। जहां तक राजस्थान कैनाल का प्रश्न है यह ऐसी नहर है जो हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि संसार में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला प्रॉजेक्ट है। राजस्थान सरकार को ही नहीं बल्कि भारत सरकार को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा धन का प्रावधान करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है। बीकानेर जिला और नागौर जिले में भी पानी का अभाव है। कहीं पर पानी अगर है तो वह खारा है और सैंकड़ों हाथ नीचे पानी मिलता है। इस पानी के अभाव के कारण प्रॉडक्शन प्रोग्राम नहीं बढ़ रहा है। यदि इस सारे एरिया में राजस्थान नहर पहुँच जाय तो करोड़ों मन अनाज पैदा किया जा सकता है और राजस्थान को ही नहीं सारे हिन्दुस्तान को फंड अप-कर सकते हैं। जैसा कि गोकुल-प्रसादजी ने कहा, राजस्थान सरकार ज्यादा जोर देकर भारत सरकार को निवेदन नहीं कर रही है। सारे सदन की ताकत की आवश्यकता हो तो सारा सदन समर्थन करने को तैयार है।

आप अपनी पूरी ताकत लगा कर भारत सरकार से इसको जल्दी से जल्दी, जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक इसको कम्प्लीट कराने में आप अपनी पूरी ताकत लगायें। जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है उनके तो कई प्रॉजेक्ट चलते हैं और कई प्रकार के प्रॉजेक्ट चलने से राजस्थान नहर पर उन्होंने ज्यादा तवज्जह नहीं दी। उन्हें चाहिए तो यह था कि राजस्थान कैनाल का प्रॉजेक्ट एक ऐसा बड़ा प्रॉजेक्ट है, उससे जो मरुधर प्रदेश है, जो डेजर्ट प्रदेश है, राजस्थान का, वह डेजर्ट हटेगा, उसके साथ-साथ बहुत ज्यादा प्रॉडक्शन हमारे यहां पर होगा और राजस्थान प्रान्त एक सरप्लस स्टेट बन जायेगा, जो दूसरे डेफिसिट स्टेट की फूड की प्रोब्लम को हल करने में सहायक होगा। इसलिए मेरा यह कटमोशन है कि राजस्थान नहर का जिस प्रकार हमने प्लान के द्वारा नियोजन किया था, उसकी समय में पूर्ति कर सकें। आज डिस्ट्रीब्यूटरी और मैन कैनाल को प्रोग्राम के मुताबिक हम पैसे के अभाव में नहीं चला पा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस पैसे के अभाव को दूर करके, राजस्थान सरकार अपने दूसरे खर्चों में कटौती करके इस कैनाल के काम को पूरा कराना चाहिए। इसके साथ ही मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक नोट पढ़ा था उसमें कहा गया था कि राजस्थान सरकार का इसके सम्बन्ध में तीन करोड़ का प्रॉवीजन करने का प्रोग्राम था, वह प्रॉवीजन राजस्थान सरकार नहीं कर सकी, इसलिए ही भारत सरकार छः करोड़ की या जितनी सहायता

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उसे देनी थी वह नहीं दे पाः। इसलिए इसमें कमजोरी हमको राजस्थान सरकार की भी नजर आ रही है। उसको चाहिए कि जितना प्रॉवीजन उसको करना चाहिए इस सम्बन्ध में उसको अपने दूसरे खर्चों में कटौती करके और दूसरे तरीकों से करना चाहिए और इस कैनाल को जल्द से जल्दी पूरा कराना चाहिए। इस तरह का प्रबन्ध हमारी सरकार का करना चाहिए और भारत सरकार के ऊपर भी जितना जल्दी हो सके दबाव डाले और इस कैनाल की पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन दोनों कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में, और खारी के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर कमाण्ड एरिया निर्धारित करने के सम्बन्ध मे विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध मे कटौती प्रस्ताव है गलवा बांध बनाने के फलस्वरूप उसके पानी से वहां भूमि खराब हो रही है, उसके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बांध का निर्माण हो गया है तो आज इसके वाटर के अन्दर इतने साल्ट्स हैं कि उसके फलस्वरूप, काश्तकार जो उस बांध के पानी को उपयोग में लाते है, उनकी जमीन बिल्कुल खराब हो जाती है और इससे जो फसल जितनी उत्पादित होनी चाहिए वह नही होती है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जिला कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय इस बांध पर चर्चा की गई। इस बांध का लक्ष्य २० हजार एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी देने का है और इसको बने हुए आज करीब-करीब, मैं समझता हूं, आठ वर्ष हो गये और इस वक्त तक सिंचाई विभाग द्वारा पूरी महनत करने के बाद छः हजार सात हजार के करीब ही भूमि सिंचित कर पाये हैं। उसकी चर्चा जब हुई उस समय यह जानकारी दी है कि इसके पानी के अन्दर अत्यधिक साल्ट्स मौजूद हैं उसके फलस्वरूप नीचे वाली जमीन पर जो भी पानी लेंगे तो उसके अन्दर खार आ जाता है और उनकी वजह से बिल्कुल पैदावार नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री का खास तौर से इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि या तो दुबारा से कैचमेंट एरिया का सर्वे या जांच करवाई जाय कि कौनसा वाटर, जो इसके अन्दर रन इन होकर आता है, वह कौनसे साल्ट को टच करके आता है। हो सकता है उसके अन्दर कुछ मात्रा में पानी स्वच्छ आता हो। उसके साथ-साथ दूसरा पानी जो साल्ट से टच करता है उसमें ट्रबल है, उसकी वजह से सारा पानी बेकार हो गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि इस बांध के पानी को लेने के लिए कोई काश्तकार तैयार नहीं है। मेरी खुद की अपनी निजी जो खेती है उसके फलस्वरूप मैं अर्ज कर सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वहां पधारे, उनको जब मैंने अर्ज किया तो उन्होंने कहा, आप इसके अन्दर अधिक फर्टीलाइजर मत दो, वह देने से और फसल खराब हो जायगी, जल जायगी। क्योंकि पानी के अन्दर आलरेडी फसल ज्यादा है तो फर्टीलाइजर और देंगे तो भूमि बेकार हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि जिस बांध पर आपने ६० हजार लगाया है और उस बांध का पानी है, उसका आधा भी

(श्री दिग्विजयसिंह)

उपयोग में नहीं लेते, उस बांध का पानी लोग इस वजह से नहीं लेते कि उसके अन्दर साल्ट इतना ज्यादा है कि उसका पानी ज्यादा लेने से भूमि खराब हो जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है, सिंचाई विभाग इस बांध की नहर को, जो एक छोटा दूसरा तालाब है, जिसका पानी बहुत अच्छा है जिस तालाब का पूरा का पूरा पानी उपयोग में आता है, उसके अन्दर नहर लाकर डालना चाहते हैं। बनेठा का बांध है, उसमें पानी है उससे काश्तकारों को लाभ है, उनके अन्दर साल्ट और एकल्लीज नहीं आता है। इसका जो रनिंग पानी है, उसका होल ट्रेक साफ है, उसकी स्थिति साफ है। यदि इस बांध का पानी उसके अन्दर डाल दिया गया तो जो मौजूदा पानी है वह भी बिगड़ जायगा। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो कुछ उस बांध से क्षति हो रही है लेकिन छोटे से तालाब में इसका नहर या दूसरे तरीके से पानी डालने की कोशिश की गई तो इस वक्त अच्छी सिंचाई जिस पानी से हो रही है, और जो पानी काश्तकार ले रहे हैं वह बेकार हो जायगा। इसलिए इसकी जानकारी करें और साल्ट और एल्कलीज की समस्या है उसकी ओर ध्यान दें।

दूसरा प्रस्ताव मेरा और है इसके सम्बन्ध में कि ग्राम राजकोट में कोई सिंचाई का साधन हो। ग्राम राजकोट तहसील देवली में है। मैं निवेदन करूं कि इसके अन्दर और इसके आस-पास कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। एक छोटा सा बांध था जिसका राज्य सरकार के द्वारा तीन वर्ष पूर्व सर्वे किया जा चुका है, सर्वे की रिपोर्ट आ गई, वह सर्वे हो हुआ कर मुकम्मिल पड़ा है लेकिन सरकार मालूम नहीं, क्यों इस मामले को नहीं ले रही है और कार्य को नहीं करा रही है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध के काम में जिला के अधिशासी अभियन्ता ने अड़चन डाली है कि उसके नीचे बांध है उसके अन्दर इसका कैचमेंट एरिया आता है। इसलिए यह नहीं किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह भ्रम क्यों है। इस बांध में इतना पानी मौजूद है कि नीचे जमीन को पानी पिलाने के बाद में भी सरप्लस पानी पड़ा हुआ है। राजकोट बांध को बनवा लेंगे और इसको तैयार करवा सकेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां के क्षेत्र वालों को मदद मिलेगी और साथ-साथ खेती को भी फायदा होगा। मैं अधिक न कह कर आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इन दोनों समस्याओं पर अवश्य ध्यान दें और कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केसरीसिंह !

श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा कटौती का प्रस्ताव पुराने छोटे बांधों की मरम्मत न कराने तथा छोटे बांधों के निर्माण कार्य को न करवा कर बड़े-बड़े बांधों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में कोटा से आये हुए माननीय सदस्य, श्री गोयल ने बड़े बांधों में जिस प्रकार के घोटाले किये गये हैं और जिस प्रकार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने उन बड़े-बड़े ठेकेदारों के द्वारा फायदा लिया है, वह सदन के सामने

(श्री केशरीसिंह हाडा)

उसका बहुत ही विवरणपूर्वक दिग्दर्शन कराया है। इसके अतिरिक्त मैं सदन से आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के कार्य जो ब्रोचेज, ब्रिजेज और कलवर्ट्स थे उनमें सरकारी कर्मचारी व इन्जीनियर्स आदि को भी अपनी आपाधापी करने का मौका मिल जाता था और बड़े कार्यों में बड़े घोटाले हुआ करते हैं और बड़े कार्यों के लिए बड़ी रकम भी चाहिए। उसको पूरा करने के लिए समय भी अधिक होना चाहिए। आज देश के पास इतना समय भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है कि इस माफिक बरबाद किया जाय। आज देश के सामने अन्न संकट छाया हुआ है और उसके निवारण के लिए मंत्री महोदय और दूसरे नेताओं ने भी इस पर प्रकाश डाला है। छोटे छोटे बांध जो जल्दी पूरे करवाये जा सकते हैं, जिनमें कम धनराशि खर्च हो जिनके अन्दर घोटाले कम हों—ऐसे कार्यों को सर्व-प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। इन बारे में मैं आपको बूंदी क्षेत्र के उन २१ बांधों का विवरण सदन के सामने रखना चाहूंगा कि जो बूंदी राज्य के पास बांध अधिक वृष्टि के कारण टूट गये हैं और जिनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। वह बांध है बूंदी तहसील के अन्दर बड़ क्षेत्र में, वह इलाका हमारे राजस्व मंत्री श्री व्रजसुन्दर के क्षेत्र में आता है। व्रजसुन्दर शर्मा राजस्व मंत्री हैं, और और विभागों में भी वह अपनी टांग रखते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के प्रति वह बहुत उदासीन हैं। जिस क्षेत्र का मैं वर्णन करता हूं वह बांध बूंदी में है और उस क्षेत्र में है जहां अधिक अनुसूचित जन-जाति के लोग रहते हैं। उसका लाभ और उसका उपभोग भील जाति ही करती आई है। लेकिन सरकार और उसके मदमस्त मंत्रीगण उसकी ओर कतई ध्यान नहीं देते हैं। जब वोट लेने होते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको झूठे आश्वासन दे आते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का काम नहीं करवा सकते। इसका कारण तो मैं बतला नहीं सकता, मगर स्थिति बड़ी दयनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र के चन्द बांधों का जिक्र करना चाहूंगा। अपना चुनाव क्षेत्र है उसका जिक्र करना चाहूंगा। गुढ़ा गोकुलपुरा बांध का कार्य मेरे प्रतिद्वन्दी श्री माथुर, भैरोंप्रकाश माथुर जो प्रमुख हैं, उन्होंने उसका पहले उद्घाटन श्री महेशनारायण, जो अभियन्ता थे उनके द्वारा कराया। जनता को भ्रम में रखा कि यह बांध बनने वाला है और इसके ठेके की मंजूरी भी दे दी गई है। मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, जनता को इस तरह से गुमराह किया जाये। आज जनता क्या चाहती है? वह चाहती है, उसको सिंचाई के साधन और सुविधायें मिले ताकि वह अधिकाधिक अन्न उपजाये। मगर उनको गुमराह करके इस माफिक अपना काम निकाल लें, अकाल राहत में काम करायें और अकाल ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके चुनाव क्षेत्र में था क्या यह बांध ?

श्री केसरीसिंह हाडा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें गुमराह कहां हुए ?

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : उसमें गुमराह हुए, वह हुए कहां ?

एक माननीय सदस्य : आप तो आ गये हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैं आ गया हूं, उनके बलबूते पर नहीं आया, जनता के बलबूते पर आ गया हूं। आप समय नष्ट न करिये। मुझे कहना है, वह कहने दीजिये और उसका मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे, गलत होगा तो वह गलत बता देंगे।

तो उस बांध का निर्माण चुनाव होने के बाद बन्द कर दिया गया ..

श्री मदनसिंह बांता : यह गुमराह करना है।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंने प्रश्न उठाया तो उसका टालमटोल उत्तर दे दिया गया। मंत्री महोदय ब्रजसुन्दरजी ने उस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने जाकर यह कहा कि तुमने गलत आदमी को चुना है। उन्होंने वहां जाकर कार्य बन्द करवा दिया है। अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं काम शुरू करवा सकता था। यह अकाल की बात है। मेरी जेब से पैसा खर्च होने वाला नहीं है। लाभ जनता को होने वाला है। मुझे नहीं। इसलिए बन्द करवाने का प्रश्न नहीं उठता है। मगर भोलीभाली जनता को गुमराह करके इस माफिक काम किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक बांधों के मेरे सामने प्रश्न हैं। काला भाटा बांध योजना जिसका सर्वे सरकार करा चुकी है और मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि उसका ग्राउन्ड सर्वे हो चुका है। मगर बांध बनाने का आज कोई विचार नहीं है। बांध के लिए कहेंगे, पैसा नहीं है। मंत्रि-मण्डल के विस्तार के लिए पैसा है मोटर और टेलीफोन के लिए पैसा है, मगर गरीब जनता को राहत देने के लिए पैसा नहीं है। इसी प्रकार एक बांध का उद्घाटन चुनाव के समय में देवा का खेड़े के पास कराया गया, उसका काम भी अधूरा छोड़ा, वह भी बन्द करवा दिया गया। उसके लिए मंत्री महोदय ने कहा, यह भी तुम्हारे सदस्य ने बन्द करवाया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बांधों का निर्माण बहुत जरूरी है। मगर उस क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध बन जाते हैं तो उससे दो फायदे होने वाले हैं—जो जमीन उन बांधों से सिंचित होगी वह तो होगी मगर आसपास जो कुए हैं उनमें भी जल अधिक रह सकेगा और ऊंचा रह सकेगा। उससे भी सिंचाई का लाभ उठा सकें तो दो फायदे एक ही बात में होते हैं इसलिए सर्वप्रथम इस पर ध्यान देकर सरकार को इन बांधों का निर्माण करना चाहिए। गुढ़ा बांध की योजना भी सरकार के सामने है कि गुढ़ा बांध ऊंचा किया जाए ताकि अधिक क्षेत्र को पानी दिया जा सके। मगर सरकार ने अब तक कोई विचार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उस गुढ़ा बांध से जो नहर निकलती हैं, उन नहरों से अधिक पानी सीपेज के जरिये से निकल जाता है उसके कारण खेतों में बरबादी होती है, फसल नष्ट हो जाती है। और जल का भी नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी उसकी लाइनिंग कराये, जिससे

(श्री केशरीसिंह हाडा)

पानी का वेस्टेज बच सके और जनता को पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक मेरा स्थगन प्रस्ताव, पानी के सम्बन्ध में था। पैच की बावड़ी के सम्बन्ध में। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि पानी दे दिया गया है। लेकिन हाल ही में पैच की बावड़ी पंचायत समिति में एक समस्या उत्पन्न हो गई और वहां के सरपंच का भेजा हुआ एक पत्र आया है कि वहां कुछ नहीं किया गया है। मैं बहुत जल्दी एक स्थगन प्रस्ताव पेश करूंगा और मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी नीति और वायदे को पूरा करे और इस कसौटी पर पूरी उतरे कि जो कुछ कहा गया उसका उसके जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वे पूरा करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा और बांध के सम्बन्ध में अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के आगे प्रस्तुत करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत :

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जिन शासनकर्त्ताओं के हाथ मे देश की बागडोर आयी तो उन्होंने बड़े-बड़े बांध बनाने के लिए और निर्माण करने के लिए जो योजना रखी उन योजनाओं के सम्बन्ध में देश की सारी जनता को बहुत भारी-भारी आशाएं थीं लेकिन जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता महोदय हर वक्त कहते हैं कि इस सरकार की कहनी और कथनी मे बहुत अन्तर है—इन सब बातों के अन्दर जो काम हुआ है, उसके अन्दर जो-जो घोटाले हुए हैं और जिस गति से इनका काम चला है उससे साबित होता है उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर यह सरकार जो पिछले २० वर्षों से इस सत्तारूढ़ दल के रूप में है, अपनी इन योजनाओं को, जिस रूप में इन्होंने पहले चमत्कार दिखा कर क्रियान्वित करने की घोषणा की थी उसी तरह से इनके इम्प्लीमेन्टेशन पर जाती तो आज यह समय नहीं आता कि हम अन्न की कमी को महसूस करते। मैं राणा प्रताप सागर बांध पर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध पर कई इन्जीनियर्स को एम्प्लॉय किया गया, उन्हें इस बांध के निर्माण के लिये जिम्मेदार इन्जीनियर्स की तरह से नियुक्त किया गया। उन नियुक्त किये हुए इन्जीनियर्स में से बहुतसे इन्जीनियर्स ऐसे थे जिनको, किस गति से काम किया जाना चाहिये, कैसे काम लेना चाहिये, कौनसी मशीन को कब यूज करना चाहिये, इस चीज का ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि प्राइवेट कम्पनियों के इन्जीनियरों से काम करवाना पड़ा, जैसा कि माननीय गोयलजी ने कहा इस तरह इन हमारे इन्जीनियर्स के अज्ञान के कारण उन कम्पनियों ने कितना ही नाजायज फायदा उठाया।

राजस्थान नहर के बारे में मैं निवेदन करूं कि वहां वर्क-चार्ज स्कीम डिपार्टमेन्ट में है. उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आदमी का नाम नहीं मिले, आदमी जिन्दा न हो, आदमी कहां काम करता है, इसका कोई पता नहीं। उनके नाम से अधिकारी पैसे उठाते हैं, और इस प्रकार जिस तरह वर्क-चार्ज में पैसा बर्बाद किया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। इन्जीनियर खाते हैं और ऊपर के अधिकारियों को खिलाते हैं और मन्त्रियों तक

(श्री विजयसिंह रावत)

इसकी भेंट जा पहुँचती है। इस तरह से वर्क-चार्ज में भयंकर घोटाले हुए हैं और काम पूरा नहीं हुआ। इसका एक ही कारण था, अगर एफिशियेन्ट इन्जीनियर्स जो पहले किसी प्रोजेक्ट में काम किये हुए हों, जो इन टैक्निक्स को समझते हों, उनको वहां काम पर लगाना चाहिये था। पर किया यह जाता है कि कोई मन्त्रियों का भतीजा है या भ्रष्ट अधिकारियों के भतीजे हैं, उनको इस काम के लिये भरती कर लिया, चाहे उनको अनुभव हो या नहीं हो और जो पद उनको दिया जाता है, उसको निभाने की योग्यता उनमें है या नहीं। यह आज हिन्दुस्तान में हो रहा है और राजस्थान में तो इतना हो रहा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं।

राणा प्रतापसागर बांध पर जो काम हुआ है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस बांध पर जिन मशीनों का उपयोग किया गया, जो मशीनें वहां पर लाई गई, उन मशीनों पर जो व्यय हुआ, उस व्यय को मद्‌देनजर रखते हुए, जिन मशीनों पर इतना रुपया लगा, उन मशीनों से कितना काम लिया गया, कितने समय तक काम लिया गया, इन मशीनों का उपयोग वहां कैसा सिद्ध हुआ, लौस को कैसे पूरा किया गया, इन सब बातों पर यदि टैक्निकल आदमी विचार करें तो पता चलेगा कि यह जो २७ करोड़ रुपया इस पर लगा है, इसमें छः, सात करोड़ रुपया घोटाले में गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बुलडोजर और रोलर तोड़ने वाली मशीनें हैं, उनको वहां यूज करने की बजाय आदमी के काम करने की जगह काम में लिया गया, जहां मैन पॉवर की आवश्यकता थी वहां बुलडोजर्स से काम लिया जाता है और जहां बुलडोजर्स की आवश्यकता है वहां मैन पॉवर से काम लिया जाता है। इस तरह से वहां धन का दुरुपयोग हुआ है, इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है। उस का ही यह परिणाम है कि आज विदेशों से हमारे यहां अन्न आ रहा है, गिफ्ट के रूप में, भीख के रूप में मिश्नरी के पास अन्न आ रहा है और उसको आज राजस्थान को जनता खा रही है। इसके लिये गुनहगार राजस्थान सरकार है।

जिस डिपार्टमेन्ट के प्रान्त की तरक्की और बहबूदी से सम्बन्ध हो जिस काम का देश की नीति पर असर पड़ता हो, मैं चाहता हूं कि भविष्य में सरकार ऐसे विभागों में एफिशियेन्ट इन्जीनियर्स को लगावें, जिनको प्रेक्टिकल अनुभव हो, उनको एम्प्लॉय करें। केवल डिग्री प्राप्त कर लेने से अनुभवी नहीं कहा जा सकता। इस बांध के निर्माण के लिये एफिशियेन्ट और प्रेक्टिकल अनुभव वाले इन्जीनियरों को लगाना चाहिये था, उस आधार पर इन्जीनियरों की व्यवस्था नहीं कर के सरकार ने कुव्यवस्था की है। ऐसे लोगों को यहां लगाया गया जिनको कोई प्रेक्टिकल अनुभव नहीं। ऐसे लोगों ने मन्त्रियों को गलत तरीके से गाइड किया, प्राइवेट कम्पनियों के इन्जीनियर्स ने जो सुझाव दिये, उन्हीं को सरकार ने माना और इस तरह से करोड़ों का घाटा हुआ। जैसा कि गोयल साहब ने कहा ४ करोड़ के काम पर एक करोड़ का घोटाला है। अगर राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति वफादार होती और यह सोचती कि कम से कम व्यय बांध पर हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो जो क्लेम्स प्राइवेट कम्पनियों ने किये उनको अच्छी तरह से एग्जामिन करवाती। राजस्थान में यदि अच्छे

(श्री विजयसिंह रावत)

टेक्निकल हैंड्स नहीं हैं तो दूसरे प्रान्तों के एक्सपर्ट्स बुलाते, अच्छे टेक्निकल हैंड्स बुलवाते और इसको पूरी तरह से एग्जामिन करवाते कि जो क्लेम्स उन्होंने किये हैं वे सही हैं या नहीं, कितना कन्स्ट्रक्शन हुआ है, उनके अनुपात का क्या नतीजा है, वास्तव में जो ठेका दिया था उसही के अनुसार काम किया गया है या नहीं, एग्रीमेन्ट के बावजूद भी जो क्लेम किये है, वे सही हैं या नहीं ? यह सब एग्जामिन करवाना चाहिये था। यह जुदा बात है कि लॉ डिपार्टमेन्ट से सैंक्शन नहीं करवायें, एप्रूव नहीं करवायें। इसका एक ही कारण है कि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, कांग्रेस का सेशन होता है तो उसके लिये इन लोगों से काम लिया जाता है, मन्त्रियों के यहां काम लिया जाता है, मैं सब मन्त्रियों के लिये नहीं कहता पर उन मन्त्रियों के बंगलों को बनवाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो मन्त्री भविष्य के लिये अपनी कई योजनाओं को क्रियान्वित करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसके लिये ऐसे आदमियों से काम लिया जाता है, जो गवर्नमेन्ट को ट्रबल में इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपको गलत सलाह देते हैं कि यदि कम्पनीज वाले हाईकोर्ट में चैलेन्ज करेंगे तो गवर्नमेन्ट को ढीला पड़ना पड़ेगा, गवर्नमेन्ट हार जायगी, इसलिये जो कुछ ये कह रहे हैं वह सही है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि सिंचाई विभाग, पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ये ऐसे विभाग हैं कि इनमें किसी अधिकारी की इन्टेग्रिटी पर थोड़ा भी शक हो, जिनको प्रेक्टिकल अनुभव नहीं हो, ऐसों को आप विभाग मे भर लो तो, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी भ्रष्टाचार करेंगे और काम में देरी करेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो कुछ पीछे हुआ सो तो हो गया, "बीती ताही बिसारिये, आगे की सुधि लेय" अब आगे के लिये ऐसे डिपार्टमेन्ट्स जिन पर हमारे राजस्थान की खुशहाली निर्भर करती है, उन्नति निर्भर करती है, जिनका देश की नीति पर असर पड़ता है, कम से कम ऐसे विभागों में तो अधिकारियों को, इन्जीनियरों को सोच-समझ कर रखें और उनकी इन्टेग्रिटी पर एफिशियेन्सी पर जरा भी संशय होता है तो ऐसे आदमियों को सेवा में न रखें। गवर्नमेन्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में चमत्कार करने के लिये इस प्रकार की योजना जरूर निर्धारित करें, जिससे कि आपको यहां हमेशा एलीगेशन्स सुनने पड़ते हैं कि प्राइवेट कम्पनियों ने घोटाला किया, अधिकारियों ने घोटाला किया काम ठीक तरह से नहीं हुआ, यह आपको नहीं सुनना पड़ेगा। आप ठीक आदमी ऐसे विभागों में नहीं रखते हैं जिससे राजस्थान की डेढ़ करोड़ गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है और उस घाटे को आप ओवर ड्राफ्ट करके पूरा करते रहते हैं। इस तरह से एक न एक दिन आप तो डूबेंगे ही पर आप डूबने के साथ-साथ राजस्थान की जनता को तो मत डुबोओ, आप ही डूबो, अपने पिछले गुनाहों से बच सकते हो तो अच्छा है।

इसी के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं उससे पहले निवेदन करना चाहती हूं कि अब ८-६ मिनिट ही

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

बाकी हैं, वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी पर मुझे अपनी बात रखने के लिये या तो आज समय दिया जाय १०-१५ मिनिट का या फिर कल समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी समय का बन्धन नहीं है, इसलिये समय बढ़ाया जायगा, जब तक कि आपका भाषण समाप्त नहीं हो।

श्री केशरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, उनसे पहले मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। मेरा नाम ११ नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत का है।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैं दो-तीन बोलकर..

श्री विजयसिंह रावत : अब इनका ही नंबर है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री रावत से) : इस मांग पर जितने प्रस्ताव थे आपने प्रस्तुत कर दिये ?

श्री विजयसिंह रावत : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान केनाल हमारे राज्य का महान् ही नहीं महानतम योजनाओं में से है। जब राजस्थान केनाल की योजना बनी तो हमारे सामने एक समृद्ध सुखद राजस्थान का चित्र खींचा गया था। हमें आशा थी कि इस राजस्थान केनाल बनने से यह मरुस्थल नखलिस्तान में बदलेगा लेकिन गत तीन वर्षों से जिस तरह से इस कार्य की प्रगति चल रही है, जिस तरह से बार-बार इन स्किमों को छोटा किया जा रहा है, उसको देखते हुए बड़ा दुःख भी होता है और कई तरह की चिंताएं आज सारे के सारे राज्य में व्याप्त होती हैं। यदि इसी धीमी गति से केनाल का काम चलता है तो मुझे डर है यह २० साल में भी जाकर यह पूरा नहीं होगा। तो मैंने राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए कटौती प्रस्ताव उपस्थित किया है।

सुख और समृद्धि की तो यह नहर है ही लेकिन और भी अनेक दृष्टिकोणों से राजस्थान नहर का बहुत ही योगदान हमारे राज्य के बनने में रहेगा। जैसे कि सभी जानते हैं यह नहर उस भाग से होकर निकलती है जो सरहद है और सरहद भी वह जो पाकिस्तान के साथ है। इसलिए इस नहर का महत्त्व है, उपयोग और लाभ कई नजरों से बढ़ जाता है। आज के युग को जानने वाले जानते हैं कि जिस प्रकार पुराने जमाने में रक्षा के लिए किलाबंदी होती थी, आज की किलाबंदी के लिए और वह भी देश की किलाबंदी के लिए इस तरह की चीज की आवश्यकता होती है। अगर यह केनाल बोर्डर के साथ बनता है तो राज्य की सीमा की एक बहुत बड़ी किलाबंदी साबित होगी। हम देख चुके हैं कि आधुनिक युग में इस तरह की नहर का कितना महत्त्व होता है। इसकी नजीर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इच्छोगिल नहर इसी विचार से बनाई और उस नहर को पार करना हमारे लिए, हमारी सेनाओं के लिए कितना मुश्किल हो गया। हम जब अपनी केनाल को बनाते हैं तो उसी तरह से यह केनाल हमारे राज्य की सुरक्षा करेगी। मैं सदन और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हूं कि यह तो हमारा बड़ा केनाल है तो स्वतः ही राज्य की रक्षा करेगा लेकिन इस मामले में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राज्य है वह कितना सतर्क है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान इच्छोगिल नहर की सफलता से उत्साहित होकर जो उनके नाले जो जैसलमेर और बीकानेर बहकर आते थे, चाहे वे छोटे से छोटे हों, चाहे मामूली बरसात में वे नदियां हों लेकिन उनको बेरीयर्स में तब्दील करके उन नालों को चौड़ा कर दिया है और गहरा कर दिया है, महज इसलिए कि कभी भी मौका आये तो केनाल की तरफ से वे नाले उसको फायदा पहुँचाएं। तो इस तरह हमारा पड़ोसी राज्य छोटे-छोटे साधनों से इतनी बड़ी किलाबंदी में बदल रहा है तो जो हमारे पास इतनी नहर हैं जो योजना में आ चुकी है जो हर प्रकार से समृद्धि करेगी, उसको इतनी ढिलाई में क्यों डालें।

पाकिस्तान ने नालों को बंद करने के साथ-साथ, चौड़ा करने के साथ-साथ, जमीन में जगह-जगह अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स बनाई जिसे हम अपनी भाषा में टांके कहते हैं जो समय आने पर पानी सप्लाई कर सकते हैं तो हमें भी इसी नजर से सोचना है। अगर हमारी केनाल बन जाती है, सेना का मूवमेंट होता है तो राजस्थान नहर का पानी उनके लिए कितने काम की चीज होगी क्योंकि रेगिस्तान बिना पानी आगे नहीं चल सकते। इसके साथ-साथ अगर राजस्थान केनाल बनाई जाती है तो साथ-साथ सड़क अपने आप देनी पड़ेगी तो आवागमन के साधनों के लिए और दूसरी सवारियों के लिए वह बहुत आवश्यक है। चाहे टैंक्स जायें, चाहे दूसरी फौजी गाड़ियां जायें, सड़क का होना निहायत जरूरी है। आज सीमा पर हमने सड़कें बनाई हैं लेकिन अगर यह केनाल बनती है तो उसके साथ-साथ सड़क बनेगी नहीं तो अलग से खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अन्न का उत्पादन होगा उस पर आबादी बढ़ सकेगी तो उसके साथ कई तरह के फायदे मिलेंगे। पिछली लड़ाई के दिनों हम देख चुके हैं कि जहां पर पंजाब का इलाका पाकिस्तान के साथ मिलता था वहां इस तरह की नहरों से आबादी बढ़ती हुई थी उससे देश में आने वालों पर बहुत रोकथाम हुई। वहां के नागरीक एक सैनिक होकर अपना फर्ज निभाया। मुझे वे कहानियां याद है जब पेरासूट से पाकिस्तान के लोग उतरते थे लेकिन अगर हमारे लोग उनको यदि देख लेते थे तो पकड़ लेते थे। इसका मतलब अपने आप विजिलेन्स पैदा होता है। अगर हमारे यहां खेत बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है तो सीमा की सुरक्षा होगी। आज कई मीलों के लंबे चौड़े इलाके में न आबादी है न इन्सान है। अगर वहां सैंकड़ों आदमी भी चले जायं तो पता नहीं चल सकता कि कौन गया कहां गया ?

श्री विजयसिंह रावत : आबादी कैसे बढ़ेगी ? परिवार नियोजन चालू है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : विजयसिंहजी बहुत उधम मचाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : महत्वपूर्ण बात हो रही है....

श्री विजयसिंह रावत : मैंने कहा परिवार नियोजन चल रहा है।

श्री मदनसिंह : आपका मतलब था कि लोग जायेंगे तो बसेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रही थी कि इसके साथ अनेक समस्याओं का समाधान हो जायगा। इस केनाल के निकलने से अपने आप पानी मुहैया हो जायगा। अपने चरागाहों को कायम कर सकते हैं, हरियाली होगी तो रेनफाल बढ़ेगा इसके साथ-साथ जब अनाज होगा तो इंडस्ट्रीज होंगे, उद्योग कायम हो जाते हैं तो मजदूरों की आबादी होगी, वह भी हमारे लिए विजिलेन्स का काम करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करूंगी, आप बार-बार घड़ी को देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। सदन की अनुमति से बैठक का समय १० मिनिट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो इस प्रश्न को दो नजरों से देखना है एक सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा इकोनोमी की। पहले तय किया गया था कि इसमें नेवीगेशन होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नेवीगेशन को हटाकर इसको एक छोटी स्कीम बनाया जा रहा है। लेकिन हमें केंद्र को राजी करके नेवीगेशन के लिए मनाना चाहिए। इससे मजदूरी सस्ती हो जायगी, जो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा होता है वह कम आएगा। बैल ३० मन वजन उठाता है और नौका में ७० मन वजन जायेगा और बैल सड़क से खींचते हुए ले जायेंगे इसका मतलब तीन गुना वजन ज्यादा उठाया जा सकेगा। इससे खर्चे में बचत होगी जो-जो देश उन्नत हुए हैं वे नेवीगेशन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं।

(५ म. प.)

अगर यह दिन आया तो राजस्थान के लिये सौभाग्य का दिन होगा बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो जोर देकर इरीगेशन मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगी कि आप सरकार को राजी करें, राजी ही नहीं मजबूत करें कि इस केनाल को आगे कच्छ के क्षेत्र से ले जाते हुये कांडला बन्दरगाह से मिलावें जिससे आवागमन के साधनों में और ट्रेड में हमें सुविधा मिले। मैं कहती हूं कि इससे राज्य की समृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुतसे लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि हमारे पास केनाल में इतना पानी है। अगर हम कांडला तक नहर ले जाते है। तो उन क्षेत्रों में सिचाई कैसे होगी। आज साइन्स का युग है। आज जिस ढंग से हमारे यहां सिचाई होती है, उसमें पानी बहुत बेकार जाता है। उस बेकार जाने वाले पानी को रोका जाय। इजरायल ने जो सिस्टम रखा है उसी का अनुसरण करना चाहिये। जो हमारे पास मौजूदा पानी है उससे ही और जो पोंग डेम से पानी मिलने वाला है उससे हम कच्छ और कांडला की वीरान भूमि को भी सिचाई कर सकते हैं। अगर कच्छ के इलाके में हमारी यह नहर गिरती है तो वहां की जो समस्या, जो राजस्थान से भी जटिल बनी हुई है उसका समाधान कर सकते हैं। एक नहीं अनेक दृष्टि से राजस्थान केनाल का बनाना हमारे देश के हित में है। यह राजस्थान की नहर हिन्दुस्तान के करोड़ों-करोड़ों लोगों की समृद्धि लाने वाली है। हमारे देश की सीमा सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने वाली है। इस काम में ढील का होना, पूरी ताकत का न लगाना हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

(लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगी, इसके लिये उनको अपनी निजी शक्ति लगानी पड़े वे लगायें, जिस किसी क्षेत्र की जरूरत हो उसको लें, चाहे सदन की शक्ति की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करें किन्तु इस काम को शीघ्रता से करें। No stone should be left unturned.

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये जो केन्द्र ने रकम रखी है वह २५ करोड़ है। वित्त मंत्रीजी ने इस योजना को भी इसमें ले रखा है। २५ करोड़ में से हमें कितना हिस्सा मिलेगा क्या राज्य मंत्रीजी हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि इसे प्राप्त करने को क्या-क्या कार्य किये गये हैं, क्या-क्या कर रहे हैं और आगे के लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं? यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हमारे राज्य की समृद्धि और सुरक्षा दोनों आगे बढ़ेगी जब हम राजस्थान केनाल को आगे ले जायेंगे। वह उस भू-भाग से गुजरेगी जो प्यासा है। और राज्य का विशाल भू-भाग है। उस भू-भाग का नया जन्म होगा वह भू-भाग स्वर्ग में बदल जायगा। सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य की ही नहीं, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की सबसे पहली यह कामना होनी चाहिये कामना नहीं प्रयत्न होना चाहिये कि राजस्थान केनाल का काम बन्द न हो, वह बराबर बढ़ता ही रहे। ज्यों-ज्यों उसमे देर होती जा रही है त्यों-त्यों दिमाग में न जाने कौन-कौनसे प्रश्न पैदा हो रहे हैं। कई तरह के शक शुबह पैदा कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी सारी बात को सदन में साफ करें। इसके प्रयत्न बराबर जारी रखने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११-०० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५-०५ मिनिट पर बृहस्पतिवार, दिनांक ७-३-६८ के प्रातः ११-०० बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट-१

(तारांकित प्रश्न संख्या ४७२ की सूची)

क. सं.	नाम सड़क	
१.	सुकेत-भासलपुरा मंडी वाया गागरान रोड़	काजवे १
२.	अन्ता-सांगोद रोड़	काजवे खैरजा ५
३.	मंडी मार्ग धोली से धोली ग्राम	काजवे १
४.	धोलो ग्राम से गरताना ग्राम	काजवे १
५.	कार्ट ट्रेक अत्रान अलिथाखेड़ी तथा खारा गांव	काजवे खैरजा २
६.	कोटा-सांगोद रोड़	खैरजा १
७.	मांगरोली-सीसवाली रोड़	खैरजा १
८.	अन्ता-मांगरोल रोड़	कलवर्ट तथा खैरजा ३
९.	कलवाड़ा-रेलवाना रोड़	रोड डेम १
१०.	गऊघाट-खानपुरा रोड़	कलवर्ट तथा रोड़ डेम ७
११.	गऊघाट बपावर रोड़	कलवर्ट तथा रोड़ डेम ८
१२.	बारा-नाहरगढ़ रोड़	काजवे तथा रोड़ डेम ११
१३.	मनोहरथाना से छीपाबड़ोद वाया हरनासिया	काजवे रोड़ डेम १६

कोटा स्टेट के समय को फेयर वेदर रोड्स जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है :—

१. घाटोली-चूरलीया
२. बकानी, भालदा, आसलपुर
३. तारज, माउ, बोरदा
४. हरनावदा-मनोहरथाना
५. मांगरोल, रामगढ़, रानी बरोद
६. दीपारी, शीशवाली, मांगरोल
७. मांगरौल से सूरयांग
८. शीश वाली से बारां
९. ब्यावर-खूगार रोड़
१०. अटरू स्टेशन से सालपुरा रोड़
११. अटरू, पीपल्दा, डीगरी घाटा रोड़
१२. रामगढ़, मूताजी रोड़
१३. रामगढ़-कलपाथा रोड़
१४. कदम की तलाई रोड़
१५. मान्दौरा रोड़
१६. माला तलाई रोड़
१७. वनस्थली विकास रोड़
१८. रैलवान-सीताबारी रोड़
१९. ब्यावर-चौकी कुजर रोड़
२०. आवा-धौली रोड़
२१. सांगोद, जोलया मूमर रोड़
२२. सुमेर, कुंवरपुरा रोड़
२३. बरोद से शेरगढ़ रोड़
२४. छीपाबड़ोद से हरनावदा रोड़
२५. हरनावदा-मनोहरथाना

परिशिष्ट-२

(तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ की सूची)

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	नाम फर्म	वस्तु का नाम	संख्या	कीमत
१	२	३	४	५
१.	मे० टॉक स्टुडियोज, जयपुर	जेनेरेटर	७	२२, १५.००
२.	,, ,,	प्रोजेक्टर साथ के सामान सहित	७	१८,०३८.००
३.	,, ,,	एपीडिएस्कोप	२	५,८८५.००
४.	मे० जनरल ग्रामोफोन कं०, जयपुर	रेकार्ड प्लेयर	५	६१८.५०
५.	मे० ओरियेन्टल रेडियोज, जयपुर	रेडियोज	४	२,८३०.००
६.	मे० ओरियेन्टल रेडियोज, जयपुर	माइक्रोफोन्स	१०	१,५८४.००
			कुल रु०...	७१,६७०.५०

परिशिष्ट 'ख'

Copy of the letter No. 18,5830, Jaipur dated the 29-12-65, from the Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur to M/s Tak Studio, S. M. S. Highway, Jaipur.

Sub:—Purchase order.

Please arrange to supply the following equipments at rates, terms and conditions offered by you vide your No. 2228 dated 11-10-1965.

(a) 7 Pieces of paramount Generators 1.5 @ Rs. 2,950 each.

(b) 2 Pieces of oswa screen master epidiascope 1,000 watts @ Rs. 2,675, each.

Supplies should please be arranged immediately on receipt of this order.

Copy of the letter No 185800 dated 29-12-65 from the Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur to M/s S. oriental Radios, 67, Bapu Bazar, Jaipur,

Sub:—Purchase order—Microphones.

Please arrange to supply ten pieces of Philips moving Coil Microphones with switch impedances 50 and 25,000 ohms at Rs. 160, less 10% that is Rs. 144, each as offered by your principal M/s Philips India Ltd., New Delhi vide letter No. BLA/30/55/327 (B) dated 30-11-65 copy endorsed to your address.

Supplies should please be made immediately on receipt of this order.

Copy of the letter No. 8877C, dated 29-12-65 from the Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur to M/s Oriental Radios, 67, Bapur Bazar, Jaipur.

Sub:—Purchase order Radios.

Please arrange to supply four pieces of Philips Radios 537 Majovat Rs 645.00 each as offered by your principals M/s Philips India Ltd., New Delhi vide their telegram dated 14-12-65 supplies should Please be arranged immediately on receipt of this order.

परिशिष्ट–३

(तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ की सूची)

Details of Non-Recurring Grants Received by Mahila Shiksha Sadan, Hatundi (Ajmer) from Central Govt. from 1949-50 to date.

1949-50	39961.03	Recurring Non-Recurring.
1950-51	8475.00	Non-Recurring for building.
1951-52	5000.00	Non-Recurring for building.
1952-53	11800.00	Non-Recurring for building.
1953-54	9000.00	Non-Recurring for Bus.
1954-55	3000.00	Non-Recurring for Bus.
1955-56	14654.00	For Building, Furniture and Library Books.
1956-57	25000.00	For Building.
	36300.00	For Building.
	9900.00	Equipment and Furniture.
1959-60	20000.00	Loan for Hostel.
1960-61	90000.00	Loan for Hostel.
	5000.00	For Equipment.
1965-66	100000.00	For Development of the Institution.

परिशिष्ट (४)

(समयाभाव के कारण समय में न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सालपुरा-अकलेरा सड़क तथा पुल एवं पुलिया की मरम्मत

४८४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद तहसील, जिला कोटा मे आवागमन के लिए सालपुरा से अकलेरा तक पक्की सड़क है ?

(२) इस सड़क पर कितना डामर हो चुका है ? और अब कितना हिस्सा बाकी बचा है जहां पर डामर करना शेष है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क की मवासा ग्राम के समीप की पुल टूट चुकी है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? व इसी सड़क पर सोलवां मील छीपाबड़ोद से इकलेरा के रास्ते पर जो पुलिया है, उसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां

(२) १० मील में डामर हुआ है बाकी २० मील में डामर नहीं है।

(३) यह एक मोकेदार रपट है जिसके नीचे की एक दिवार टूट गई थी जिसकी मरम्मत करा दी गई है। आवागमन चालू है परवन नदी पर पुल निर्माण की अभी कोई मंजूरी योजना में नहीं है।

भीलवाड़ा—बिजोलिया बिजली की लाइन

४८५. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा से बिजोलिया तक बिजली की लाइन खीचे कितने वर्ष हुए हैं और इस लाइन पर कुल खर्च कितना हुआ है ?

(२) कहां कहां कुओं को तथा उद्योगों को बिजली दी गई है ?

(३) जितनी रकम भीलवाड़ा से बिजोलिया तक लाइन खीचने में खर्च हुई उसका वार्षिक ब्याज क्या होता है और रिटर्न क्या मिल रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि बिजोलिया को बिजली दी गई है ?

(५) यदि बिजोलिया को दे दी गई है तो फिर मांडलगढ, बीगोद, लाडपुरा और जिन-जिन गांवों में होकर लाइन गई है वहां बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(६) केवल बिजोलिया को ही बिजली दिये जाने के क्या कारण है ?

(७) जहां-जहां और जिन-जिन गांवों में बिजली की लाइन गई है वहां बिजली कब दी जायेगी ?

उत्तर

(१) लाइन सन् १६६६-६७ में बिछाई गई। रु० ११,६१,८६३,८६।

(२) अभी कोई नहीं।

(३) ६३६०४.५० रु. अभी बड़े पैमाने पर कनेक्शन न दिए जाने के कारण रिटर्न नहीं मिल रहा है।

(४) जी हां।

(५) सर्वे किया जा रहा है।

(६) गत वर्ष बिजली की भारी कमी थी। इसलिए नए कनेक्शन देने बंद कर दिए थे।

(७) आगामी योजना बनाते समय इन ग्रामों का भी विचार किया जायेगा।

घरों में नल दिये जाने संबंधी नियम

४८६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उपभोक्ताओं के घरों में नल दिये जाने संबंधी क्या नियम हैं ? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) घरों के लिये नलों के पैसे जमा करा देने के कितने दिनों के पश्चात् नल साधारणतया दे दिया जाना चाहिये ?

(३) क्या यह सही है कि जोधपुर के जालोरियों के बास के बहुत से निवासियों ने १६६२ में पैसे जमा करा दिये परन्तु उनको नल अब तक नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनके द्वारा जमा कराई गई रकम का ब्याज देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) उपभोक्ताओं के घरों में नल दिए जाने सम्बन्धी नियम जो राजस्थान राज-पत्र नं० एफ० ४ (६७) एम० पी० एच० ६४ दिनांक १-७-६७ में प्रकाशित हो चुके हैं, की प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई हैं।

(२) नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूरी होने पर १० से १५ दिन की अवधि में साधारणतया कनेक्शन कर दिया जाता है।

(३) जी हां, इन उप-भोक्ताओं ने दरख्वास्त दी थी किन्तु पैसे पांच ही ने जमा कराये थे। इस क्षेत्र में सार्वजनिक मैन पाइप लाइन नहीं थी। विभाग को नियमों के अनुसार प्रत्येक ३० फुट नई लाइन डालने के लिए एक उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन के पैसे जमा कराना अनिवार्य है। चूंकि ३०० फुट लाइन डालनी थी अतः कम से कम दस उपभोक्ताओं से पैसे प्राप्त होना आवश्यक था। किन्तु उनमें से केवल ५ ही ने जमा कराये अतः लाइन कनेक्शन नहीं दिया जा सका। अतः रकम का ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इन बाकी व्यक्तियों ने भी पैसे जमा करा दिए और पाइप लाइन इस वित्तीय वर्ष में डाल दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

चोमूं—मोरीजा सड़क निर्माण कार्य

४८७. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर जिले के चौमूं से मोरीजा तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ है ?

(२) यदि हां, तो कब से ?

(३) सड़क का कार्य कब पूरा हो जावेगा ?

(४) सड़क का कार्य कब हाथ में लिया गया ?

(५) सड़क के टेण्डर कब मांगे गये ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(४) वर्ष ६६-६७ में।

(५) यह कार्य विभागीय तौर पर कराया गया है।

सिंधी भाषी स्कूल

४८८. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जनसंख्या के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलें खोली जाती हैं ? यदि हां, तो राजस्थान में सिंधी भाषी कितनी स्कूलें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में अलग सिंधी भाषी पाठशालाएं खोलने के प्रार्थना-पत्र आए हैं ? यदि हां, तो स्कूल कब तक खुलेंगे ?

(३) शिक्षा विभाग द्वारा अल्प-संख्यक भाषा भाषियों को अब तक क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ? क्या इस संबंध में कोई परिपत्र आदि जारी किये गये हैं ? यदि हां तो उन्हें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) पाठशालायें आवश्यकता एवं धन की उपलब्धि के आधार पर खोली जाती हैं। सिन्धी भाषी के लिये अलग से स्कूलें नहीं खोली गईं।

(२) अलग अलग भाषाओं के लिये अलग अलग स्कूलें नहीं खोली जा सकती।

(३) अल्प भाषा के विद्यार्थियों के लिये सरकारी स्कूलों में ही यदि एक कक्षा में १० या स्कूल मे ४० विद्यार्थी स्कूलों में हों तो उनकी मातृ भाषा से शिक्षा देने का प्रावधान है। इसी प्रकार कक्षा ६ से ११ वीं तक एक कक्षा में ५ व पूरे स्कूल में १० विद्यार्थी हों तो उनको उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। इन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री को बिजली

४८९. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री को बिजली सप्लाई के लिए कोई फैसला किया गया है ?

Page No.136

(२) यदि हां, तो इस फैक्ट्री को कितनी बिजली प्रति दिन दी जाने का निश्चय किया गया है ?

(३) इस फैक्ट्री को किस रेट पर बिजली दी गई है ? यह फैसला कितने साल के लिए किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) दिन में २,५०० के० डब्ल्यू० बिजली और रात में (१० पी० एम० से ६ ए० एम० ३५०० के डब्ल्यू०।

(३) बिजली की रेट सदन की मेज पर रख दी गई है अनुबन्ध के अनुसार इस फैक्ट्री को बिजली पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि के के लिये दी गई है।

Item No. 3 (Rates of Electricity) O. No. 20

First 600 KVA—Rs. 6.50 per month per KVA of billing demand.

Next 1200 KVA—Rs. 6.00 per month per KVA of billing demand.

Over 1800—KVA Rs. 5.00 per month per KVA of billing demand.

PLUS

First 50,000 Kwh per month—5.98 P. per Kwh.

Next 1,50,000 Kwh per month—5.82 P. per Kwh.

Next 3,00,000 Kwh per month—5.51 P. per Kwh.

Over 5,00,000 Kwh per month—5.20 P. per Kwh.

नगरपालिका मकराना का क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में कार्यवाही

४६०. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका मकराना का एरिया बढ़ाने संबंधी कार्यवाही राज्य सरकार के पास चल रही है ?

उत्तर

जी नहीं।

ब्यावर के पास सीमेन्ट फैक्टरी

४६१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ब्यावर के पास निजी क्षेत्र में कोई सीमेंट फैक्टरी लगाई जा रही है ? यदि हां, तो इस फैक्टरी को लगाने का लाइसेंस किस पार्टी को दिया गया है ? इस फैक्टरी की क्षमता क्या होगी ? इसमें कितनी पूंजी का नियोजन किया जायेगा और कितने मजदूरों को रोजगार मिल पायेगा ?

(२) इस फैक्टरी को लगाने की शर्तें क्या-क्या तय की गई हैं ? सरकार की ओर से इस फैक्टरी के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का वायदा किया गया है और लाइसेंस-होल्डर ने क्या-क्या अन्डरटेकिंग दी हैं ? कृपया लाइसेंस देते समय तय की गई शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि इस फैक्टरी में राज्य सरकार ने भी अपनी कुछ पूंजी नियोजन करने का वचन दिया है ? यदि हां, तो किस रूप में (शेयर, कर्जा आदि) और कितनी पूंजी नियोजित करने का वायदा किया गया है ?

(४) क्या इस फैक्टरी के लिए लाइसेंस-होल्डर की ओर से भूमि की मांग की गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि की मांग की गई है और किस-किस काम के वास्ते ?

(५) क्या सरकार ने इस बात के औचित्य की जांच कराई है कि इस कार्य के लिए अलग-अलग कामों जैसे फैक्टरी, लेबर कॉलोनी आदि के लिए न्यूनतम कितनी-कितनी जमीन की दरकार है ?

(६) क्या यह सही है कि ब्यावर तहसील में पालरियावास ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुछ गांवो में इस फैक्टरी के लिए जमीन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कुल कितनी जमीन के लिए है ? इसमें से कितनी सरकारी जमीन है और कितनी किसानों की निजी काश्त की जमीन है और वह किस-किस किसान की है ? कितनी चालू काश्त की है और कितनी पड़त, कितनी चाही है और कितनी बारांनी ? इनमें से कौन-कौन खसरा नम्बर में कुएं है ? कृपया पूरा विवरण मय नक्शा प्रस्तावित जमीन सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(७) क्या यह सही है कि इस प्रस्तावित जमीन मे किसानों की निजी जमीन विशेषतः चाही जमीन के लिए जाने के विरुद्ध सम्बन्धित ग्रामवासियों ने एतराज किये हैं ? क्या यह भी सही है कि फैक्टरी उस इलाके में लगाये जाने का किसानों ने स्वागत किया है ?

(८) क्या यह सही है कि प्रस्तावित जमीन के पास सरकारी पड़त जमीन काफी मात्रा में पड़ी हुई है और किसानों का सुझाव है कि फैक्टरी लगाने के लिए उस पड़त जमीन को काम में लिया जाय ?

(९) क्या यह सही है कि अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी, अजमेर जिला कम्युनिस्ट पार्टी एवं अजमेर जिला किसान सभा ने इस फैक्टरी का इस क्षेत्र में लगाने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है परन्तु सरकारी पड़त जमीन उचित स्थान पर काफी मात्रा में उपलब्ध होते हुए किसानों की जमीन अवाप्त किये जाने का विरोध किया है और इस सम्बन्ध में इन सभी संस्थाओं ने अपने प्रस्ताव अथवा प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजे है ?

(१०) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के संसद सदस्य एव विधान सभा सदस्य ने भी किसानों के एतराज का समर्थन किया हैं ?

(११) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया है और नहीं तो इस सम्बन्ध मे निर्णय कब तक लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा। सीमेन्ट फैक्टरी लगाने के लिए लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इस फैक्टरी की पूंजी नियोजन तथा कितने मजदूरों को रोजगार मिलेगा इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पार्टी ने फैक्टरी शुरू की क्षमता ४ लाख टन प्रतिवर्ष बताई है जो भविष्य में १० लाख टन तक होगी।

(२) लीज स्वीकार करने में यह शर्त रख दी जायगी कि पार्टी तीन वर्ष में सीमेन्ट फैक्टरी लगा देवें। सुविधायें देने हेतु कोई वायदा नहीं किया गया है। सीमेन्ट उद्योग लगाने के लिये लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः शर्तों की प्रतिलिपि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। कुल १४३५ एकड़ भूमि की मांग की गई है। ८२० एकड़ फैक्टरी के लिए, ४१० एकड़ लेबर कॉलोनी के लिये, २०५ एकड़ हवाई पट्टी हेतु।

(५) राज्य सरकार द्वारा ५५०एकड़ भूमि पार्टी को फैक्टरी, कॉलोनी आदि के लिये आवंटन करने का इरादा है। यह राज्य में दूसरी सीमेन्ट फैक्टरियां जो लग रही हैं या लगी हैं उनको जो जमीन दी है उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है।

(६) जी हां। चाही सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। किस-किस किसान की जमीन है यह सूचना मौजूदा में उपलब्ध नहीं है।

(७) जी हां।

(८) जी हां।

(९) उनके पत्र प्राप्त हुए है।

(१०) राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(११) पार्टी को राजकीय भूमि ३९३.०४ एकड़ का कब्जा दिया गया है। शेष के लिए प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

गंगापुर सिटी में चिकित्सा की व्यवस्था

४९२. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर सिटी के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को वजीरपुर कब तक भेज दिया जावेगा और गंगापुर में रेफल हॉस्पिटल कब तक खुलने की संभावना है ?

(२) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी एक अरबन क्षेत्र होते हुए भी जयपुर स्टेट के समय की डिस्पेन्सरी और मेटरनिटी सेंटर को बन्द कर दिया गया है और प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोल दिया गया जिससे क्षेत्र की जनता भारी परेशान है और बार-बार प्रार्थना करने पर भी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है ? अब कब तक व्यवस्था करदी जायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सन् १९५९ से चल रहा है अतः इसे वजीरपुर में स्थानान्तर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। धनराशि के उपलब्ध होते ही गंगापुर में रैफल हॉस्पिटल खोलने पर विचार हो सकेगा।

(२) जी नहीं। गंगापुर डिस्पेन्सरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कर दिया गया है। जयपुर स्टेट के समय गंगापुर डिस्पेन्सरी में चार रोग शय्या की व्यवस्था थी परन्तु अब इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में १२ रोग शय्याओं की व्यवस्था है जिससे इस क्षेत्र की जनता को अधिक चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेटरनिटी रोगी शय्याओं का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

Page No.139

राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के मिलने में देरी

४६३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष राज्य में कॉलेजों, स्कूलों आदि की कौन-कौनसी कक्षाओं की पुस्तकें कॉलेज व स्कूलें खुलने के कितने समय बाद में मिली और देर से मिलने के क्या कारण थे ?

(२) क्या अब भी किसी कक्षा की किसी विषय की किताबें नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

कॉलेजों में पुस्तकें समय पर नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। संलग्न सूची में वर्णित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सभी राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा गत वर्ष निर्धारित थी सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध थी। उपरोक्त पुस्तकें उनके सामने अंकित दिनांकों में उपलब्ध हुई हैं, जिनके कारण निम्न थे :—

(१) स्वीडन से प्राप्त होने वाले कागजों के विलम्ब से ये पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकीं।

(२) पाण्डुलिपियों में बार बार परिवर्तन।

(३) मुद्रण में शिथिलता।

(२) इस समय सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

नगर सुधार न्यासों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व

४९४. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

जयपुर रेन्ज में हुई परीक्षा

४९५. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सच है कि जयपुर रेन्ज में सन् १९६६ के सक्यूलर नं० २, तारीख ८-७-६६ के तहत परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो इस परीक्षा में कितने-कितने व्यक्ति किस-किस जिले से उपस्थित हुए और परीक्षा में बैठे ? उनमें से कितने व्यक्ति किस-किस जिले के पास हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति राज्य सेवा में थे व कितने नये थे ? और उनमें से कितने लिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) नये व पुराने व्यक्तियों को लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था क्या है ?

उत्तर

(१) जी हां, नियमानुसार अजमेर रेन्ज के आठ जिलों से निम्नलिखित मुख्य आरक्षक, सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा में बैठे तथा पास हुए हैं:—

नाम जिला	परीक्षार्थी बैठे	पास हुए
१. अजमेर	२१	६
२. अलवर	५८	१६
३. भरतपुर	४१	१८
४. जयपुर	६५	२३
५. झुन्झुनू	३१	३
६. सवाई माधोपुर	२६	२
७. सीकर	२५	१०
८. टोंक	७	२
योग....	३१७	८३

(२) उक्त सभी व्यक्ति राज्य सेवा में हैं। नया कोई नहीं है। ८३ व्यक्ति लिये गये हैं।

(३) सभी व्यक्ति राज्य सेवा में हैं। नये एवं पुराने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, १९६६ के तहत जो हैड कान्स्टेबल ५ वर्ष से निरन्तर सेवा कर रहे हों वे ही हैड कान्स्टेबल ए. एस. आई. की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अन्य और नहीं।

नये शहर बीकानेर में मिली लाश का मामला

४९६. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या माह नवम्बर, १९६७ में एक कॉलेज के विद्यार्थी की लाश नये शहर बीकानेर में जहां वह रहता था उसी मकान में पानी की कुण्डी के पास मिली थी? यदि हां, तो इसकी बाबत कोई केस दर्ज हुआ या नहीं? यदि हुआ तो आई. पी. सी. की किस धारा के तहत हुआ?

(२) यह केस अब किस स्टेज पर है और इसमें डॉक्टर ने क्या ओपीनियन दी है?

उत्तर

(१) यह बात माह अक्टूबर, ६७ की है न कि नवम्बर, ६७ की। दिनांक २७-१०-६७ को श्री चतरसिंह पुत्र भालचन्द साठ सुजानगढ़, जो प्रथम वर्ष टी. डी. सी. में रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर में पढ़ता था और हजारीलाल त्यागी के मकान, मोहल्ला नया शहर, बीकानेर में रहता था, उसकी लाश उसी मकान के पानी के कुण्डे में मिली थी। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं० ६४; सन् ६७ की धारा ३०२ ता० हि० थाना नया शहर में पंजीबद्ध हुआ है।

(२) यह अभियोग डीवाई. आई. जी. पी. रैंज की स्वयं की देख-रेख में अनुसन्धानाधीन हैं। डॉक्टर ने चतरसिंह की मृत्यु गला घोंट कर करना लिखा है।

स्थगित प्रश्न

२८-२-६८

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

३३६. श्री शीशराम (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के निर्माण के लिये

बीकानेर में नागदेवों के मन्दिर के पास शिव-बाड़ी के रेगरों (अनुसूचित जाति के सदस्यों) को जो भूमि रिहायश के लिये दी गई थी उसमें से उस भूमि को कॉलेज के लिये अवाप्त किया गया था ? यदि हां, तो उनमें से कन-किन को कितना-कितना मुआवजा अब तक दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति मुआवजे के विकल्प के तौर पर भूमि लेने को तैयार हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन्हें उतनी तादाद में भूमि रिहायश के लिये देने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां। जिन-जिन को जितना-जितना मुआवजा अब तक दे दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिनसे जमीन अवाप्त की गई थी, उनमें से दो के अलावा सभी को मुआवजा दिया जा चुका है इसलिये बदले में भूमि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। बची हुई मुआवजे की रकम वितरण हेतु उपलब्ध है। चूंकि अवार्ड इनके बाबत भी हो चुका है इसलिये अब बदले में जमीन दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

परिशिष्ट-९ मार्च, १९१८-परिशिष्ट

सूची

क्र० सं०	नाम	रकम मुआवजा जो दी गई है
१.	श्री पूनमचन्द पुत्र रूपाराम रेगर	रु० ३४६२.५१ पैसा
२.	श्री धर्माराम पुत्र रूपाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पै[illegible]
३.	श्री चोथूराम पुत्र नानूराम रैगर	रु० १८५६.२५ पैसा
४.	श्री रामरख पुत्र नानूराम रैगर	रु० १·५६.२५ पैसा
५.	श्री भागीरथ पुत्र रामसुख रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
६.	श्री धनराम पुत्र भोलाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
७.	श्री अर्जुनराम पुत्र धन्नाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
८.	श्री सोहनलाल पुत्र धन्नाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
९.	श्री डूंगरमल पुत्र रामसुख रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१०.	श्री प्रेम प्रकाश पुत्र रामसुख रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
११.	श्री स्याराम पुत्र नानूराम रेगर	रु० १८५६ २५ पैसा
१२.	श्री लालचन्द पुत्र पूनमचन्द रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१३.	श्री शिवलाल पुत्र किस्तूरचन्द रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१४.	श्री मानाराम पुत्र किस्तूराराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१५.	श्री अमृतलाल पुत्र प्रेमसुख रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१६.	श्री गंगाजल पुत्र धनराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१७.	श्री हरिराम पुत्र धन्नाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१८.	श्री भेराराम पुत्र मालाराम रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा
१९.	श्री पूनमचन्द पुत्र रावतमल रेगर	रु० १८५६.२५ पैसा

परिशिष्ट ५

Job description of the Administrative Officers posted in the District Family Planning Bureaus.

On the basis of the recommendations made by the Government of India the following functions have been prescribed in brief for the Administrative Officer:—

(1) He will be responsible for General Administration of the District Bureau.

(2) He will make arrangement for appointment of staff at District level, either by obtaining suitable surplus hands from the Collectors or by making direct recruitment. With the approval of the District Collector, the District Family Planning Officer will be competent to make, appointments of all Ministerial and Class IV posts created under Family Planning Programme in a District. He may, however, appoint Class IV servants at his own.

(3) He will provide for Secretarial Services to the staff of the Bureau.

(4) He will provide facilities for Reception, Distribution and dispatching of correspondence. He will also provide facilities for filling of Bureau records and reports.

(5) He is to see that regular staff meetings are arranged to review the progress of work programme and difficulties encountered in the way of implementation and evolve joint planning.

(6) He is to see that the meetings of the District Level Family Planning Implementation Committee and District level Technical Committee are held as and when required and ensure the Implementation of the recommendations or decisions taken in these meetings.

(7) He will plan and coordinate publicity programme for Family Planning in the District and will ensure that the instructions issued by the Government and State Family Planning Bureau are carried out promptly and effectively. He will also coordinate the publicity programme with other related Departments of Government situated in a district and seek cooperation of official and non-official agencies in this regard.

(8) He is to ensure that adequate training in extension and Health Education work for motivational and Educational staff provided at various levels is imparted and the publicity and educational and motivational staff functions in an effective manner. He will also supervise and provide guidance to the staff provided for Educational & Motivational work.

(9) He should plan and organise special educational compaigns, drives, exhibitions film-show, short drammas, puppet shows, Bhajans or Kirtans or Kathas as Publicity media in a district on monthly if feasibly, yearly basis.

(10) He will arrange for discussion of important nature pertaining to the publicity aspect of this programme with concerned departments through special seminars, conferences, meetings and news bulletions etc.

(11) He will establish a liasion with the Health Department, Public Relations Department, Zila Parishad and other Departments who can assist and render facility for motivation and education and coordinate the publicity work in a district.

(12) He will arrange for organising orientation camps for teachers, leaders and workers of different departments to promote publicity for Family Planning Programme.

(13) He will send the necessary information regarding the activities and achievements made in his District in connection with the success of the Family Planning Programme to the State Family Planning Bureau, Government in Madical & Heatlh (Family Planning Cell) Department and also to the Government of India when required.

In addition to the above he should see the following and ensure that:—

(1) The District Family Planning Bureau has been provided with all necessary facilities to enable it to function in an effective manner. If the staff has not yet been placed in position in the Bureau or in any Unit created under Family Planning Programme in a district, he should see that necessary staff is put in position at various levels.

(2) If the District Family Planning Bureau has not been provided Govt. accommodation then he should ask for the same to the Collector and if no Government accommodation is available he may with the approval of the District Family Planning Officer arrange for rented accommodation. Office accommodation for District Family Planning Bureaus can be taken on a rent of Rs. 3,000/- per annum in a district where the population of the headquarter is more then one lakh and if the population is less then one lakh, office accommodation can be had upto the extenent of Rs. 6,000/- per annum. Similarly Urban Family Planning Centres if not provided with Government accommodation, may also be housed in rented building with annual rent of 1200 Rupees.

(3) Goverment in G. A. D. have issued necessary instructions to provide telephone facilities to all the District Family Planning Bureaus. If this has not yet been provided, he may arrange for the same.

(4) Each District has been provided with three vehicles, one for publicity work, another for the Mobile IUCD team and the remainig third for sterilization Mobile Unit. In this connection being incharge of the Publicity and Mass Education work in a District, he is to see that the Machinery provided for this work is utilised to the fullest maximum and an atmosphere is created in the Rural areas which may lead more and more sterilization.

(5) The returns regarding monthly achievement of IUCD insertion, sterilization operations, and distribution of contraceptives are sent within the 10th of the month so that the position with regard to the State achievmennts for a monthly is complied by head office in time. He is, therefore, to ensure that such returns are despatched by 10th of each month invariably to the State Family Planning Bureau with a copy of this Department.

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्र० सं० १८४ की सूची)

मानचित्र औद्योगिक सहकारियों के ऋण वितरण के सम्बन्ध में सूचना

क्र० संख्या	नाम सहकारी समिति	ऋण जो दिया गया	वसूली	शेष रहा	वर्ष ऋण दिया	
१	२	३	४	५	६	
१.	मैसर्स चर्मकला उ० स० स० लि०, बहरोड़	२०००/-	२०००/-	—	२३-६-५८	
२.	,, गोविन्दगढ़ हरिजन उ० स० स० लि०	२५००/-	२४००/-	१००/-	८-१-५९	
३.	,, पद्म उ० स० स० लि०, तिजारा	१५००/-	१५००/-	—	१०-२-५९	
४.	,, नूरनगर चर्मकला उ० स० स०, नूरनगर	१५००/-	१२६०/-	२४०/-	१०-२-५९	
५.	,, गोधिका हरिजन उ० स० स० लि०	१०००/-	१०००/-	—	१२-३-५९	
६.	,, रामा चर्मकला उ० स० स०, वास कृपानगर	१५००/-	१५००/-	—	२९-३-५९	
७.	,, चर्मकला उ० स० स०, कुमाईलपुर	५००/-	५००/-	—	२१-३-५९	
८.	,, मोहम्मदपुर हरिजन उ० स० स० लि०	१५००/-	१०००/-	—	२९-९-५९	
९.	,, मंगलीओझा चर्मकला उ० स० स० लि०	१५००/-	८५६/-	६४४/-	२२-९-५९	
१०.	,, चर्मकला उ० स० स० लि०, खैरथल	३५००/-	३५००/-	५००/-	२८-१०-६१	
११.	,, चर्मकला उ० स० स० लि०, राजगढ़	३५००/-	२०००/-	१५००/-	३०-१०-६१	
१२.	,, चर्मकला उ० स० स० लि०, दानपुर	७०००/-	४०००/-	३०००/-	२८-३-६०	
१३.	,, चर्मकला उ० स० लि०, विरामपुर	५६००/-	५२५७/-	३४३/-	२२-३-६२	
१४.	,, अजबपुरा चर्म उत्पादक सहकारी समिति, अलवर	१५००/-	७३०.७७	७६९-२३	३०-३-६३	सहकारी विभाग
१५.	,, बीलाहेडी चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	२०००/-	—	२०००/-	३०-३-६३	द्वारा दिया गया ऋण

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या १८९ की सूची)

नगर विकास न्यास, जयपुर

जयपुर नगर न्यास की विशेष बैठक दिनांक २०-१-६८ को सम्पन्न हुई न्यास की मीटिंग मे निम्न उपस्थित थे।

१. श्री सरदारमल सांघी

२. श्री एम० एम० के वली, जिलाधीश, जयपुर

३. श्री बी० केम्पो, मुख्य नगर आयोजक

४. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा, प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर

५. श्री ब्रजेन्द्रकुमार सक्सेना अभियन्ता नगर परिषद्, जयपुर

६. श्री रामस्वरूप चन्देल

७. श्री रकीम मोहम्मद इब्राहीम खां

१. १६-१-६८ को न्यास की बैठक में स्थगित विषय दुसाडो के बाग के कोने पर शो-रूम के निर्माण हेतु नक्शे पास करने के विषय पर विचार विमर्श हुआ, निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर आयोजक की सम्मति हेतु नक्शे उन्हें प्रेषित कर दिये जावे व उसी प्रकार कार्यवाही की जावे।

२. यह आज की विशेष बैठक जयपुर नगर की ज्वलन्त समस्या कच्ची बस्तियों, नवनिर्माण विकास इत्यादि के बारे में गम्भीरता से विचार करने हेतु आयोजित की गई थी, जैसा कि न्यास पहले ही निर्णय कर चुका था।

३. जयपुर नगर की कच्ची बस्ती की समस्या समाधान हेतु न्यास समय-समय पर प्रयत्न करता रहा है एवं कई कच्ची बस्तियों का नव निर्माण भी किया गया है। यह आवासीय समस्या सर्वदा जटिल होती चली जा रही है। जिलाधीश महोदय ने इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया।

जयपुर नगर में इस समय करीब ६१ या इससे अधिक कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें १५ बस्तियां बस चुकी हैं। ११ का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है एवं ३६ का अभी कुछ नहीं किया गया है। राज्य सरकार के समय-समय पर प्राप्त आदेशों और नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णय लिये गये।

१. प्रत्येक कच्ची बस्ती का सर्वे कार्य पूर्ण किया जावे।

२. इन बस्तियों में रहने वाले वासियों का भी पूर्ण निरीक्षण किया जावे। एवं उसके लिए आवश्यक अस्थाई स्टाफ रख लिया जावे जिसके हेतु तीन हजार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३. जिन बस्तियों में भूमि की कमी नहीं है उनमें विकास कार्य सम्भवतः शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावे।

४. जिन बस्तियों की भूमि अवाप्त की जा रही है उनमें शीघ्रता की जावे।

५. बाकी बस्तियां जो राजकीय भूमि पर नहीं है उनकी भी अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर देना चाहिये।

६. कच्ची बस्तियां जहां सड़क इत्यादि अन्य सुविधाओं की कमी है उनके भी अनुमान तैयार कराये जावें।

७. कच्ची बस्तियों के वास्ते कुछ मकानों के नक्शे इत्यादि भी बनवाकर तैयार कर लिये जावे। जिसमें उनकी असुविधा इस सन्दर्भ में कम हो सके।

८. निर्णय लिया गया कि अब भूमि देने की अत्यधिक सीमा ६७५ वर्ग फीट होनी चाहिये।

९. निर्णय लिया गया कि न्यास के समस्त सदस्य दिल्ली के नव निर्माण देखने एवं इन समस्याओं के अध्यन हेतु वहां जावे एवं इस विषय पर वहां की विकास न्यास एवं अन्य संस्थाओं से भी बात चीत करें। इसकी गति को तीव्र एवं गतिशील बनाने की योजना प्रस्तुत करें।

सचिव
नगर विकास न्यास, जयपुर।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्र० सं० १०४ की सूची)

सूची बकाया वेतन हरिजन कर्मचारीगण, नगरपालिका, छापर

(१)	श्री कालूराम जमादार माह नवम्बर, ६७ से फरवरी, ६८ तक	३१२—००
(२)	गाड़ी वाले प्रत्येक को १००) माहवार माह नवम्बर, ६७ से फरवरी, ६८ तक	८००—००
(३)	हरिजन कर्मचारी दस प्रत्येक को ७३) रु० प्रति माह से या माह नवम्बर, ६७ से फरवरी, ६८ तक	२९२०—००
(४)	माह जून, ६७ से माह अक्तूबर, ६७ तक का हरिजनों के वेतन की बकाया राशि	१२४११—००
	योग	१६४४३—००

परिशिष्ट-६ मार्च, १६६८-परिशिष्ट

सूची कर्मचारीगण व सचिव, नगरपालिका, जाहुर बाबत बकाया वेतन ।

(१)	श्री पी० एस० माथुर भूतपूर्व सचिव, नगर पालिका, छापर दि० २७-६-६४ से १७-३-६८ तक	३६५६-००
(२)	श्री सुगन चन्द सेवक माह जनवरी, ६८ से माह फरवरी, ६८ तक	३०४-००
(३)	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा सेवक माह अक्तूबर, ६७ से फरवरी, ६८ तक	४२५-००
(४)	श्री जैसाराम शर्मा चतुर्थ, श्रेणी कर्मचारी, माह अक्तूबर, ६७ से माह फरवरी, ६८ तक	३६५-००
(५)	श्री मौहम्मद हुसैन नाकेदार माह अक्तूबर, ६७ से फरवरी, ६८ तक	५६५-००
(६)	श्री केर्नसिंह, सहायक नाकेदार, माह अक्तूबर, ६७ से माह फरवरी, ६७ तक	४१५-००
(७)	श्री हरिसिंह, लाइनमेन माह अक्तूबर, ६७ से माह फरवरी, ६८ तक	४१५-००
(८)	श्री नानूराम पम्प ड्राईवर माह फरवरी, ६८ तक	१००-००
	योग	६४७५-००

नोटः—क्रमांक ४ से ७ तक ऊपर अंकित कर्मचारियों की वेतन दि०१-११-६६ से ३-१-६७ तक का जो बकाया है। इस काल में ये कर्मचारी हड़ताल पर थे।

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६८

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१८	१३	थर्डप्लान फाइव ईयर	थर्ड फाइव ईयर
२१	८	हालात	हालत
३२	६	१८६८	१९६८
३७	अन्तिम से ७	अन्दर	अदर
४०	,, ६	कर	करा
४७	,, ३	अग्रे रत	अग्रेतर
५२	,, १४	सु र्द	सुपुर्द
५४	,, १३	कर	करेगी
५५	१४	कूल	स्कूल
८३	९	(९	(९)
९७	१८	की वह	और
१०१	अन्तिम से २	कि सरकार ने	सरकार से
१०२	३	एजेन्सा	एजेन्सी
१२४	१२	कहें	कहेंगे
१३६	२	इस भ्रष्टाचार को	यह भ्रष्टाचार
१४६	११	अब जब तक	जब तक
१४७	अन्तिम से ७	भम	भीम
१४७	,, ४	ब ाये	बनाये
१५६	,, ६	ब त	बात
१५८	१७	तरके	तरीके
१६२	अन्तिम से १२	नहीं	नहीं
१७८	४	है कि	है

१	२	३	४
१८४	६	एन्क्वायरीज में	एन्क्वायरीज
१८६	१७	प्रायोग का	प्रायोग को
१६२	४	मे नहीं है	नहीं है।
२००	अन्तिम से ७	आप	आप की
२०७	,, ७	भी प्रोपर चैनल	भी प्र् प्रोपर चैनल
२०३	शीर्षक	अनुदानों की-६ मार्च, १६६८-मांगों पर विचार	अधिक अनुदानों की-६ मार्च, '६६८-की मांगों का उपस्थापन
२०४ से २०८	शीर्षक	,,	अधिक अनुदानों की-६ मार्च, १६६८-की मांगों पर कटौती प्रस्ताव
२०८ से २५६	शीर्षक	,,	अधिक अनुदानों की-६ मार्च, १६६८-मांगों पर विचार
२११	अंतिम से ५	पश्च त्	पश्चात्
२१२	१४	सब से पीछे	सब के पीछे
२१४	अंतिम से ३	ह	यह
२१५	७	म	में
२२४	अंतिम से ३	ऑफसर	आफिसर
२२६	,, १०	अज	अर्ज
२२८	,, ७	नह	नहीं
२३१	१६	सक	सके
२३२	अंतिम से ६	नि दन	निवेदन
२३४	,, ६	सरकार	सरकार को
२३७	५	च हूंगा	चाहूंगा
,,	१३	एकल्लोज	एल्कलोज
२३६	४	निवेदन क	निवेदन कर
२४०	३	भल जाति हा	भील जाति ही

१	२	३	४
२४२	१	महोदय	महोदय ने
२४५	अंतिम से २	मे पोवर	मैन पोवर
२४६	,, ७	राज्य का	राज्य की
२५०	२	स्किमों	स्कीमों
२५१	१	हमारा बड़ा केनाल	हमारी बड़ी केनाल
२६३	शीर्ष	—	(श्री विद्युत मंत्री)
२६५	,,	—	(श्री सहदेव)
१६७	,,	—	(श्री केदारनाथ)
२६६	,,	—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
२७१	,,	—	(श्री उद्योग मंत्री)
२७५	,,	—	(श्री गृह मंत्री)
२७७	,,	—	(श्री शीशराम)
२७०	६	का	को
२७७	६	कन किन को	किन किन को
२८५	१	चम कला	चर्म कला
,,	८ (४)	१०००/-	१५००/-
,,	१० (४)	३५००/-	३०००/-
२८६	६	श्री रकीम	श्री हकीम

———